ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

सूचना एवं प्रौद्योगिकी की बैंकिंग विकास में भूमिका

कु. अर्पिता सोनकर
शोधार्थी (अर्थशास्त्र), रा.दु.वि.वि. जबलपुर

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में जिस प्रकार से विकास प्रगति का अनुभव किया जा रहा है, उसने जीवन के लगभग सभी आयामों में अनेक परिवर्तन लाए हैं। बैंकिंग उद्योग में, यह परिवर्तन ऑनलाइन बैंकिंग के रूप में रहा है, जो अब पारंपरिक बैंकिंग प्रणालियों का स्थान ले चुका है। ई–बैंकिंग से भुगतान और सेवाओं के लाभ का एक इलेक्ट्रॉनिक वैकल्पिक नेटवर्क हो चुका है। ई–बैंकिंग में बैंकिंग व्यवसाय को बदलने की क्षमता है क्योंकि यह लेनदेन और वितरण लागत को काफी कम करता है। आज ई–बैंकिंग ने अभूतपूर्व उन्नति का अनुभव किया है और अपने उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करने हेतु बैंकों के लिए यह एक मुख्य मार्ग हो गया है। ऑनलाइन बैंकिंग के विभिन्न लाभ हैं जो सेवा प्रदाय की बेहतर गुणवत्ता के मामले में ग्राहकों की संतुष्टि के लिए सुविधा का विस्तार करते हैं और साथ ही साथ समय अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम भी बनाते हैं। बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग हेतु निम्नलिखित सुविधाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा है –

एटीएम सुविधा :– स्वचलित गणन यंत्र वर्ष 1939 में लूथर जॉन सिमिजेम द्वारा अविष्कृत एक कंम्प्यूटरीकृत दूरसंचार यंत्र हैं। जिसके माध्यम से किसी वित्तीय संस्थान/बैंक से संबद्ध कोई भी व्यक्ति जिसके पास मेगनेटिक स्ट्रिप्स के साथ प्लास्टिक कार्ड अथवा स्मार्टकार्ड जिसमें विशिष्ट एवं सुरक्षित अकों वाली चिप लगी हो उपलब्ध हो, बैंक में उपस्थित हुए बिना ही स्वचलित गणन यंत्र का यथोचित उपयोग कर सकता हैं। विश्व का प्रथम सुनियोजित–स्वचलित गणन यंत्र वर्ष 1967, में स्कॉट जॉन शेफर्ड बैरेन द्वारा उत्तरी लंदन में स्थित बारक्ले बैंक की एक ब्रांच में स्थापित किया गया था। यह मशीन ग्राहकों को निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करती है– 24 घंटे लेन–देन, खाता शेष की जाँच करना, चैक बुक एवं खाता विवरण के लिए आदेश देना, खातों के मध्य फण्ड का हस्तांतरण करना, पूर्वदत्त पत्रक को पुनः भरना, उपयोगी बिलों का भुगतान करना, व्यक्तिगत परिचय नंबर को परिवर्तित करना इत्यादि।

प्लास्टिक मनी सुविधा :– बैंक अपने कुछ ग्राहकों को दुनिया में कही भी निर्धारित सीमा तक सामान क्रय करने हेतु एक प्लास्टिक कार्ड निर्गमित करता है। इन कार्डों को क्रेडिट कार्ड कहते है। इन कार्डो से राशि का आहरण एवं क्रय भुगतान, खाते में शेष न होने पर भी किया जा सकता है। परंतु जितनी रकम का प्रयोग किया गया है। उतनी रकम 30 दिन के अंदर बैंक में जमा करना होती है अन्यथा ब्याज वसूल किया जा सकता है। डेबिट कार्ड भी प्लास्टिक मनी कहलाता है, इसके माध्यम से अपने ही खाते में जमा राशि का आहरण एटीएम मशीन के माध्यम से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त POS (Point of sale) पर किसी भी प्रकार के बिल का भुगतान किया जा सकता है।

इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली :– बैंकिंग कार्यों को तीव्र करने हेतु प्रौद्योगिकी ने महत्तवपूर्ण भूमिका निभाई है। चैक के माध्यम से भुगतान प्रणाली कागजी कार्यो में वृद्धि करने के साथ साथ जनता में अविश्वास निरसता को जन्म दे रही थीं। सुरक्षित एवं बोधगम्य इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली ने देश में भुगतान प्रक्रिया को तीव्र एवं सुगम बनाया है। इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सर्विस (ई.सी. एस) क्रेडिट, इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सर्विस (ई.सी.एस), इलेक्ट्रानिक धन अंतरण (ई.एफ.टी),.नेशनल इलेक्ट्रानिक फण्ड अंतरण (एन.ई.एफ.टी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस)।

चैंक ट्रंकेशन पद्धति :– चैक भुगतान को तीव्रता प्रदान करने हेतु चैक की स्कैनिंग कर छवि के माध्यम से चैक की राशि संबंधित खाते में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चैंक ट्रंकेशन पद्धति कहलाती है।

मोबाईल बैंकिंग :– वर्तमान समय में मोबाइल का प्रयोग करने वालों की संख्या अत्यंत ही बढ़ गई है। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से ग्राहक बैंक की निम्न सुविधाओं का लाभ उठा सकते है–खाते की संपूर्ण जानकारी, खाता शेष की जानकारी, अंतिम लेन–देन की जानकारी, नवीन चैक बुक हेतु जारी करने हेतु आदेश देना, चैक की स्थिति की जानकारी, भुगतान रोक आदेश जारी करना, जनोपयोगी बिलों का भुगतान,

नज़दीकी ए.टी.एम शाखा का स्थान निर्दिष्ट करना, संदेश के माध्यम से सचेत करना इत्यादि।

इंटरनेट बैंकिंग :– इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग (ई–बैंकिंग), जिसे इंटरनेट बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है, को इलेक्ट्रॉनिक और इंटरैक्टिव संचार चैनलों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से ग्राहकों के लिए नए और पारंपरिक बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं के स्वचालित प्रदायकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है। ई–बैंकिंग में वे प्रणालियाँ शामिल होती हैं जो वित्तीय संस्था के ग्राहकों, व्यक्तियों या व्यवसायों को खातों, लेन–देन के कारोबार तक पहुँचने में सक्षम बनाती हैं, या इंटरनेट सहित किसी सार्वजनिक या निजी नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के विषय में जानकारी प्रदान करती हैं। ग्राहक व्यक्तिगत कंप्यूटर (पीसी), व्यक्तिगत डिजिटल सहायक (पीडीए), स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम), कियॉस्क या टच टोन टेलीफोन जैसे एक बुद्धिमान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके ई–बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं। ई–बैंकिंग के उपयोग से कई लाभ हुए हैं जिनमें शामिल हैं:

- बाधा एवं सीमाएं न होना
- सुविधाजनक होना
- सेवाओं की न्यूनतम लागत पर प्रस्तुति

ई–बैंकिंग ने बैंकिंग में पारंपरिक प्रथाओं को बदल दिया है; किसी भी जगह और किसी भी समय ग्राहकों से जुड़े रहने का एकमात्र तरीका इंटरनेट अनुप्रयोगों के माध्यम से है; यह ग्राहक और सेवा प्रदाता से जानकारी के तेजी से वितरण के माध्यम से बैंकिंग उद्योग में उच्च प्रदर्शन का परिणाम है। ग्राहक ई–बैंकिंग के उपयोग को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि

- इससे समय की बचत होती है
- इससे कम लेनदेन शुल्क पर अभिनव उत्पाद या सेवा का उपयोग संभव है
- कतार प्रबंधन को प्रोत्साह प्राप्त होता है जो ई–बैंकिंग सेवा की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है।

ऑनलाइन बैंकिंग वित्तीय सेवाओं का बहुत बड़ा अंग बन चुकी है। इनके माध्यम से ग्राहक कहीं भी किसी भी समय बिना बैंक में उपस्थित हुए अपने खाते का परिचालन कर सकते है। बैंक द्वारा प्रदत्त इस सुविधा के अर्न्तगत ग्राहक के पर्सनल कम्प्यूटर को पासवर्ड की सहायता बैंक की वेबसाइट से लिंक किया जाता है। प्रत्येक बैंक की इंटरनेट सेवाओं का अपना डेटाबेस होता है, जो कि लॉग इन करने पर मेन मेनु के रूप में प्रदर्शित होता है ग्राहक आवश्यकतानुसार सेवा पर क्लिक कर बैंक की इंटरनेट सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। ग्राहक खाते की संपूर्ण जानकारी जैसे बैंक खाते का सारांश प्राप्त कराना, शेष की जानकारी, खाता विवरण आदि, कोष हस्तांतरण सुविधा, उपयोगी बिलों का भुगतान–टेलीफोन, मोबाइल बिजली, बीमा प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल, चैक बुक मंगवाना, भुगतान रोक आदेश देना, खाता खोलना, ए.टी.एम कार्ड गुम की जानकारी देना, टेलीफोन एवं मोबाइल बैंकिंग हेतु पंजीयन, चैक की स्थिति का ज्ञान, क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड, गृह एवं कार ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन आदि सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है।

सूचनाओं का केन्द्रीयकरण :– आईटी के माध्यम से ग्राहक से संबंधित सभी जानकारी सभी शाखाओं में केन्द्रीकृत हो जाती है। फलतः किसी भी ब्रांच से ग्राहक लेन–देन का कार्य कर सकते है।

अनिवासी भारतीय सेवाएँ :– बैंक द्वारा भारत के आर्थिक विकास हेतु उन्नत सेवाओं/उत्पादों का क्रियान्वयन न केवल भारत के निवासियों वरन् अनिवासियों के लिए भी किया जाता है। सुदूर देशों में प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सुविधा का संचालन सूचना एवं प्रोद्योगिकी के माध्यम से ही संभव हुआ है।

संदर्भ :–

- Bhattacharya K. M., Agarwal O.P., (2006)—Basics of Banking and Finance, Himalaya Publishing House, First Edition Mumbai
- जैन सोनल ''भारत में बैंकिंग उद्योग का विकास'', राष्ट्रीय सेमीनार, डी.एन. जैन महाविद्यालय, जबलपुर, 2009
- Pantulia Kamraj (2010), Indian Banking in the New Millennium RBSA Publisher Jaipur
- Jain Anubha (2016), "Recent Developments in Banking Sector", National Seminar, Dept. of Commerce, Govt. M.L.B. Girls P.G. College Bhopal, 3-4 March 2016.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के संरक्षण की आवश्यकता (जबलपुर संभाग के विशेष संदर्भ में)

कु. उपासना यादव
शोधार्थी (अर्थशास्त्र विभाग), रा.दु.वि.वि. जबलपुर

जबलपुर संभाग पुरातत्व, वास्तुकला और मूर्तिकला के रूप में विरासत के संसाधनों में समृद्ध है, इसके अलावा प्रदर्शन कला जैसे अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के अलावा; नृत्य, नाटक और संगीत, मेले और त्यौहार और हस्तशिल्प भी यहाँ के पर्यटन का महत्व बढ़ाते हैं। ये तत्व असंख्य पर्यटकों को "सांस्कृतिक अनुभव" की खोज हेतु आकर्षित करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक पर्यटन, एक ओर, आर्थिक गतिविधियों के विकास में सहायक होता है तो दूसरी ओर यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन स्थलों को भी खतरे में डाल देता है। इसलिए सभी सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है।

जबलपुर संभाग विरासत के दृष्टिकोण से अपार रूप से समृद्ध है। इसलिए, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन; पुरातत्व स्थलों और स्मारकों सहित ऐतिहासिक विरासत; साहित्य और भाषाएँ, मूर्तिकला और चित्रकला, लोक कला, लोक संगीत और नृत्य एवं स्तशिल्प सहित; आदिवासी संस्कृति और सामाजिक–आर्थिक विरासत ऐसे क्षेत्र हैं जहां संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण के अभाव में जबलपुर संभाग के विभिन्न स्मारक क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जबलपुर संभाग की खोई हुई विरासत की पहचान अर्थात् इन क्षेत्रों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

चौरागढ़, नरसिंपुर :– नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा तहसील में स्थित चौरागढ़ का किला संरक्षण के अभाव में क्षतिग्रस्त हो चुका है।

जबलपुर के तालाब :– गोंड शासकों द्वारा सूखे की स्थिति में सिंचाई सुविधा हेतु बड़े–बड़े ताल बनवाए गए थे जिनकी कुल संख्या 52 थी। इनमें से अधिकांश जैसे फूटाताल, भंवरताल, कोलाताल, भानतलैया, श्रीनाथ की तलैया, बेनीसिंह की तलैया, कदम तलैया एवं हिनौताताल रखरखाव के अभाव के कारण सूख चुके हैं और इनमें से अधिकांश में शहरी बसावट हो चुकी है जो पर्यावरणीय दृष्टि से उचित नहीं है। वहीं शासन द्वारा इन तालाबों का महत्व समझते हुए कुछ तालों जैसे सूपाताल, हनुमानताल, गुलौआताल, देवताल आदि के सौंदर्यीकरण का कार्य करते हुए इनमें से कुछ को पर्यटन स्थल का रूप दे दिया गया है और शेष तालों हेतु यह कार्य निर्माणाधीन है, जोकि एक प्रशंसनीय पहल कही जा सकती है।

गोविंद भवन, जबलपुर :– उत्कृष्ट शिल्पकला के इस आकर्षक प्रतिमान का निर्माण 1909 में राजा गोकुलदास की धर्मपत्नी रानी चुन्नीबाई के रहवास हेतु किया गया था। इसे हॉलैंड एवं जर्मनी की सिरेमिक टाइलों से सुसज्जित किया गया था। कमरे को फ्रांसिसी और अंग्रेजी संरचना के अलंकृत फर्नीचर से सजाया गया था। बगीचे का नियोजन कलात्मक रूप से किया गया था और ग्रीको–रोमन मूर्तिकला के साथ दर्जनों संगमरमर के कलश को सजाया गया था। इतालवी फव्वारे की यहाँ समृद्ध विविधता थी। भवन ने क्षय की अवधि भी देखी गई जब इसका स्वामित्व परिवर्तित हो गया। वास्तुकला का राजसी चिन्ह राज्य सरकार का कार्यालय बनकर रह गया है और वर्तमान में यहाँ राज्य यातायात कार्यालय (आरटीओ) संचालित किया जा रहा है। अतः कहना उचित होगा कि यह उत्कृष्ट भवन वर्तमान में अपने अतीत की परछाई भी नहीं है।

दिदवारा, विजयराघवगढ़ :– यह ग्राम कटनी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक चबूतरा स्थित है जिसमें बलराम, विष्णु एवं नाग के भित्ति–चित्र थे, दुर्भाग्यवश जिन्हें चोरी कर लिया गया। इस स्थान के पुरातात्वीय प्रमाण उत्तर गुप्त काल अर्थात् 7वीं से 8वीं शताब्दी ई. के हो सकते हैं।

विजयराघवगढ़ का किला :– विजयराघवगढ़ का किला कटनी नगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में किया गया था। किला जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है। इसके अंदर 'रंग महल' के भित्ति चित्र बारिश और समय के बीतने से नष्ट हो चुके हैं। आंगन के अंदर एक छोटा सा मंदिर है लेकिन दुर्भाग्य से उसकी कोई छवि मौजूद नहीं है।

जबलपुर के द्वार :– वस्तुतः जबलपुर एक दीवारों वाला शहर था और उसेके पूर्व गौरव का प्रतिनिधित्व

करने वाले अब केवल फाटकों और स्तंभों के अवशेष ही हैं। मिलौनीगंज के उत्तरी द्वार को हनुमान फटक कहा जाता था और पश्चिमी फाटक को गढ़ा फाटक कहा जाता था, जो गढ़ा की गोंड राजधानी में प्रवेश करने का द्वार था। कोतवाली क्षेत्र के बीच मराठा अधिकारियों की कॉलोनी थी और इन इमारतों को देखते हुए आसानी से मराठा वास्तुकला की कल्पना की जा सकती है।

जबलपुर के फव्वारे :– जबलपुर को फव्वारों का शहर भी कहा जाता था। खंदारी जलाशय का कार्य समाप्त होने के स्मरण स्वरूप, लॉर्डगंज में एक फव्वारे का निर्माण किया गया। वर्तमान में भी जबलपुर के कुछ स्थानों के नाम फव्वारों के नाम पर हैं जैसे छोटा फव्वारा एवं बड़ा फव्वारा।

जबलपुर के पहाड़ :– मदनमहल पहाड़ों पर स्थित किला आज भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसी प्रकार शहर के अन्य क्षेत्रों में भी बड़ी-बड़ी पहाड़िया थीं जो शहरी रहवास की व्यवस्था किए जाने के कारण समाप्त हो गईं अथवा तोड़ी जा रही हैं। वर्तमान में कुछ पहाड़ों के सौन्दर्यीकरण हेतु बस्तियों का खाली करवाया जा रहा है परंतु यह कार्य वृहद स्तर पर समूचे शहर में किए जाने की आवश्यकता है। शहरीकरण के लिए दूसरे उपायों की खोज की जा सकती है और इसके लिए पहाड़ियों को नष्ट करना आवश्यक नहीं है।

अतः उपसंहार स्वरूप कहा जा सकता है कि जबलपुर संभाग विभिन्न भौगोलिक गुणों से परिपूर्ण है जहाँ ऐतिहासिक विरासत के अनेक पर्यटन स्थल हैं। आवश्यकता है इन पर ध्यान केंद्रित करने की तथा पुनः इन्हें पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की जिससे ये स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण शीघ्र ही लोगों के ध्यानाकर्षण का केंद्र बन जायेंगे।

संदर्भ :–

1. Indian perspective for Tourism; Architecture, IGNOU, 2007
2. Mookerji Radhakumud, The Gupta Empire, Motilal Banarsidas, 1989
3. Mahajan V.D., Ancient India, S. Chand and company, 2005
4. Choubey M.C., Jabalpur: The Past Revisited M.C., INTACH

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

पूना संधि का घटनाक्रम (डॉ. अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के संदर्भ में)

विजय शंकर बाजपेयी
शोधार्थी (इतिहास विभाग), रा.दु.वि.वि. जबलपुर

दमित जनता को मुक्त करने के उनके प्रयास में डॉ. अम्बेडकर ने 1924 में एक समिति स्थापित की जिसे "बहिष्कृत हितकारिणी सभा" के नाम से जाना जाता है, जो कि वंचित वर्गों के मध्य शिक्षा व संस्कृति के प्रसार को बढ़ावा देने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं आगे बढ़ाने के लिए थी। अपने लोगों की सहायता से अम्बेडकर द्वारा 1927 और 1930 में क्रमशः महाड में (सार्वजनिक जलस्रोत से पानी लेने के अधिकार हेतु) और नासिक में (हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए) सत्याग्रह प्रारम्भ करके सामाजिक समानता हासिल करने के प्रयास वीरोचित कहे जा सकते हैं। इस प्रत्यक्ष कार्रवाई ने एक दोहरे उद्देश्य की पूर्ति की। सर्वप्रथम, इससे अस्पृश्यों को उनके एकजुट प्रयासों की ताकत का अनुभव हुआ, और द्वितीय तथ्य यह था कि, कुछ ही वर्षों में वांछित लक्ष्य इस सीमा तक निकट आ गया जो तपस्वियों द्वारा सैकड़ों वर्षों तक उपदेश देकर भी नहीं किया जा सकता था।

पूना संधि की परिस्थितियाँ :– अस्पृश्य समुदाय के मध्य उनके प्रभुत्व और लोकप्रिय समर्थन के कारण, 1932 में डॉ. अम्बेडकर को लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया, जहाँ उन्होंने अस्पृश्यों हेतु पृथक निर्वाचक मंडल की वकालत की। गांधी जी ने अस्पृश्यों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल का प्रबल विरोध करते हुए कहा कि उन्हें भय है कि इस प्रकार की व्यवस्था ब्राह्मणों और दलितों को हिंदू समुदाय को दो समूहों में विभाजित कर देगी।

1932 में, ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर के साथ सहमति व्यक्त की थी और एक अलग निर्वाचक मंडल के कम्यूनल अवार्ड की घोषणा की थी कि, यह अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचनों की मांग को स्वीकार करेगा। जब गांधी जी पूना की यरवदा सेंट्रल जेल में कैद थे, तो उन्होंने योजना का जोरदार विरोध किया और कहा कि यदि इस योजना को वापस नहीं लिया गया तो वे आमरण अनशन करेंगे। गांधीजी ने इस आधार पर विरोध किया कि यह हिंदू समुदाय के लिए ठीक नहीं है। इससे पूरे भारत में वृहद स्तर पर नागरिक अशांति विस्तृत हुई और रूढ़िवादी हिंदू नेताओं, कांग्रेस के राजनेताओं और कार्यकर्ताओं जैसे मदन मोहन मालवीय और पलवनकर बालू ने यरवदा में अम्बेडकर और उनके समर्थकों के साथ संयुक्त बैठकें आयोजित कीं। अस्पृश्यों के विरुद्ध एक सांप्रदायिक प्रतिशोध और नरसंहार की कार्यवाही के भय से, अंबेडकर को गांधी के साथ सहमत होने के लिए विवश किया गया था। यह समझौता, जिसने गांधी के उपवास का अंत देखा और अम्बेडकर ने एक अलग निर्वाचक मंडल की अपनी मांग को छोड़ दिया, इसे पूना संधि कहा गया। पृथक निर्वाचन के स्थान पर इसमें अलग–अलग मतदाताओं के लिए कुछ सीटों को विशेष रूप से अस्पृश्यों के लिए आरक्षित किया गया था (जिन्हें समझौते में दलित वर्ग ''डिप्रेस्ड क्लास'' कहा गया था)। अम्बेडकर ने समझौते को लागू करने के लिए समान रूप से निर्धारित किया था लेकिन गांधीजी ने उन्हें इस समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। मानवीय आधार पर, उन्होंने गांधीजी के जीवन को बचाने के लिए 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए, परंतु निश्चित रूप से उनके समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष को कभी नहीं छोड़ा। उनका मिशन जारी रहा। उन्होंने कहा, ''उन लोगों का अभिनंदन, जो भारी बाधाओं के बावजूद गुलामों की मुक्ति, अपमानों, समस्याओं और खतरों को सहते हुए अपने संघर्ष को जारी रखेंगे, जब तक कि दलित अपने मानवाधिकारों को सुरक्षित न कर लें।"

डॉ. अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी का दृष्टिकोण :– डॉ. अम्बेडकर ने 1932 के पूना पैक्ट के रूप में महात्मा गांधी के साथ अपना मूल अंतर व्यक्त कर दिया था, जिसके द्वारा उन्होंने कांग्रेसियों को एक स्पष्ट संदेश दिया कि हरिजन अपने नेतृत्व, शक्ति और कार्यक्रमों को विकसित करेंगे तथा स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र में अपने वोट का प्रयोग करना चाहेंगे। यह सोच और योजना जो कांग्रेस की नीति और कार्यक्रम की अवहेलना थी, को महात्मा गांधीजी के दृष्टिकोण से पृथक एवं उद्दंडतास्वरूप लिया गया, जबकि महात्मा गांधी स्वतंत्र, चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोणों के विरोधी नहीं थे। वे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति, सामाजिक–आर्थिक और औद्योगिक

आधुनिकीकरण की समस्याओं के लिए एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण के सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के पक्ष में थे।

महात्मा गांधी के विचार और योजनाएं कांग्रेस पार्टी के योजनाओं और कार्यक्रमों के निकट दृष्टिगोचर होती थीं, जबकि अंबेडकर की योजनाएँ पृथक विकास, पृथक मतदाताओं, अपने लोगों के लिए पृथक दलों और नीतियों के पक्ष में दिखती थीं क्योंकि उन्हें मुख्य धारा के हिंदू, कांग्रेस नेतृत्व पर विश्वास नहीं था। यह संभव है कि यदि महात्मा गांधीजी जैसे सार्वभौमिक रूप से उन्मुख, साहसी एवं व्यापक विचारधारा वाले नेता कांग्रेस पार्टी या सरकार के मामलों में होते, तो वे अम्बेडकर जैसे निर्भीक नेताओं के चुनौतीपूर्ण, समानांतर दृष्टिकोण का स्वागत करते और स्वयं पहल करते कि अपने लोगों की समस्याओं का समाधान हो एवं शेष भारतीयों के लिए एक उदाहरण स्थापित करने की स्वतंत्रता भी हो।

हालाँकि, जैसा कि पश्चात्वर्ती इतिहास से ज्ञात होता है, कांग्रेस पार्टी या सरकार के नेता इतने व्यापक विचारों वाले और व्यवसायिक नहीं थे कि वे अपने स्वतंत्र कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु अम्बेडकर पर विश्वास कर सकें। कांग्रेस के नेता और मंत्री सामान्यतः अंबेडकर को विश्वास में लेने और उनके विचारों व प्रयोगों को कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों का हिस्सा बनाने में विफल रहे।

यद्यपि इस विषय में कुछ भूल डॉ. अम्बडेकर की ओर से होना भी सम्भव था, अतः परिणामस्वरूप कांग्रेस ने अपनी अनुसूची जाति नीति और कार्यक्रमों को विकसित किया तथा अनुसूचित जाति के नेताओं का अपना प्रकार और श्रेणी थी, ताकि अम्बेडकर को दरकिनार किया जा सके, साथ ही उन्हें बिना कांग्रेसी सहयोग के अपने विचारों और कार्यक्रमों का अनुसरण करने हेतु छोड़ दिया जाए। यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के नेता महात्मा गांधी की वास्तविकता, ईमानदारी, गम्भीरता, निर्भीकता और सार्वभौमिकता के मानक पर खरे नहीं उतरे और इसी कारण वे 1930, 40 और 50 के दशकों के विभिन्न चरणों में अंबेडकर द्वारा प्रारम्भ किए गए साहसिक और रचनात्मक कार्यक्रमों में साथ नहीं आ सके।

संदर्भ :–

- आगलावे, डॉ. प्रदीप. – ''महान समाजशास्त्री डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर'', सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005
- कृपलाानी कृष्ण (अनु. नरेश 'नदीम'), गांधी : एक जीवनी, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 1983
- सिंह, डॉ. अवध बिहारी. – ''डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का तुलनात्मक अध्ययन'', राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2013
- जाटव, डॉ. डी.आर. – गांधी, लोहिया और अम्बेडकर, समता साहित्य सदन, दिल्ली, 2015

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

स्त्रियों में अपराधिता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (महाकौशल संभाग के विशेष संदर्भ में)

डॉ. इंदू ठाकुर
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्यप्रदेश
रूचि सिंह
शोध छात्रा, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्यप्रदेश

सारांश :– स्त्रियों में अपराधिता एक गंभीर समस्या है क्योंकि यह परिवार, बच्चों के पालन पोषण तथा समाज के संपूर्ण ताने बाने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। यदि हम देखे तो भारत में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों की संख्या दिनो दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए यह एक संकट उत्पन्न करने वाली गंभीर समस्या है। चूँकि महिलाओं का समाज में एक मुख्य स्थान है साथ ही साथ महिला परिवार की एक मुख्य निर्माणक भी है इसलिए यह अत्यंत जरूरी है महिलाओं द्वारा किए गये अपराध का कारण जानना प्रस्तुत प्रपत्र में महिलाओं द्वारा किए गये अपराधों के कारण व महिला अपराधियों की सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि को विवेचित करने का प्रयास किया है।

शोध का परिचय :– भारत में अपराध की दर अत्यंत तीव्रगति से बढ़ से रही है। साथ ही उसके प्रवृत्ति एवं स्वरूप में भी परिवर्तन लक्षित हो रहा है। संख्यात्मक दृष्टि से लगातार यह परिलक्षित होता है कि महिलाओं के द्वारा कम अपराध किए जाते हैं, दूसरे शब्दों में महिलाएँ कम अपराधिक होती हैं। इसके पीछे अनेक कारणों को बताया गया है। (अहूजा राम, 1969)

महिलाओं के अपराधिक गतिविधियों का प्रभाव भारतीय संदर्भ में बहुआयमी होता है। तथा इसे व्यक्तिगत अंर्तव्यक्तिक, पारिवारिक, अंर्तपारिवारिक अंर्तपीढ़ी एवं सामुदायिक आधार पर दीर्घकालीन संदर्भ में देखा और परखा जाता है।

पूर्व में प्रचलित या मान्यता थी अपराध एक पूर्वसोचित व्यवहार है आज असत्य प्रतीत होने लगा है और महिलाओं की अपराधिता सुस्पष्ट होने लगी है क्योंकि पूर्व के सापेक्ष वर्तमान में महिलाओं की भूमिकाओं एवं उसके क्षेत्र में व्यापक लक्षित है तथा नवीन सांस्कृतिक प्रतिमानों ने नारी अपराधिता के विभिन्न आयामों, मात्रा, डर, गंभीरता में अंतर उत्पन्न किया है।

नारी अपराधिता एक गंभीर समाजिक समस्या है, जैसा की पूर्व में उल्लेखित है यह संकट उत्पन्न करने वाली समस्या है क्योंकि यह परिवार, बच्चों के पालन पोषण तथा समाज के संपूर्ण तानेबाने को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

विगत वर्षों में महिलाओं में अपराध की बढ़ती दर ने ना केवल सामाजिक चिंता उत्पन्न किया है बल्कि अकादमिक क्षेत्र में काम करने वाले शोधार्थियों का ध्यान भी आकर्षित किया है।

महिला अपराधिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों का उल्लेख आवश्यक है:–

1. अपराधी – वे महिलाए जो भारतीय दंड संहिता के आधार पर न्यायालय द्वारा दोशी सिद्ध हैं।
2. आरोपी – ये वे व्यक्ति हैं जो किसी अपराध के संदर्भ में पुलिस अभिरक्षा में हैं।
3. रिमांड – यह ऐसे व्यक्तियों के लिए संबंधित है जो कारागार में निरूद्ध है तथा जिन पर न्यायालय में विचारण हेतु प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।
4. विचाराधीन – दोष असिद्ध अपराधी ये वे व्यक्ति है जिन पर अपराध के प्रकरण के विरूद्ध न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत है।

भारतीय संदर्भ में उपर्युक्त अध्ययनों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सन् 1950 तक महिला अपराधिता पर कम अध्ययन हुए हैं। अंधिकांश अध्ययन एक छोटे निदर्श पर आधारित, एक कारागार पर आधारित सूक्ष्म स्तर पर रहा है।

महिला अपराधिकता सामाजिक दृष्टिकोण से अधिक गंभीर माना गया है और इसमें सतत् वृद्वि देखी जा रही है। विभिन्न अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि महिला अपराधी सापेक्षिक रूप से कम उम्र की है तथा वे सापेक्षिक रूप से निम्न शिक्षित, निम्न आर्थिक स्थिति के तथा विवाहित है।

परिवारिक कुसामंजस्य, अतिसंवेदनशीलता, तनाव एवं कुंठा, अवसाद एवं सांवेगिक असुरक्षा महिला अपराधिता के महत्वपूर्ण कारण है।

महिलाओं के अपराधिक कृत्य में उनके परिवारिक, परिचय अथवा अंतरंग व्यक्तियों की सहायता पाई जाती है।

नगला (1982) ने यह भी बताया है कि अपराध में वृद्धि के मिश्रित वार्षिक दर में पुरूषों (9%) की तुलना मे महिलाओं में (10%) की वृद्धि दिखाई दे रही है। अतः साहित्य समीक्षा से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि प्रस्तुत विषय अनुसंधान हेतु उचित एवं महत्वपूर्ण शोध समस्या मानी जा सकती है।

साहित्य समीक्षा के आधार पर अध्ययन के महत्वपूर्ण उद्देश्य निम्नानुसार है –

1. महिला अपराधियों के सामाजिक पृष्ठभूमि की व्याख्या करना–
   - जाति एवं समुदायिक पृष्ठभूमि
   - शैक्षिक पृष्ठभूमि
   - धार्मिक पृष्ठभूमि
   - परिवारिक पृष्ठभूमि
2. महिला अपराधियों के आर्थिक पृष्ठभूमि की व्याख्या करना –
   - आय का स्रोत
   - व्यवसाय
   - वर्गीय विश्लेषण
3. महिला अपराधिता के निहितार्थ को ज्ञात करना।
4. महिला अपराधियों का पारिवारिक सदस्यों के प्रति अभिमत तथा अन्य अंतः वासियों तथा जेलकर्मियों के प्रति अंतः किया।
5. महिलाओं में अपराधिता की प्रकृति एवं आयामो को ज्ञात करना।

अध्ययन क्षेत्र में किये गये कार्यों का संक्षिप्त पुनर्रावलोकन :– महिला अपराधिता के विभिन्न आयामों पर कतिपय अध्ययन पूर्व में संचालित किए गए हैं।

प्रो. राम आहूजा (1969) ने अपनी पुस्तक, **फीमले ऑफेंडर्स इन इंडिया** में व्यापक रूप से विचार किया है। आपने महिलाओं को विचलित व्यवहार के सैद्धांतिक संदर्भो की व्याख्या करते हुए अपराध के प्रतिमान, सामाजिक सांस्कृतिक पूर्ववृत्त, अपराध एवं तनाव मूलक परिस्थितियों में संबंध, परिवारिक अनुकूलन को विवेचित करने का प्रयास किया है। उन्होने यह पाया है कि महिला अपराधियों के परिवारो में गलत अनुकूलन एवं असमायोजन के कारण अधिकांश अपराध घटित होते हैं। आपने विवाह की उम्र और अपराधिता के बीच साहचर्य स्थापित करने का प्रयास किया है। आपने पति के अनैतिक व्यवहार को भी महिला अपराधिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है।

आहूजा ने महिला अपराधिकता हेतु महिलाओं के व्यक्तिगत शील–गुण एवं अभिवृत्त को भी समान रूप से महत्वपूर्ण माना है। महिला अपराधिकता में कम उम्र की महिलाओं की संलग्नता अधिक है।

कम आर्थिक समृद्वि वाले परिवारों की महिलाओं में अपराधिता की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों में कम अपराध होते हैं। महिला अपराधिता में संवेग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। महिला अपराधियों को सजा खत्म करने के उपरांत परिवारिक एवं दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करने की इच्छा होती है, परंतु अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

सान्याल गुप्ता (1975) ने लखनऊ के नारी बंदी गृह के अध्ययन में 25 हत्या के दोष सिद्ध महिला अपराधियों के अध्ययन उपरांत यह बताया है कि विवाहित महिला अपराधियों में उच्च अवसाद संवेगात्मक असंतुलन, असुरक्षा, कुंठा, निम्न आत्म सम्मान, अपराधबोध आदि से पाया जाता है। वे कठोर जीवन परिस्थितियों, प्यार में हताशा सहित तथा अनेक दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों से गुजरी है जो उन्हे जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने में बाधक होती है।

एस.के.प्रसाद :– ने तमिलनाडु में महिला हत्यारिनों के अध्ययन के उपरांत यह पाया कि सभी महिला अपराधी अपने विवाहित जीवन में अत्यंत कुंठा ग्रस्त थी और यौनिक संबंधो में पूर्ण असंतुष्ट थी। 90 प्रतिशत महिला अपराधी निम्न आय वर्ग से थी। परिवार के अंतर्गत (क) पतियों के मद्यपान, मादक द्रव्य व्यसन तथा जुऐं की लत (ख) पारिवारिक परिस्थितियों में रूचि का आभाव एवं प्रेम की कमी (ग) बालात्त् विवाह (घ) यौनिक नापुंसकता तथा पति से आसामंजस्य (ड़) पति

के अन्य महिलाओं से संबंध के कारण (च) अत्याधिक खर्च एवं कम आय (छ) यौनक्रिया को लेकर विवाद (ज) सम्पत्ति को लेकर ईर्ष्या।

केरापाला पी ने अपने प्रसिद्व अध्ययन ''A Study in Indian Crime'' में पुरूष एवं महिला अपराधियों के बीच अनेक तुलनात्मक अवलोकन प्रस्तुत किए हैं। आपने अपने शोध में अपराधिक व्यवहार के संरचनात्मक प्रतिमान को महत्व दिया है जिससे परिवर्तन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अलग किया जा सके। आपने अपने अध्ययन में अपराधियों के उम्र संगठन, अनेक व्यवसायिक प्रतिमान, समूह एवं धर्म स्थिति आदि को सम्मलित किया है। अध्ययन का क्षेत्र आर्थर रोड कारागार, बाम्बे है तथा प्राथमिक समंको के संकलन हेतु साक्षात्कार पद्वति का प्रयोग किया गया है।

आपने यह पाया कि महिला अपराधियों में 22–40 वर्ष समूह का अनुपात उच्च होता है। महिला अपराधियों में नगरीय संदर्भ में सामान्य जनसंख्या के शिक्षा स्तर से थोड़ा कम शिक्षा स्तर पाया जाता है। नगरीयकरण का प्रभाव महिला अपराधिता पर देखा जाता है। आपने यह पाया कि प्रत्येक प्रकार के अपराध के लिए उच्च वृद्वि दर पायी गई है जो जनसंख्या के वृद्वि दर से अधिक तीव्र है।

गोटे एवं ग्वाहाने ने यरवडा केन्द्रीय जेल पुणे के 50 दोष सिद्व अंत: वासियों का अध्ययन किया है तथा महिला अपराधिता के उत्तरदायी कारकों को ढूढ़ने का प्रयास किया है। आपने यह बताया है कि महिला अपराधियों के उम्र का संबंध अपराधिता से है। महिला अपराधिता के संदर्भ में उम्र जितनी कम होगी अपराध की संभावना उतनी ही उच्च होगी चूँकि अधिकांश महिला अपराधी गैर आदतन प्रथम प्रयास की अपराधी होती है। अतः उन्हे आदतन अपराधियों से अलग रखना उचित होगा।

भनोत, एम.एल.एवं मिश्रा, एस. ने अपने मोनोग्राफ **''क्रिमिनेलिटी एमंग्स्ट वूमेन इन इण्डिया''** ने भारत में महिला अपराधिता की प्रकृति एवं प्रतिमान पर इस दृष्टिकोण अध्ययन किया है कि अपराध शास्त्री, सामाजिक सुधारक एवं पुलिस तंत्र को महिलाओं की बढ़ती हुई अपराधिता के लिये नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण के परिपेक्ष्य में पुर्नउन्मेशित किया जा सके।

उन्होंने तीन केन्द्रीय कारागारों लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद तथा तीन जिला जेल फतेहगढ़, मथुरा तथा कानपुर के 641 महिला सजायाफताओं पर अपना अध्ययन किया है। आपने निरूद्ध महिला अपराधियों के समाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों यथा उम्र, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, अपराध के प्रकार तथा दण्ड की प्रकृति एवं अवधि को विश्लेषित किया है। अध्ययन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नानुसार है:–

1. भारत में महिला अपराधियों की गिरफ्तारियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ रही है।
2. महिला अपराधियों के द्वारा हिंसात्मक अपराध कम किये जाते हैं झगड़ा, आपसी तोड़–फोड़, चोरी एवं उठाईगिरी सहित ठगी जैसे अपराधों में संलग्नता अधिक होती है।
3. भारत में महाराष्ट्र में सर्वाधिक महिला अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है।

प्रस्तावित शोध कार्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान :– प्रस्तावित शोध कार्य के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान गोटे एवं ग्वाहाने का है।

गोटे एवं ग्वाहाने ने यरवडा केंद्रीय जेल पुणे के 50 दोष सिद्व अंत वासियों का अध्ययन किया है तथा महिला अपराधिता के उत्तरदायी कारकों, भारत में महिला अपराधियों के समाजिक, आर्थिक समस्याओं महिला अपराधिता की विशेषता एवं प्रतिमानों को उद्घाटित करने एवं पश्चिमी समाज के सांथ तुलना करने तथा महिला अपराधिता के रोकथाम के उपायों एवं उनके पुनर्वास की संभावनाओं को विवेचित करने का प्रयास किया है।

आपने यह बताया है कि महिला अपराधियों के उम्र का संबंध अपराधिता से होता है 25–35 वर्ष की आयु में महिला सजायाफताओं में सर्वाधिक अपराधिक व्यवहार होता है। आपने यह बताने का किया है कि महिला अपराधिता के संदर्भ में उम्र जितनी कम होगी अपराध की संभावना उतनी ही उच्च होगी। निम्नवर्ग संस्कृति अपराध को जन्म देने में सहायक भूमिका निभाती है। जाति के आधार पर अपराधिता समान होती है। महिला अपराधिता अशिक्षित महिलाओं में अधिक पाई जाती है।

आपने यह बताया है कि महिला अपराधिता का मुख्य कारण पारिवारिक और सामंजस्य एवं परिवार के अंतर्गत कमजोर अंतःक्रियात्मक प्रतिमानों एवं संबंधो का होना है। वर्तमान भारतीय संदर्भ में आदतन महिला अपराधी ने पुरूषोचित अपराध प्रतिमान तथा स्मगलिंग, आतंकवाद, मादक द्रव्य के यातायात आदि में संलग्नता दिखाई देने लगी है जिससे यह प्रतीत होता है कि भारत में महिला अपराधिता की प्रकृति में परिर्वतन हो रहा है।

गोटे एवं ग्वाहाने ने यह बताया है कि अधिकांश महिला अपराधी गैर आदतन प्रथम प्रयास की अपराधी होती है। अतः उन्हे आदतन अपराधियों से अलग रखना उचित होगा।

शोध कार्य अवधि का प्रस्तावित शोध पद्धतीशास्त्र :– अनुसंधान की अवधि में शोधार्थी द्वारा प्रमाणित शोध पद्धतिशास्त्र का प्रयोग किया जायेगा।

अनुसंधान प्ररचना:– अध्ययन के उद्देश्यों के आधार पर प्रस्तावित शोध कार्य हेतु वर्णानात्मक, विश्लेषणात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया जायेगा। प्रथम एवं तृतीय उद्देश्यों के लिये वर्णानात्मक तथा द्वितीय उद्देश्य हेतु विश्लेषणात्मक शोध प्ररचना की मान्यताओं के आधार पर अनुसंधान की दिशा को निर्धारित किया जायेगा।

अध्ययन क्षेत्र :– म.प्र. राज्य के जबलपुर संभाग के नेता जी सुभाषचन्द्र बोस केन्द्रीय जेल, कटनी एवं नरसिंहपुर जिला के जिला जेलों को अध्ययन के क्षेत्र के रूप मे सीमित रखा गया है। पूर्व मे किये गये अध्ययनों के क्षेत्र एक कारागार तक सीमित रहे हैं। शोधार्थ ने प्रतिनिधि सूचना दाताओं की संख्या को ध्यान देने योग्य बनाने के लिये तीन जिलों का चयन किया है।

जबलपुर, कटनी तथा नरसिंहपुर जिलों का भौगोलिक क्षेत्र नगरीय, ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक विस्तारित है, अतः इन तीनों ही क्षेत्रों में महिला अपराधियों की उपस्थिति की संभावना अधिक है और अध्ययन क्षेत्र का चुनाव तार्किक रूप से उचित है ।

सूचनादाताओं की पहचान एवं निदर्शन :– अध्ययन क्षेत्र के तीनों ही कारागारों को सजायाफता महिला रहवासी अध्ययन हेतु सूचनादाताओं के रूप में चिन्हित किया गया है। अंतिम रूप से निदर्श का चुनाव निम्नलिखित सारणी के अनुसार किया गया है :–

क्रमांक	नाम	कुल सजायाफता महिला कैदी
1	नेताजी सुभाषचंद्र बोस केन्द्रीय जेल, जबलपुर	113
2	जिला जेल, कटनी	65
3	जिला जेल, नरसिंहपुर	43
	कुल	**221**

अध्ययन की सुविधा को देखते हुये 200 ईकाईयों का चयन किया जायेगा क्योंकि उस काल अवधि में 10 प्रतिशत इकाईयों की अनूपलब्धता अनुमानित की गई है।

अध्ययन की प्रकृति सम्पूर्ण अध्ययन की है जिसमें उपलब्ध सभी 200 इकाईयों को अध्ययन हेतु स्वीकार किया जायेगा।

सूचना संकलन के यंत्र :– प्रस्तावित शोध कार्य हेतु समाज विज्ञान में प्रचलित एवं प्रमाणित क्षेत्र अध्ययन पद्धतियों एवं तकनीकियों का प्रयोग किया जाना प्रस्तावित है इस कार्य हेतु क्षेत्र अध्ययन पद्धती का प्रयोग होगा जिससे तथ्यों के संकलन के लिए पूर्व परिक्षित साक्षत्कार, अनुसूची का प्रयोग किया जाएगा। तथ्यों की सूक्ष्मता की समीक्षा हेतु 10 इकाईयों का व्यक्तिक अध्ययन किया जाना प्रस्तावित है।

विभिन्न कारागारों के विषय में ऐतिहासिक जानकारी एवं विभिन्न वर्षों में अंतःवासियों की संख्या आदि के विषय में सामग्री संकलन हेतू द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाएगा।

तथ्य विश्लेषण :– संकलित तथ्यों के कम्प्यूटर द्वारा प्रसंस्करित करने के बाद उद्देश्य अनुसार एकगुणीय अथवा द्विगुणीय सार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है जिससे संख्या एवं प्रतिशत को दर्शाया जाएगा उद्देश्य के अनुरूप विश्लेषण किया जाएगा एवं निष्कर्षों की प्राप्ती की जाएगी।

प्रस्तावित शोध कार्य के प्रत्याशित प्रतिफल :– प्रस्तावित शोध कार्य के निम्नांकित प्रतिफल प्रत्याशित है:–

1. महिला अपराधियों के सामाजिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त होगी।
2. शोध कार्य निश्चित रूप से महिला अपराधिता के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक आधारों के निधारिकों को व्यक्त करेगा।
3. शोध के निष्कर्ष महिला अपराधियों का अन्य के संदर्भ में दृष्टिकोण एवं प्रतिक्रिया को उद्घाटित करेगा जिसके आधार पर उसका जीवन उन्मेश ज्ञात होगा।

संदर्भ सूची :–

- **आहूजा राम,** ''फीमेल ऑफेंडर्स इन इण्डिया'' मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ,1969, पृष्ठ 2
- **सन्याल शुभ्रा,** ''एन इम्पेरिकल स्टडी ऑफ सर्टेन पर्सनेलिटी करेक्टेरिस्टिक्स एण्ड एटिट्यूड ऑफ 25 फीमेल कन्विक्टस ऑफ नारी बंदी निकेतन'' सोशलडिफेन्स, 11, 41–31–43
- **प्रसाद, एस.के.** ए.स्टडी ऑफ वूमेन मर्डररस इन तमिलनाडु, क्वोटेड इन ''फीमेल काईम इन इंडिया एण्ड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ काईम'' कल्पाज प्रकाशन, दिल्ली, 2009
- **केरावाला, पी.सी.,एस.के.** ए.स्टडी इन इण्डियन काईम, इन ''फीमेल काईम इन इंडिया एण्ड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ काईम'' कल्पाज प्रकाशन, दिल्ली, 2009
- **गोटे व ग्वाहाने एस,** ''फीमेल क्रिमिनेलिटी एण्ड सोशियोलॉजीकल थ्योरीज'' साउथ एशियन सोशल रिसर्च पब्लिकेशन, औरंगाबाद, 1997
- **भनोत, एम.एल.एवं मिश्रा, एस,** ''द क्रिमिनेलिटी एमंगस्ट वूमेन इन इण्डिया'' ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेव्हलपमेंट, न्यू दिल्ली, 1978
- **नगला, बी.के.,** ''द क्रिमिनेलिटी ऑफ वूमेन इन इण्डिया'' द इण्डियन जनरल ऑफ सोशल वर्क, XL-III (3), 1982, P.36
- **डॉ घोष शुभ्रा,** ''फीमेल क्रिमनल्स इन इण्डिया'', उप्पल प्रकाशन , दिल्ली 1986
- **भोसले स्मृति ए,** ''फीमेल काईम इन इण्डिया एण्ड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ काईम'' कल्पाज प्रकाशन , दिल्ली, 2009
- **बाजपेयी अंजु, बाजपेयी पी.के.,** ''फीमले क्रिमिनेलिटी इन इण्डिया'' रावत प्रकाशन, जयपुर, नई दिल्ली, 2000

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

भारत का विभाजन जिन्ना की अवधारणा

डॉ. कुमारी अनुपमा भारती
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

वर्तमान सदी के तीसरे दशक में देश में तनाव का वातावरण था। देश विभाजन के कगार पर खरा था जो अंततः साकार भी हुआ। इस विभाजन संबंधी विभिन्न राजनीतिज्ञों एवं राजनितिक दलों के प्रस्ताव सामने आये। पहले तो कुछ नेता इसके पक्षधर थे तो कुछ भारत बटवारा करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन वे ही नेता जिन्होंने बार–बार भारत के बटवारे का विरोध किया। वे ही इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत का विभाजन कर स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया जाये। जिन्ना, नेहरु एवं पटेल १९४६ तक भारत का बटवारा नहीं देख पा रहे थे। परन्तु कुछ परिस्थितियों एवं दकियानुसी हिन्दु–मुस्लिम नेतृत्व ने दोनों सम्प्रदायों के बीच चली आ रही एकता की दीवार में दरार पैदा कर दी। जिन्ना इस दरार को पाटने की कोशिश में लगे थे। उनकी कोशिशों का ही परिणाम था कांग्रेस–लीग समझोता जो 1916 के लखनऊ अधिवेशन के समय हुआ था। जिन्ना की ईमानदारी के साथ की जा रही कोशिशों से प्रभावित होकर सरोजनी नायडू ने उन्हें हिन्दू –मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था।

सरोजनी नायडू के ये चार उद्धरण है जिनसे जिन्ना के विचारो कार्यो और व्यक्तित्व को समझा जा सकता है।

1. मै पूरी जिंदिगी कट्टर कांग्रेसी रहा हुं और साम्प्रदायिक नारों से मुझे लगाव नहीं रहा।
2. हम भारत को बाँट कर रहेंगे "जिन्ना ने कसम खाई थी या फिर हम इसे नष्ट कर देंगे"।
3. जिन्ना ने हिन्दुओं को मुसलमानों से घृणा करना सिखाया और मुसलमानों को हिन्दुओं से। १९३७ तक जिन्ना पढ़े लिखे हिन्दुओ के बहुत प्रिय थे। वे जिन्ना के धर्मनिरपेक्ष विचारो और राष्ट्रीय उदेश्यों के प्रति उनके समर्पण के समर्थक थे।
4. जिन्ना हिन्दू –मुस्लिम एकता के राजदूत है।

पहला उद्धरण कांग्रेस –लीग समझोते के अवसर पर जिन्ना द्वारा दिए गए भाषण का अंश है, जिसे रजनी पामदत्त ने अपनी पुस्तक में उद्धत किया है। सत्र १९०६ में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और उसी वर्ष जिन्ना वेरिस्टरी की परीक्षा पास कर लौटे थे और कांग्रेस में सम्मलित हो गए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि वहां अध्ययन काल में ही राष्ट्रीयता और आजादी के लिए ललक पैदा हो चुकी थी। 1906 और 1916 के बीच के दस वर्ष कांग्रेस के इतिहास में मुख्यतः दो कारणों से उल्लेखनीय रहे। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने अपने नीति के तहत बंगाल को दो हिस्सों में बाँट दिया था। उद्येश्य था देश में और विशेषतः बंगाल में जोर पकड़ता राष्ट्रीय भावना और ताकत को खत्म करना लगभग पाँच वर्षो के देशव्यापी आन्दोलन से मजबूर होकर बंगाल विभाजन एक्ट अंग्रेजो को वापस लेना पड़ा था।

इसके बाद आजादी और कांग्रेस के इतिहास में एक नया तूफान आया– गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन के नाम से आन्दोलन की अवधारणा पूर्णरूपेण अभूतपूर्व था, जिसके विषय में कांग्रेस के नेताओं ने कभी सोचा भी नहीं था स्वरुप और कार्यक्रम भी बिलकुल नया था। इसलिये बहुत सारे नेताओं ने उसका विरोध किया था। कलकत्ता कांग्रेस में आन्दोलन का प्रस्ताव गाँधी जी ने रखा था। लाला लाजपत राय उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी प्रस्ताव का विरोध किया था। देशवन्धु चितरंजन दास ने भी प्रश्न उठाया था। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर विरोध करते हुए भी वे सब कांग्रेस के साथ थे। विरोधियो में जिन्ना प्रमुख थे और किसी भी तरह से असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इसलिये कुछ नेताओ के साथ जिन्ना भी कांग्रेस से निष्काषित कर दिए थे। 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया। जिन्ना का कांग्रेस से मतभेद उसी समय शुरु हो गये थे जब 1918 में गाँधी जी द्वारा राजनीति में अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा और हिन्दू मूल्यों को बढ़ावा दिया गया। जिन्ना का मत उनसे अलग था। जिन्ना का मानना था कि सिर्फ संवैधानिक संघर्ष से ही आजादी पायी जा सकती है, गाँधी जी द्वारा खिलाफत आन्दोलन का समर्थन किया गया था। भारतीय मुसलमानों के प्रति कांग्रेस के उदासीन रवैये को देखते हुए जिन्ना ने कांग्रेस त्याग दी उन्होंने देश में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और स्वशासन के लिए चौदह सूत्रीय

संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा। लाहौर प्रस्ताव के तहत उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का लक्ष्य निर्धारित किया। चौदह सूत्री प्रस्ताव इस प्रकार है–

1. प्रांतीय एवं केंद्रीय सभाओं में पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा मुसलमानों को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व।
2. केंद्रीय तथा प्रांतीय कार्यपालिकाओं में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत।
3. नागरिक प्रशासन में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व।
4. सेना की पंक्ति तथा सेना के उच्च पदों पर मुसलमानों का अनुपात 50 प्रतिशत।
5. परामर्शक्षत्री समितियो और आयोग जैसी जन कल्याणकारी संस्थाओ में 50 प्रतिशत भाग।
6. जिन अंतराष्ट्रीय संगठनो में भारत भाग लेगा उनमे 50 प्रतिशत मुस्लिम प्रतिनिधित्व।
7. यदि प्रधानमंत्री हिन्दू है तो उप प्रधानमंत्री मुसलमान।
8. यदि मुख्य सेनाध्यक्ष हिन्दू है तो उप सेनाध्यक्ष मुसलमान।
9. धारा सभा के 66 प्रतिशत मुस्लिम प्रतिनिधियों की स्वकृति के बिना प्रान्तीय सीमाओं में कोई हेरफेर नहीं।
10. बिना 66 प्रतिशत मुस्लिम सदस्यों की स्वकृति के किसी मुस्लिम देश के विपरीत कोई संधि नहीं।
11. धारा सभा की 66 प्रतिशत मुस्लिम सदस्यों की सहमति बिना कोई भी मुस्लिम संस्कृति, धर्म, अथवा धार्मिक रीति पर प्रभाव डालने वाला कानून पारित नहीं।
12. राष्ट्रीय भाषा उर्दू।
13. धारा सभा के 66 प्रतिशत मुस्लिम सदस्यों के स्वकृति बिना गोवध बंदी कानून नहीं, इस्लाम धर्म के विपरीत धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करना न्यायोचित नहीं।
14. धारा सभा के 66 प्रतिशत मुस्लिमो की राय के बिना विधान में कोई परिवर्तन वैध नहीं।

असल में जिन्ना विदेशी कपड़ो से बने शान शौकत प्रदर्शित करने वाले नफासत सूट को छोड़कर न तो खादी को स्वीकार करने को तैयार थे और न कोर्ट बहिष्कार के नाम पर अपनी चलती वैरिष्ट्री छोड़ने को तैयार थे। कांग्रेस से हटने के बाद जिन्ना भी उसी प्रवाह में बहने लगे थे। लेकिन तब भी मुस्लिम लीग से सक्रीय रूप से नहीं जुड़े थे। 1930–31 तक आते आते वे कांग्रेस और लीग दोनो से निराश और खफा हो गए थे परिणामस्वरूप देश छोड़ कर इंग्लैंड चले गए। वही रहमत अली ने पाकिस्तान का मसौदा बना कर उनके सामने पेश किया था, जिसे उस व्यक्ति ने एक असंभव कल्पना कह कर रद्द कर दिया था, जो भावी पाकिस्तान का पिता कहलाने का गौरव प्राप्त करने वाला था। यह घटना 1933 ई. की है। इससे एक और बात साफ होती है कि कांग्रेस के आजादी की और बढ़ते कदमो की ओर से निराश नहीं थे। मुस्लिम लीग के प्रति भी उनका कोई सक्रीय रूझान नहीं था। दूसरी ओर 1937 तक वे पढ़े–लिखे हिन्दुओं के बहुत प्रिय थे। वे जिन्ना के धर्म निरपेक्ष विचारों और राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रति उनके समर्पण के प्रशंशक थे।

वस्तुतः जिन्ना के जीवन में दो राह तब फूटा जब 1936 के चुनावो में कांग्रेस पार्टी ने उन राज्यों में जिन्ना अथवा मुस्लमान लीग का सहयोग लेने से इंकार कर दिया, जहां मुसलमान निश्चित रूप से अल्पसंख्यक थे। बेहद स्वाभिमानी जिन्ना को कांग्रेस का यह कदम व्यक्तिगत आक्षेप जैसा लगा। कांग्रेस के इस कृत्य से लोग को गहरा धक्का लगा और दोनों दलों के बीच खाई काफी चौड़ी हो गई। कांग्रेस की इस कुटिल कोशिश से जिन्ना को हमेशा के लिय यकीन हो गया कि कांग्रेस कभी उनके अथवा उनकी मुस्लिम लीग के लिये न्याय नहीं करेगी। लगभग उसी समय जवाहरलाल नेहरु के उस पत्र से भी दोनों दलों में दुरी बढ़ी जो उन्होंने जिन्ना के नाम लिखा था। उस पत्र में जवाहरलाल नेहरु ने कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से साफ लिखा था कि भारत में इस समय दो ही शक्तिया है एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद और दूसरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कुछ बड़े और अच्छे लोगो के रहने बावजूद मुस्लिम लीग पुरे मुस्लिम समुदाय का भी नेतृत्व नहीं करती।

उपर्युक्त दोनों कारणों से मुस्लिम लोग विशेषतः जिन्ना क्रोध से तिलमिला उठे थे ओर लीग को अधिकाधिक मुस्लिम जनता तक पहुंचने में जी जान से पिल गए थे। लीग ने इधर–उधर फेले विभिन्न असंतुष्ट मुस्लिम दलों और संगठनों को अपने में मिलाने की कोशिश की ताकि मुस्लिम लीग भारत में रहने वालो मुसलमानों की प्रमुख संस्था बन जाये। उसकी यह प्रयास एवं नीति असफल नहीं रही। यह भी सत्य है कि अंग्रेजो ने षडयंत्र पूर्वक जिन्ना को इस मार्ग पर लगाया, चुंकि वे गाँधी के विरुद्ध किसी को अपने पक्ष में

खड़ा करना चाहते थे। नमाज़ तक अदा न करने वाला, कुरान भी न जानने वाला जिन्ना सहज अंग्रेज का मित्र बन गया। अंग्रेजो ने जिन्ना के माध्यम से शासन और कांग्रेस के सामने मांगो का पुलिंदा रखवाना शुरू किया परन्तु आश्चर्य तो तब हुआ जब गाँधी जी भी उनके सामने झुकते चले गए। जिन्ना तो बस गाँधी, पूरी कांग्रेस और भारत के सभी हिन्दुओं को अपमानित करना चाहता था। इतिहास गवाह है की गाँधी जिन्ना को 'कायदे आजम' से संबोधित करते थे। वहां जिन्ना गाँधी को मिस्टर गाँधी से संबोधन करते थे।

कांग्रेस ने अपने रामगढ़ अधिवेशन 10 मार्च 1940 में एक प्रस्ताव पारित कर अपना पूर्ण स्वराज्य का ध्येय घोषित कर दिया था और विधान निमात्री सभा द्वारा भारतीय संविधान बनाने का लक्ष्य तय कर लिया था। मुस्लिम लीग पर इसकी भी प्रतिक्रिया हुई। वह आतंकित और भयभीत हो गई। इसके तुरंत बाद 26.03. 1940 में उसने अपना ऐतिहासिक महत्व का अधिवेशन जिन्ना की सदारत में लाहौर में किया गया। जिसमे दि राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर अलग पूर्ण प्रभुता सम्पन्न राष्ट्र की माँग की गई थी जिसमे भारतीय अंग्रेजी सरकार की महत्वपूर्ण प्रेरणादायक भूमिका थी। जिन्ना अपने समर्थक नेताओं के साथ पुरे मुस्लिम समाज के दिमाग में यह बात बैठा देने का प्रयास कर रहे थे कि मुसलमानों के सारे मर्ज कि दवा एक मात्र देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण है और अपने उस प्रयास में वे सफल भी हो रहे थे।

1937 और 1945 के बीच लोगो की स्थिति में और उसकी सापेक्षिक शक्ति में निर्णायक परिवर्तन हो गया। मुसलमानों ने अधिक से अधिक लोगो की संख्या 1400 से भी कम थी, जो लोग द्वारा प्रकाशित आकड़ो के अनुसार 1930 में लाखों तक पंहुच गई और 1944 में तो उसने अधिकारिक तौर पर दावा किया कि उसके सदस्यों कि संख्या २० लाख हो गई है। 1945 के चुनावो में इस बदली हुई स्थिति का पता चला, जब केन्द्रीय और विधान सभाओं के चुनावो में कुल 533 मुस्लिम सीटों में से 460 पर उसे सफलता मिल गयी थी। 1940–1945 के दौरान "भारत छोड़ो आन्दोलन "साम्राज्यवादी विश्वयुद्ध में भागीदारी से इंकार कांग्रेस पर लगे प्रतिबंध और कांग्रेसी नेताओं के जेल–प्रवास के कारण जिन्ना को अपनी शक्ति और वर्चस्व बढ़ाने का अवसर मिल गया था और उसका पूरा लाभ उन्होंने उठाया। ऊपर से अंग्रेजी सरकार की वरदहस्त भी उनके सर पर था ही। लीग को आज़ादी की चाहत नहीं, देश की अखंडता को तोड़ने कि सनक थी, इस बात को अंग्रेज भी भालीभांती समझ गए थे।

कांग्रेस के तमाम विरोधी समझते थे कि सरकार के दमनकारी नीति के कारण कांग्रेस पस्त हो गई है और वे ही लोग, खासकर अंग्रेज जिन्ना को लाड़ला मानकर लीग को भी छाती से लगाये हुए थे जिन्ना ने गाँधी जी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन के विरोध में जिन्ना ने विष वमन किया था यदि मेरी सरकार होती तो सविनय अवज्ञा करने वालो को जेल में डाल देता जिससे यह शक्तिशाली संगठन युद्ध–विरोधी आन्दोलन करने से रुक जाए।

देश में जो वातावरण बन रहा था खासकर मुस्लिम लोग और जिन्ना के कारण जो राजनीतिक और कौमी आग सुलगाई जा रही थी, उसमे पुरे देश के नुकसान हो जाने की आशंका बढ़ती जा रही थी, लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष के रूप में जिन्ना ने भाषण में कहां कि भारत के मुसलमान भारत की आज़ादी का असंदिग्ध रूप से समर्थन करते है। पर वह आज़ादी पुरे भारत कि आजादी होनी चाहिए न कि केवल एक वर्ग की यदि हिन्दू आज़ाद हो जाये और उसके बाद मुसलमानों को संघर्ष करने को कहा जाये। किसी भी अर्थ में मुसलमान स्वयं में एक राष्ट्र है और इससे इसी प्रकार निपटा जाना चाहिए हिन्दू और मुसलमान कभी एक साझी राष्ट्रीयता विकसित कर पाएंगे, यह एक कोरा सपना है भारत की समस्या दो समुदायों के बीच कि समस्या है। हिन्दुओं और मुसलमानों के धार्मिक तत्वज्ञान, सामाजिक रीति–रिवाज और साहित्य अलग–अलग है। उनमें न आपस में शादी ब्याह होते है, न आपसी खान–पान। वास्तव में उनका संबंध दो अलग–अलग सभ्यताओं से है जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत विचारों और धारणाओं पर आधारित है। जिन्दगी के बारे में उनकी सोच अलग–अलग है, जीने के अंदाज अलग–अलग है। यह स्पष्ट है कि हिन्दू मुसलमान अपनी प्रेरणा इतिहास के अलग–अलग स्त्रोतों से प्राप्त करते हैं। उनके महाकाव्य अलग है, वीर पुरुष अलग है भाषाएँ अलग है ज्यादातर एक का वीर पुरुष दूसरे का शत्रु होता है। उनकी हार और जीत भी भिन्न है। ऐसी दो अलग कौमो को एक राज्य के नीचे जबरदस्ती बिठा देने से जहाँ कि एक तबका बहुसंख्यक है और दूसरा अल्पसंख्यक, केवल कडवाहट ही बढ़ेगी और ऐसे राज्य का शासन चलाने के लिये जो

भी ताना–बाना तैयार किया जायेगा वह आखिरकार नष्ट ही हो जायेगा। राष्ट्र की किसी भी परिभाषा से मुसलमान एक अलग राष्ट्र ही कहलायेंगे और उनकी अपनी सरजमी अपना इलाका और अपना राज्य होना ही चाहिए।

16 अगस्त 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे जिसमे पुरे बंगाल में मुस्लिम मुख्यमंत्री सुह्राबर्दी के नेतृत्व में खुला हत्याकांड हुआ। अकेला कलकत्ता में ही ३००० हिंदु मरे गए। सड़के लाशों से पट गयी, जिन्हें तीन दिन तक नहीं उठाया गया। इससे कांग्रेसी नेता डर गए। यह देखकर जिन्ना ने कहा कि अब हिंदुओं का भी हित इसी में है कि वे पाकिस्तान कि मांग को स्वीकार कर ले। चाहे तो केवल हिंदुओ को कत्लेआम और विनाश से बचाने के लिए ही उसने स्पष्ट कहा कि या तो भारत का विभाजन हो या फिर विनाश। अंततः आधी रात को आजादी से पूर्व विभाजन संभव हुआ।

इतिहास भले ही कितना निर्मम और कटु हो पर उसे स्वीकार करना ही पडता है। देशभक्त जिन्ना को अलगावादी बनाने का श्रेय जहां एक ओर भारतीय मुसलमानो को है, तो दूसरी ओर गाँधी को भी है, जो नेहरु को अपने जीते जी भारत का प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते थे। देशभक्त जिन्ना के अलगाववादी बनने कि कहानी बताती है कि सांप को दूध पिलाने से उसका विष कम नहीं होता। आग में घी डालने से वह बुझने के बजाये और प्रबल होकर धधकने लगती है। आज देश में जैसा माहौल कायम किया जा रहा है, उसमे यह समझना एक बार पुनः जरुरी हो गया है।

संदर्भ सूची :–

1. मोहन सिंह, डॉ. भीमराव अम्बेडकर व्यक्तित्व के कुछ पहलू, लोकभारती प्रकाशन 2008 P–110
2. रजनी पाम्द्त्त, आज का भारत, पृ.471.
3. लौरिकलिन्दा, डोमिनिक लेपियर – आधी रात को आज़ादी पृ.25
4. रफिक जकारिया, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पृ.49
5. सरोजनी नायडू : जिन्ना की जीवनी
6. डॉ भीमराव अम्बेडकर, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन 1972 पृ.34
7. लैरिकलिन्स, डोमिनिक लेपियर – आधी रात को आजादी पृ.88–89
8. रफिक जकारिया, सरदार पटेल तथा भारतीय मुसलमान पृ.49
9. रफिक जकारिया वही पृ.49
10. रजनी पामदत्त, आज का भारत पृ.471
11. डॉ ताराचंद, भारतीय आन्दोलन का इतिहास पृ.367
12. रजनी पामदत्त, आज का भारत पृ.471
13. डॉ ताराचंद भा. स्व. आन्दोलन का इतिहास पृष्ट 495
14. I H Quereshi struggle for Pakistan, Karanchi 1987 –P-128-29
15. Ahmed Jamaludin (ed.) some recent speeches and writing of Mr- Jinnah Lahore 1947, P – 80-81
16. I-H- Quereshi struggle for Pakistan, Karachi 1987 p -128-129.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

समाचार पत्रों में प्रकाशित सामग्री एवं बाल्य जीवन

हेमकुमारी कुर्मी
शोधार्थी, महात्मा गॉधी चित्रकूट विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

प्रस्तावना :– सामान्य सांस्कृतिक आन्दोलन अनेक प्रतिज्ञाओं और मिशन के रुप में आरम्भ हुई। भारतीय पत्रकारिता के मूल में साहित्य और संस्कृति की गहरी संवेदनाएँ रही है। समाचार पत्र–पत्रिकाएँ किसी भी देश के आधुनिकीकरण का स्तम्भ मानी जाती है।

भारत में पत्र–पत्रिकाओं को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माना गया। सूचना क्रान्ति की तकनीकि के युग में मीडिया की सशक्त भूमिका रहती है। आज के बच्चे कल का भविष्य है पर देश के विकास में यदि हम अच्छे नागरिकों की संख्या बढाना चाहते है तो हमें बचपन से ही उनमें सम्पूर्ण विकास पर बल देना होगा। बाल्य काल में जैसी प्रवृत्तियों को बढावा देने वाली परिस्थितियॉ निर्मित होगी प्रायः वैसे ही बालक के व्यक्तित्व का निर्माण व विकास होगा।

प्राचीन समय में व्यक्ति अपने संयुक्त परिवार के साथ मिल–जुलकर रहता था। उसको बचपन में सुनाई गई कहानियॉ, लोक कथाएँ, पौराणिक–धार्मिक कथाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का पाठ पढा कर संस्कारों का ज्ञान वर्धन किया जाता था जिससे ज्ञान वर्धन ही नहीं बल्कि बच्चों के चारित्रिक विकास, साहस प्रेरणा सदभावना, प्रेम व देश भक्ति आदि गुणों का विकास होता था। संयुक्त परिवार प्राचीन समय में बच्चों के लिए एक विद्यालय से कम नहीं होते थे, पाठशाला में शिक्षक भी इन्हीं दायित्वों को बखूबी निभाते थे।

वर्तमान परिदृश्य में पहले की तुलना में तेजी से परिवर्तन आया है। यह परिवर्तन किसी एक क्षेत्र व स्तर में नहीं बल्कि कई रुपों में आता है। जिसमें संयुक्त परिवार की जगह एकाकी परिवारों ने ले ली है। बच्चों में तो विकास संयुक्त परिवार में सदस्यों के माध्यम से किया जाता था, उनकी जगह बच्चों में परम्परा और संस्कार के वाहक के रुप में इन माध्यमों ने महत्वपूर्ण जगह बना ली है।

आज कल की जीवन शैली एवं परिदृश्य में बच्चों को बाल अवस्था और स्कूल के दिनों में मीडिया के सम्पर्क में बहुत समय रहने का अवसर मिलता है यही सम्पर्क बच्चों पर गहरा और स्थायी प्रभाव छोडता है। दूसरे शब्दों में कहें तो मीडिया समाचार पत्रों में सामग्री जैसी दर्शायी गयी होगी वैसी ही प्रभाव छोडेंगी। यदि सामग्री सकारात्मक है तो सकारात्मक, नकारात्मक है तो नकारात्मक प्रभाव प्रोत्साहित करेगी। वर्तमान समय में कई ऐसे मीडिया साधन है जिनके सम्पर्क में बच्चे आते है। जैसे– समाचार पत्र, पत्रिका कॉमिक्स, टेलीविजन, रेडियो, इन्टरनेट, ट्यूटर, सोशल साइट इत्यादि माध्यमों के अनेक रुप है जिनके सम्पर्क में किसी न किसी तरह से जुडे रहते है, जो बच्चों को किसी न किसी तरह से प्रभावित भी करतें है।

कॉर्टून और ऐनीमेशन, थ्री डी फिल्में, भूत प्रेत, राक्षसों, परियों तथा अप्सराओं की कहानियॉ अत्यधिक लोकप्रिय है ऐसी दशा में इस बात की पडताल करना रोचक होगा कि इन माध्यमों के द्वारा जो सामग्री बच्चों के लिए परोसी जा रही है उनका बच्चों पर क्या और किस तरह से प्रभाव पड रहा है। ऐसी स्थिति में इस बात की आशंका बनी रहती है कि बच्चों तक वो सूचनाएँ भी पहुँच सकती है जिससे उसके बाल मन में टकराव व विकृति की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में बाल पत्रकारिता की सार्थक सोच और दिशा बच्चों को सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकती है। बाल पत्रकारिता दिशा में प्रिंट और विजुअल मीडिया के साथ–साथ इन्टरनेट एवं अन्य सोशल साइट्स की भी अहम और जिम्मेदार भूमिका बन गई है और बात एक बाल के सम्पूर्ण विकास की हो तो हर बच्चा अपने मॉ–बाप के लिए सर्वोपरि होता है और उसका विकास उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है।

उद्देश्य :–

1. समाचार पत्रों में प्रकाशित बाल सामग्री के विविध स्वरुपों का अध्ययन करना।
2. समाचार पत्र में समसामयिक बाल सामग्री के प्रस्तुतीकरण व उसके परिदृश्य का अध्ययन करना।
3. समाचार पत्रों में प्रकाशित बाल सामग्री का बच्चों पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :– यह शोध एक गुणात्मक शोध है उद्देश्य के अनुरुप इसके दो भाग होते है। पहले भाग में विविध स्वरुपों का अध्ययन किया गया है और दूसरे भाग में बच्चों के अभिमत का संग्रह करने के लिए उद्देश्य पूर्ण दैव निदर्शन पद्धति और सर्वेक्षण प्रविधि

का प्रयोग किया गया है। अभिमतों के सेग्रह हेतु साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

बल पत्रकारिता पर आधारित यह अध्ययन मूल रुप से मुद्रित माध्यमों पर आधारित है। मुद्रित माध्यमों में पत्रिकाएँ और समाचार पत्र आते है। बाल सामग्री के अध्ययन के लिए समाचार पत्रों में बाल परिशिष्ट में प्रकाशित बाल सामग्री का अध्ययन किया गया है।

1. पत्रिका
2. दैनिक भास्कर

समाचार पत्रों को लिया गया है। दोनों समाचार पत्रों की अन्तर वस्तु का विश्लेषण किया गया है।

द्वितीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तरदाताओं के रुप में 100 बच्चें लिये गये है जो समाचार पत्रों में प्रकाशित बाल सामग्री का अध्ययन करते है। उनसे अनुसूची के माध्यम से प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास किया गया है। ताकि प्रभाव का अध्ययन किया जा सकें।

सर्वेक्षण से प्राप्त ऑकडों का विश्लेषण :– अन्तरवस्तु विश्लेषण के आधार पर

1. दैनिक भास्कर के परिशिष्ट सिटी भास्कर एवं पत्रिका का परिशिष्ट पत्रिका प्लस का अध्ययन किया गया। जो निम्नवत् हैं–

सिटी भास्कर					
अवधि	दिन	पृष्ठ संख्या	कुल समाचार	कुल कॉलम	फोटो
06 / 07 / 2019	शनिवार	4	6	8	3
07 / 07 / 2019	रविवार	4	9	12	6
08 / 07 / 2019	सोमवार	4	4	7	2
09 / 07 / 2019	मंगलवार	4	8	22	10
10 / 07 / 2019	बुधवार	4	5	10	6
11 / 07 / 2019	गुरुवार	4	6	11	4
12 / 07 / 2019	शुक्रवार	4	7	13	5
13 / 07 / 2019	शनिवार	4	5	10	6
14 / 07 / 2019	रविवार	4	11	24	13
15 / 07 / 2019	सोमवार	4	8	10	4
16 / 07 / 2019	मंगलवार	4	7	17	10
17 / 07 / 2019	बुधवार	4	3	7	2
18 / 07 / 2019	गुरुवार	4	10	27	15
19 / 07 / 2019	शुक्रवार	4	9	19	14
20 / 07 / 2019	शनिवार	4	9	20	11

पत्रिका प्लस					
अवधि	दिन	पृष्ठ संख्या	कुल समाचार	कुल कॉलम	फोटो
06 / 07 / 2019	शनिवार	4	4	6	1
07 / 07 / 2019	रविवार	4	5	10	7
08 / 07 / 2019	सोमवार	4	4	9	4
09 / 07 / 2019	मंगलवार	4	8	17	7
10 / 07 / 2019	बुधवार	4	5	13	3
11 / 07 / 2019	गुरुवार	4	2	4	2
12 / 07 / 2019	शुक्रवार	4	16	30	14
13 / 07 / 2019	शनिवार	4	7	13	6

14 / 07 / 2019	रविवार	4	8	26	9
15 / 07 / 2019	सोमवार	4	6	11	4
16 / 07 / 2019	मंगलवार	4	4	6	3
17 / 07 / 2019	बुधवार	4	5	10	6
18 / 07 / 2019	गुरुवार	4	9	15	8
19 / 07 / 2019	शुक्रवार	4	5	9	4
20 / 07 / 2019	शनिवार	4	4	9	3

समाचार पत्रों में प्रकाशित सामग्री में :–

1. **सुडोकु** – जटिलता की समझ या अति ज्ञान वर्धन
2. **कार्टून कोना** – रचनात्मक, मनोरंजन
3. **पहेलियॉं** – पेचिदे सवालों के उत्तर देना, रचनात्मक, तर्क शक्ति में वृद्धि
4. **रंग भरो** – रचनात्मक कार्यों में वृद्धि
5. **प्रेरणात्मक कहानियॉं** – अति विश्वास, सही गलत में अन्तर, प्रेरणा
6. **अन्तर बताओ** – तर्क शक्ति का विकास
7. **सामान्य ज्ञान** – ज्ञान की वृद्धि
8. **कार्टून** – तर्क शक्ति व ज्ञान वृद्धि दोनों
9. **चित्र** – रोचक, मनोरम व आकर्षित करते हैं।

दोनों समाचार पत्रों की भाषा सरल, सहज व बाल अनुकूल है। शैली खडी हिन्दी व बुन्देली की मिलावट हैं। बोधगम्यता बच्चों के अनुकूल है। इसका प्रभाव भी सकारात्मक, शिक्षात्मक व विकासात्मक दिख रहा है। साथ ही साथ भरपूर मनोरंजन भी है।

2. समाचार पत्रों में प्रकाशित बाल सामगो का बच्चों पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन के लिए बाल उत्तरदाताओं के ऑकडों का विशेषण आवश्यक है।

बालक	बालिका	आयु	कक्षा प्रतिशत	कुल प्रतिशत
45	55	6–12 वर्ष	ukg–7	100

बालक उत्तरदाताओं के ऑकडों का विश्लेषण

बालक	आयु	कक्षा	संयुक्त परिवार	एकल परिवार	बच्चों की पढने की आदत	बाल सामग्री के अध्ययन की आदतें	प्रभाव
6	6–7 वर्ष	UKG-1	1	5	कार्टून देखना, चित्र देखना, रंग देखना	समाचार पत्र	रचनात्मक, मनोरंजन
20	6–9 वर्ष	1–3	8	12	कार्टून, अन्तर बताओ, चित्र में रंग भरों, पहेलियॉं	समाचार पत्र व कुछ पत्रिकाएँ	रचनात्मक, ज्ञान वर्धन मनोरंजन
19	9–12 वर्ष	4–7	5	15	सुडोकु, कार्टून कोना, पहेलियॉं, कहानियॉं, अन्तर बताओं	समाचार पत्र व कुछ पत्रिकाएँ	तर्क शक्ति रचनात्मक, ज्ञान वर्धन प्रेरणा वृद्धि, सही गलत के अन्तर
कुल–45			**13**	**32**			

बालिका उत्तरदाताओं के ऑकडों का विश्लेषण

बालिका	आयु	कक्षा	संयुक्त परिवार	एकल परिवार	बच्चों की पढने की आदत	बाल सामग्री के अध्ययन की आदतें	प्रभाव
10	6–7 वर्ष	UKG-1	1	9	कार्टून देखना, चित्र देखना, रंग देखना	समाचार पत्र	रचनात्मक, मनोरंजन
15	6–9 वर्ष	1–3	2	13	कार्टून, अन्तर बताओ, चित्र में रंग भरों, पहेलियॉ	समाचार पत्र व कुछ पत्रिकाऍ	रचनात्मक, ज्ञान वर्धन मनोरंजन
30	9–12 वर्ष	4–7	5	25	सुडोकु, कार्टून कोना, पहेलियॉ, कहानियॉ, अन्तर बताओं	समाचार पत्र व कुछ पत्रिकाऍ	तर्क शक्ति रचनात्मक, ज्ञान वर्धन प्रेरणा वृद्धि, सही गलत के अन्तर
कुल–55			**8**	**47**			

परिणाम :– समाचार पत्रों में प्रकाशित बाल सामग्री के विविध की जानकारी प्राप्त हो सकी। तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित सामग्री के अन्तर्गत क्या–क्या बाल सामग्री हमारे बच्चों को परोसी जा रही है उसकी जानकारी प्राप्त हो सकी तथा बाल सामग्री के समसामयिक स्वरुपों पर बच्चों की राय प्राप्त हो सकी। इस बाल सामग्री का अध्ययन से संयुक्त परिवारों व एकल परिवारों के बच्चों में अन्तर की जानकारी प्राप्त हो सकी। और कोमल बच्चों के मस्तिष्क व मन पर समाचार पत्रों में प्रकाशित बाल सामग्री अपनी अमिट छाप छोडती है, यह सिद्ध हो जाता है।

निष्कर्ष :– समाचार पत्रों में प्रकाशित बाल सामग्री हमारे बच्चों के लिए, रचनात्मक ज्ञानवर्धन, प्रेरणादायक होती है सिद्ध हो चुका है। समाचार पत्रों में प्रकाशित बाल सामग्री अधिक होना चाहिए। जिससे बच्चें शिक्षित हो, जानकारी के अभाव में कुरीतियों का अनुसरण न करें। एक सभ्य, शिक्षित, परोपकारी नागरिक बन सकें। जिसमें राष्ट्र के प्रति आदर प्रेम, सबके प्रति आदर भाव हो व बच्चों का सम्पूर्ण विकास हो सकें।

सुझाव :– बाल साहित्य का क्षेत्र व्यापक हो, इसके लिए जरुरी है कि समय–समय पर परिचर्चा, संगोष्ठी और सेमिनार आयोजित हो इस पर विचार विमर्श किया जायें कि आखिर किसी प्रकार बाल साहित्य को समृद्ध किया जाए। किस प्रकार बच्चों में बाल साहित्य पढने हेतु रुचि जाग्रत हों। बच्चों के नैतिक मूल्यों को उनके मनोविज्ञान के हिसाब से मार्गदर्शित कर सकें।

शोध प्रबन्धकी :–

1. **प्रियंका (2011–12).** पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन एवं उसका बाल विकास पर प्रभाव (फतेहपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में) महात्मा गॉधी चित्रकूट विश्वविद्यालय चित्रकूट, सतना (म.प्र.).
2. **सोनी अमरदीप (2011).** महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन (फतेहपुर जिले के विशेष सन्दर्भ में).
3. **कुशवाहा मधुलता (2011–12).** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पर पडने वाला प्रभाव (बांदा जिले के विशेष सन्दर्भ में).

शोध पत्र ग्रन्थ सूची :–

1. **यादव, सुनील कुमार (2017)** ने स्वाधीनता आन्दोलन और बाल साहित्य मीडिया विमर्श, 11 वर्ष अंक 43 अपैल जून ISBN 2249590 को प्रकाशित।
2. **सुरेन्द्र विक्रम (2017)** ने बाल पत्रकारिता का सफरनामा मीडिया विमर्श, 11 वर्ष अंक 43 अपैल जून ISBN 2249590 को प्रकाशित।

शोध ग्रन्थ सूची :–

प्रकाश मनु (2015) बाल पत्रकारिता. साहित्य अमृत पत्रिका, अगस्त

जैन प्रो. रमेश (2014) मीडिया समग्र भाग I नेशनल पब्लिकेशन, जयपुर

बधवा प्रियंका (2010) पत्रकारिता का इतिहास भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, नई दिल्ली

गुप्ता पू. जी. (2009) पत्रकारिता समस्या और समाधान अर्जुन पब्लिकेशन, नई दिल्ली

अनुपम रानी (2007) मातृ कला एवं बाल विकास विश्व भारतीय पब्लिकेशन, नई दिल्ली

उपाध्याय, आर्यन (2006) बाल विकास तथा मनोविज्ञान वंदना पब्लिकेशन, नई दिल्ली

वैदिक, वेद प्रकाश (2006) हिन्दी पत्रकारिता विविध आयाम भाग I हिन्दी बुक सेन्टर, नई दिल्ली

कुमारी मंजू (2000) भारत में बाल अपराध, प्रिन्ट पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्युटर्स, जयपुर

सिंह, राम गोपाल (2008) विकल्प की तलाश, बुद्ध से अम्बेडकर तक, जयपुर नेशनल पब्लिशिंग

मनु डॉ प्रकार (2014) हिन्दी बाल साहित्य– नई चुनौतियॉ और समस्याएँ, कृतिका बुक्स 19 राम नगर एक्सटेंशन 2, निकट अनारकली का गुरुद्वारा, दिल्ली

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

कार्यशील महिलाओं के कार्य पर परिवार का प्रभाव

आभा रानी आनंद
शोध छात्रा, समाज शास्त्र विभाग, रा.दु.वि.वि., जबलपुर
डॉ. सी.एस.एस. ठाकुर
विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, रा.दु.वि.वि., जबलपुर

सारांश :– परिवार एवं कार्य के मध्य संतुलन लैंगिक असमानता एवं महिला सशक्तिकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। एक ओर माँ एवं पत्नी के रूप में घर में भोजन बनाने, सफाई करने एवं सभी परिवारिक सदस्यों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ती करने वाली परम्परागत नारी है तो दूसरी ओर परिवारिक आय में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली एवं उद्योग, विज्ञान, कला एवं शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देने वाली आधुनिक नारी है। इन दोहरी भूमिकाओं के मध्य उसके लिये एक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। एक ओर एक कार्यशील महिला के रूप में लक्ष्य की प्राप्ति कार्य के घण्टे, कार्यालय का अनुशासन तथा अपने को कुशल कार्यशील महिला सिद्ध करने की जिम्मेदारी उसके परिवारिक जीवन को प्रभावित करती है तो वहीं दूसरी ओर पति, परिवार एवं बच्चों की जिम्मेदारियां उसके कार्य के दायित्वों को प्रभावित करती हैं और वह स्थानांतरण, पदोन्नती और कई बार पद त्याग तक का निर्णय ले लेती हैं।

एक ओर परिवार की जिम्मेदारी कार्यालय के कार्य को प्रभावित करती है तो दूसरी ओर कार्यालय की जिम्मेदारी पारीवारिक दायित्वों को प्रभावित करती है। आज की नारी इस दोहरी भूमिका के मध्य अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। जिसके कारण उसे अनेक मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है।

प्रस्तावना :– परम्परागत रूप से पुरूष की भूमिका जीविकोपार्जन करने वाले की तथा महिलाओं की भूमिका घर में बच्चों के लालन–पालन एवं पारीवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन की रही है। यद्यपि अनेक परम्परागत समाजों में महिलाओं की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण भमिका रहती है। कृषक एवं जनजातीय समाजों में महिलाएं अनेक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहती हैं जो उनकी समाज में भूमिका तथा निर्णय लेने की क्षमता को सुनिश्चित करती है। पुरूष प्रधान समाज ने महिलाओं की भूमिका को बच्चों के लालन पालन एवं घरेलू कार्यों तक सीमित कर दिया। परन्तु महिलाओं ने शिक्षा एवं रोजगार के प्रसार के साथ–साथ वे रोजगार के सभी क्षेत्रों में आज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। परन्तु इस भूमिका परिवर्तन के कारण उनके ऊपर दोहरी भूमिका का दायित्व आ गया है। एक ओर कार्यालय कार्य का दवाब है तो दूसरी ओर पारीवारिक जिम्मेदारियां। यह दोनों दायित्व एक मानसिक दवाब उत्पन्न करती है, जिसका प्रभाव महिलाओं पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई बार पारीवारिक जिम्मेदारियों के कारण उन्हे अपने प्रमोशन, स्थानांतरण यहां तक की नौकरी तक से समझौता करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर कार्य के दवाब के कारण उनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी प्रभावित होती हैं।

परिवार स्वयं भी इस बदलती भूमिका के लिये तैयार हो रहा है। पति, परिवार एवं बच्चे जहां एक ओर जिम्मेदारी हैं वहीं वे अपनी मौलिक आवश्यकताओं हेतु आत्मनिर्भर भी हो रहें हैं। साथ ही वे अपना यथासंभव सहयोग भी प्रदान करते हैं।

जबलपुर मंडल में कार्यरत् महिलाकर्मियों के कार्य में पति एवं परिवार द्वारा सहयोग प्रदान करने तथा उनकी जिम्मेदारी के कारण आने वाली समस्याओं जैसे की प्रमोशन, स्थानांतरण इत्यादि पर प्रभावों का अध्ययन किया गया है।

साहित्य सर्वेक्षण :–

डॉ. सुनीता तिवारी एवं डॉ. संजय तिवारी (2015) ने ''औद्योगिक विकास एवं महिला श्रमिक'' में जबलपुर एवं कटनी के औद्योगिक महिला श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन किया तथा पाया कि पारिवारिक समस्याएं, बच्चों का पालन पोषण, दोहरे दायित्व, कार्य के अनिश्चित घण्टें तथा भर्ती ठेकेदारों द्वारा शोषण

प्रमुख समस्याएं हैं तथा असंगठित होने के कारण मातृत्व लाभ, चिकित्सा सहायता एवं अन्य श्रम कल्याण सुविधाएं सामान्तः उन्हे प्राप्त नहीं हैं।

डॉ. रेनु त्रिपाठी एवं अपर्णा त्रिपाठी (2016) ने अपनी पुस्तक ''कामकाजी महिलाएं : वास्तविक स्थिति'' में महिलाओं के घर एवं बाहरी दोनों क्षेत्र में कार्य की जिम्मेदारियों का अध्ययन किया है। विशेष रूप से खेतों में काम करने वाली तथा मजदूरी करने वाली महिलाओं सहित कार्यालयों में कार्य करने वाली महिलाओं का अध्ययन किया तथा पाया कि विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के मध्य सामंजस्य बनाने के कारण दोहरे दायित्वों की समस्या एवं मानसिक तनाव की समस्या पैदा होती है।

सुषमा यादव व अनिल दत्त मिश्रा (2003) ने ''जेंडर इश्यूज़ इन इंडिया'' में शहरी क्षेत्र में कार्यशील महिलाओं की समस्याओं की चर्चा करते हुए उनकी घर एवं कार्यक्षेत्र की दोहरी भूमिका एवं उसके कारण पारिवारिक संबंधों पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की है। घरेलू जिम्मेदारियाँ गतिशीलता पर प्रतिबंध, समय के प्रतिबंध आवास, सहकर्मियों के साथ संबंध, यातायात इत्यादि कार्यशील महिलाओं की प्रमुख समस्याएं है।

इंदिरा देवी (1987) ने ''वूमेन एज्यूकेशन एम्प्लायमेंटः फैमिली लिविंगः ए स्टडी ऑफ इमर्जिंग हिन्दू वाईव्स इन अरबन इंडिया'' में पाया कि, महिलाओं के रोजगार में होने का प्रभाव उनके घरेलू खर्चों के नियंत्रण में स्पष्ट दिखाई देता है। पत्नियों की शिक्षा के साथ उनकी निर्णय में भूमिका में वृद्धि हुई है तथा रोजगार ने इसमें और वृद्धि कर पुरूष प्रभुत्व को अत्यधिक प्रभावित किया है।

संजय खेतान (1992) ने ''वर्किंग वूमेन एंड मॉडनाईजेशन'' में पाया कि, ऐसा समझा जाता है कि, शहरीकरण, शिक्षा एवं रोजगार के कारण महिलाओं की परिवार, विवाह, शिक्षा, सामाजिक भागीदारी, राजनैतिक भूमिका आदि के विषय में सोच में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। परन्तु अध्ययन के निर्णय से पता चलता है कि, शिक्षित एवं कार्यशील महिलाओं की पुरानी एवं परम्परागत सोच में अधिक परिवर्तन नहीं आया है।

रामू (1989) ने ''वूमेन वर्क एंड मैरिज इन अर्बन इंडियाः ए स्टडी ऑफ ड्यूअल एंड सिंगल अर्नर कपल'' में बेंगलौर शहर के परिवारों का अध्ययन किया तथा पाया कि महिलाओं द्वारा व्यवसाय का चयन अनेक कारणों पर आधारित होता है, जिनमें आर्थिक कारण सर्वाधित महत्वपूर्ण होता है तथा इस दोहरी भूमिका के कारण रोल कॉनफ्लिक्ट तथा मानसिक दवाब होता है।

एन. जैसवाल ने स्पष्ट किया है कि महिला सशक्तिकरण विकास के द्वारा समान एवं सांस्कृतिक पैटर्न को परिवर्तित कर रहा है। एक सर्वे के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि यदि घरेलू एवं व्यवसायिक दोनों क्षेत्रों को मिला दे तो महिलाएँ, पुरूषों की तुलना में कहीं अधिक परिश्रम करती हैं।

जी.पी. शाह ने पाया कि ग्रामीण महिलाएँ अनेक जिम्मेदारियाँ निभाते हुए परिवार चलाने, मजदूरी, जानवरों की देखभाल, घरेलू सामान बनाने सहित अनेक कार्य करती हैं। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास पर बल दिया।

अध्ययन विधि

शोध के प्रमुख उद्देश्य :– शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:–

1. महिलाकर्मियों के गृहकार्य, बच्चों की देखभाल एवं कार्यालय कार्य में पति एवं परिवार के सदस्यों के सहयोग प्रदान करने का अध्ययन करना।
2. परिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उत्पन्न मानसिक तनाव का अध्ययन।
3. परिवारिक कारणों एवं बच्चों की जिम्मेदारी के कारण पदोन्नती, स्थानांतरण इत्यादि को त्यागने का अध्ययन।

तथ्य संकलन के स्रोत

प्राथमिक स्रोत :– प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत भारतीय रेलवे में कार्यरत् महिलाकर्मियों से साक्षात्कार अनुसूचि के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों के विकल्पों में चयन करने को कहा गया साथ ही उनके साथ साक्षात्कार की अवधि में कार्य की दशाओं का अवलोकन भी किया गया ताकि कार्यरत् महिलाकर्मियों की के कार्य की दशाओं पर पारिवार के प्रभाव का पता लगाया जा सके।

द्वितीयक स्रोत :– भारतीय रेल वार्षिक रिपोर्ट और लेखा वर्ष 20147–18, नेशनल सेम्पल सर्वे, नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो रिपोर्ट (क्राईम इन इंडिया 2016),

जनगणना वर्ष 2011, इंटीग्रेटेड पे–रोल एंड एकाउंटिंग सिस्टम (आईपास.), जबलपुर मंडल तथा पश्चिम मध्य रेलवे, मुख्यालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न वार्षिकांक एवं पत्रिकाएं।

न्यादर्श का चुनाव :– अध्ययन हेतु ग्रुप सी तथा ग्रुप डी से कर्मियों का चयन किया गया। उत्तरदात्रियों का चयन इंटीग्रेटेड पे–रोल एंड एकाउंटिंग सिस्टम (आईपास.) के माध्यम से उत्तरदात्रियों की सूचना प्राप्त कर रेंडम सेम्पलिंग के माध्यम से किया गया परन्तु उपरोक्त रेंडम सेम्पलिंग के अंतर्गत इस बात का प्रयास किया गया कि, सभी विभागों, कार्यालयों, स्टेशनों तथा फील्ड महिलाकर्मियों को इसमें सम्मिलित किया जा सकें। ताकि सम्पूर्ण मंडल में कार्यरत् महिलाकर्मियों के कार्य की दशाओं के विषय में सामान्य निष्कर्षों का निर्धारण किया जा सके।

उपकरण :– प्रस्तुत शोध में तथ्यों के संकलन हेतु उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूचि का प्रयोग किया गया है। साक्षात्कार अनुसूचि के निर्माण में निम्नलिखित प्रश्नों का ध्यान रखा गया है।

1. उनकी पृष्ठ भूमि से संबंधित सामान्य जानकारी जैसे कि, आयु, वैवाहिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, पति की शिक्षा, पति का व्यवसाय, आय का विवरण, पारिवारिक आय का विवरण, आवास प्रकार एवं स्वरूप, कार्य का अनुभव, धर्म एवं जाति समूह का विवरण आदि सम्मिलित है ताकि समस्याओं के प्रति उनकी सजगता, अपेक्षा एवं मजबूरियों में सामाजिक, आर्थिक एवं पारीवारिक पृष्ठभूमि के योगदान को समझा जा सके।
2. पति एवं पारिवारिक सदस्य महिलाकर्मियों को गृहकार्य, बच्चों की देखभाल एवं कार्यालय कार्य में किस स्तर पर सहयोग उपलब्ध प्रदान करते है तथा इनकी पारिवारिक जिम्मेदारियां इनके स्थानांतरण, प्रमोशन एवं कार्यालय के कार्य को कितना प्रभावित करती हैं।

अध्ययन का क्षेत्र :– जबलपुर मंडल भारतीय रेलवे नेटवर्क के केन्द्र में स्थित है तथा पश्चिम मध्य रेलवे का भाग है। यह मंडल विभिन्न रेलवे जोनों के लगातार सम्पर्क में रहने एवं वहां के कर्मचारियों एवं अधिकारियों के पारस्परिक स्थानांतरण के कारण एक ऐसी कार्य संस्कृति को परिलक्षित करता है जो सम्पूर्ण भारतीय रेलवे का प्रतिनिधित्व करती है। यह मंडल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे से जुड़ा है तथा सम्पूर्ण देश को रेल यातायात उपलब्ध कराता है। यह मंडल मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में विस्तारित है। भौगोलिक दृष्टि से विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल आदि पर्वत श्रेणियों तथा विशाल वन क्षेत्र एवं जन जातीय क्षेत्र इसमें सम्मिलत हैं।

जबलपुर मंडल में ग्रुप सी एवं डी में कुल 18199 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें महिलाकर्मियों की संख्या 1047 है जो कुल कर्मियों का 5.75 प्रतिशत है जो रेलवे में अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं के स्तर 6.80 से कम है। वर्ष 2014 से वर्ष 2018 के मध्य जबलपुर मंडल में महिला एवं पुरूष कर्मियों की संख्या निम्नानुसार है।

वर्ष 2014 से 2019 के मध्य जबलपुर मंडल में कार्यरत महिला एवं पुरूष कर्मियों की संख्या

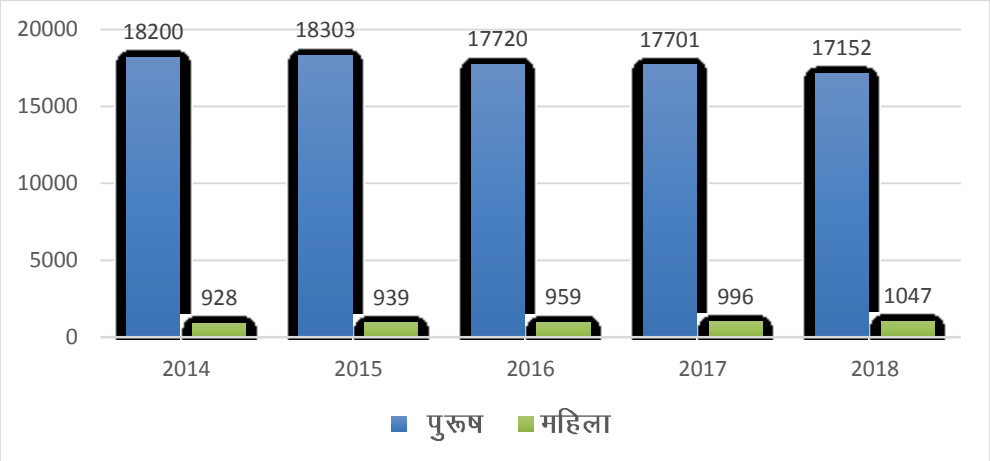

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जहां एक ओर रेलवे में ग्रुप सी एवं डी के कर्मियों की संख्या विशेष रूप से पुरूषकर्मियों की संख्या में गिरावट हो रही है वहीं महिलाकर्मियों की संख्या में वृद्धि हो रही है तथा महिलाकर्मियों का प्रतिशत 4.85 से बढ़कर 5.75 प्रतिशत हो गया है।

शोध का परिणाम :–

1. गृहकार्य में पति के सहयोग के प्रश्न पर 54.17 प्रतिशत महिलाकर्मियों द्वारा हमेशा, 20.00 प्रतिशत द्वारा कभी–कभी, 23.33 प्रतिशत द्वारा कभी भी सहयोग नहीं प्रदान करने की राय व्यक्त की गयी। अतः लगभग 74.17 प्रतिशत महिलाकर्मियों की यह राय है कि उन्हे गृहकार्य में उनके पति का सहयोग प्राप्त होता है। ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ग्रुप सी में 26.79 प्रतिशत एवं ग्रुप डी में 20.31 प्रतिशत महिलाकर्मियों ने बताया कि उन्हे कभी भी सहयोग प्राप्त नहीं होता है। अतः स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में पति का सहयोग प्राप्त होता है। तथा इसका पेटर्न ग्रुप सी व ग्रुप डी में लगभग एक जैसा ही है।
2. बच्चों की देखभाल में पति के सहयोग के प्रश्न पर 71.67 प्रतिशत ने हमेशा, 13.33 प्रतिशत ने कभी–कभी, 13.33 प्रतिशत ने कभी नहीं राय व्यक्त की। अतः 85.00 प्रतिशत महिलाकर्मी यह मानती हैं कि बच्चों की देखभाल में उन्हे पतियों का सहयोग प्राप्त होता है। ग्रुप सी में 89.29 प्रतिशत एवं ग्रुप डी में 81.26 प्रतिशत महिलाकर्मी यह मानती हैं कि उन्हे बच्चों की देखभाल में पति का सहयोग प्राप्त होता है तथा इस दृष्टि से ग्रुप सी की महिलाकर्मियों को अपेक्षाकृत अधिक सहयोग प्राप्त होता है।
3. कार्यालय कार्य में पति के सहयोग के प्रश्न पर 30 प्रतिशत ने हमेशा, 14.17 प्रतिशत ने कभी–कभी, 53.33 प्रतिशत ने कभी नहीं राय व्यक्त की। अतः 44.17 प्रतिशत महिलाकर्मी यह मानती हैं कि कार्यालय कार्य में उन्हे पतियों का सहयोग प्राप्त होता है। ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि ग्रुप सी में 67.86 प्रतिशत एवं ग्रुप डी में 23.44 प्रतिशत महिलाकर्मी यह मानती हैं कि उन्हे कार्यालय कार्य में पति का सहयोग प्राप्त होता है तथा इस दृष्टि से ग्रुप सी की महिलाकर्मियों को अपेक्षाकृत अधिक सहयोग प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि ग्रुप सी का कार्य इस प्रकार का है कि उसमें पति का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है जबकि ग्रुप डी का कार्य सामान्यतः इस प्रकार का नहीं होता है।
4. पारिवारिक सदस्यों द्वारा के गृहकार्य में सहयोग के प्रश्न पर 61.81 प्रतिशत द्वारा हमेशा, 27.78 प्रतिशत द्वारा कभी–कभी, 7.99 प्रतिशत द्वारा कभी भी नहीं राय व्यक्त की गयी। अतः अध्ययन में पाया गया कि, लगभग 90 प्रतिशत महिलाकर्मियों को गृहकार्य में उनके पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता है। ग्रुप सी में 94 प्रतिशत एवं ग्रुप डी में 87 प्रतिशत महिलाकर्मियों द्वारा गृहकार्य में पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होने की बात स्वीकार की। अतः स्पष्ट है कि, ग्रुप सी की महिलाकर्मियों की स्थिति, ग्रुप डी की महिलाकर्मियों की स्थिति की तुलना मे बेहतर है।
5. पारिवारिक सदस्यों द्वारा के बच्चों की देखभाग में सहयोग के प्रश्न पर 56.02 प्रतिशत द्वारा हमेशा 28.27 प्रतिशत द्वारा कभी–कभी 7.85 प्रतिशत द्वारा बताया गया कि बच्चों की देखभाग में परिवारिक सदस्यों का सहयोग कभी भी प्राप्त नहीं होता है। अतः अध्ययन में पाया गया कि, लगभग 84 प्रतिशत महिलाकर्मी को बच्चों की देखभाग में उनके पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता है। ग्रुप सी में 92 प्रतिशत जबकि ग्रुप डी में 77 प्रतिशत महिलाकर्मियों द्वारा बच्चो की देखभाल में परिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होने की बात स्वीकार की गयी है। अतः स्पष्ट है कि, ग्रुप सी की महिलाकर्मियों की स्थिति, ग्रुप डी की महिलाकर्मियों की स्थिति की तुलना मे बेहतर है।
6. पारिवारिक सदस्यों द्वारा कार्यालय कार्य में सहयोग के प्रश्न पर 37.85 प्रतिशत हमेशा, 13.89 प्रतिशत द्वारा कभी–कभी, 44.79 प्रतिशत द्वारा कभी भी नहीं राय व्यक्त की गयी। अतः 51.78 प्रतिशत महिलाकर्मी को कार्यालय कार्य में उनके पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होता है। ग्रुप सी में 76 जबकि ग्रुप डी में 33.54 प्रतिशत महिलाकर्मियों द्वारा कार्यालय कार्य में परिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होने की बात स्वीकार की गयी है। इसका प्रमुख कारण यह है कि ग्रुप सी की महिलाकर्मियों द्वारा अनेक ऐसे कार्य भी

किये जाते है जो अपने घर पर पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से किये जा सकते है जबकि ग्रुप डी में अधिकांश श्रमसाध्य कार्य हैं, जिन्हे घर पर पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में ग्रुप सी के महिलाकर्मियों की बेहतर आर्थिक स्थिति भी उन्हे एक बेहतर स्थिति प्रदान करती है।

7. पारिवारिक सदस्यों की जिम्मेदारियों के कारण मानसिक दवाब के प्रश्न पर 32.99 प्रतिशत द्वारा हमेशा, 45.14 प्रतिशत द्वारा कभी–कभी, 19.79 प्रतिशत द्वारा कभी भी नहीं राय व्यक्त की गयी। अतः 78 प्रतिशत महिलाकर्मी के अनुसार पारिवारिक सदस्यों की जिम्मेदारियों के कारण मानसिक तनाव होता है। ग्रुप सी में 65 प्रतिशत जबकि ग्रुप डी में 88 प्रतिशत महिलाकर्मियों द्वारा पारिवारिक सदस्यों की जिम्मेदारियों के कारण मानसिक तनाव होने की बात स्वीकार की गयी है। अतः ग्रुप सी की तुलना में ग्रुप डी की महिलाकर्मी पारिवारिक दवाब अपेक्षाकृत अधिक महसूस करती है। इसका प्रमुख कारण ग्रुप सी में कार्यरत महिलाकर्मी अधिक शिक्षित एवं आर्थिक रूप से अधिक सक्षम होने के कारण बेहतर पारिवारिक सहयोग के कारण अपेक्षाकृत कम दवाब महसूस करती हैं।

8. पारिवारिक कारणों से पदोन्नति का त्याग करने के प्रश्न पर 9.72 प्रतिशत ने हमेशा, 4.51 ने सामान्यतः, 8.33 प्रतिशन ने कभी–कभी, 77.43 प्रतिशन ने कभी नहीं राय व्यक्त की। उपरोक्त से स्पष्ट है कि लगभग 22.57 प्रतिशत महिलाकर्मियों ने यह स्वीकार किया कि उन्हे किसी न किसी रूप में पारिवारिक कारणों से पदोन्नति के अवसरों का त्याग करना पड़ता है।ग्रुप सी की 40 प्रतिशत जबकि ग्रुप डी की मात्र 9 प्रतिशत महिलाकर्मी ही यह मानती है कि उन्हे पारिवारिक कारणों से पदोन्नति के अवसरों का त्याग करना पड़ता है।

9. बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण कार्यालय कार्य पर प्रभाव के प्रश्न पर 34.29 प्रतिशत हमेशा, 41. 90 प्रतिशत द्वारा कभी–कभी, 12.38 प्रतिशत द्वारा कभी भी नहीं राय व्यक्त की गयी। अतः अध्ययन में पाया गया कि, लगभग 76 प्रतिशत महिलाकर्मियों को बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण कार्यालय कार्य पर प्रभाव पड़ता है। ग्रुप सी में 71 प्रतिशत जबकि ग्रुप डी में 81 प्रतिशत महिलाकर्मियों द्वारा बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण कार्यालय कार्य प्रभावित होने की बात स्वीकार की गयी। उपरोक्त से स्पष्ट है कि बच्चों की जिम्मेदारी उनके कार्यालय कार्य को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। यद्यपि ग्रुप सी की तुलना में ग्रुप डी की महिलाकर्मी बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण कार्यालय कार्य पर अधिक प्रभाव महसूस करती हैं।

10. बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण अधिक छुट्टियां लेने के प्रश्न पर 37.62 प्रतिशत हमेशा, 37.14 प्रतिशत द्वारा कभी–कभी, 21.90 प्रतिशत द्वारा कभी भी नहीं राय व्यक्त की। अतः लगभग 74.76 प्रतिशत महिलाकर्मियों को बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण अधिक छुट्टियां लेनी पड़ती है। ग्रुप सी में 66 प्रतिशत जबकि ग्रुप डी में 82 प्रतिशत महिलाकर्मियों द्वारा बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण अधिक छुट्टियां लेने की बात स्वीकार की गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्रुप डी की महिलाकर्मियों को ग्रुप सी की महिलाकर्मियों की तुलना में अधिक छुट्टियां लेनी पड़ती हैं। इसका कारण ग्रुप सी की महिलाकर्मियों को पारिवारिक सदस्यों एवं पति का अधिक सहयोग प्राप्त होने के साथ–साथ ग्रुप सी की तुलना में ग्रुप डी के कार्य की प्रवृत्ति को देखते हुए छुट्टी मिलने की अधिक संभावना होना भी है।

11. बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण प्रमोशन त्यागने के प्रश्न पर 25.71 प्रतिशत द्वारा हमेशा, 20.95 प्रतिशत द्वारा कभी–कभी, 49.05 प्रतिशत द्वारा कभी भी नहीं राय व्यक्त की गयी। अतः अध्ययन में पाया गया कि, लगभग 46.66 प्रतिशत महिलाकर्मियों को बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण प्रमोशन त्यागना पडता है, ग्रुप सी में 35 प्रतिशत जबकि ग्रुप डी में 57.27 प्रतिशत महिलाकर्मियों द्वारा बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण प्रमोशन त्यागने की बात स्वीकार की गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्रुप डी की महिलाकर्मियों को ग्रुप सी की महिलाकर्मियों की तुलना में अधिक प्रमोशन त्यागना पड़ता हैं। इसका कारण ग्रुप सी की महिलाकर्मियों को अपेक्षाकृत पारिवारिक सदस्यों एवं पति का अधिक सहयोग प्राप्त होना साथ ही प्रमोशन के कारण पद प्रतिष्ठा एवं आर्थिक लाभ अधिक होना है। जिसके कारण ग्रुप सी में महिलाकर्मी सामान्य रूप

से प्रमोशन पर अन्य समस्याओं के होते हुए भी जाना चाहती हैं।

12. बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण स्थानांतरण अस्वीकार करने के प्रश्न पर 38.57 प्रतिशत द्वारा हमेशा, 18.57 प्रतिशत द्वारा कभी–कभी, 31.90 प्रतिशत द्वारा कभी भी नहीं राय व्यक्त की गयी। अतः अध्ययन में पाया गया कि, लगभग 57.14 प्रतिशत महिलाकर्मियों को बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण स्थानांतरण अस्वीकार करना पडता है, ग्रुप सी में 42 प्रतिशत जबकि ग्रुप डी में 71 प्रतिशत महिलाकर्मियों द्वारा बच्चों की जिम्मेदारियों के कारण स्थानांतरण अस्वीकार करने की बात स्वीकार की गयी है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्रुप डी की महिलाकर्मियों को ग्रुप सी की महिलाकर्मियों की तुलना में अधिक स्थानांतरण अस्वीकार करना पड़ता हैं। इसका कारण ग्रुप सी की महिलाकर्मियों को पारिवारिक सदस्यों एवं पति का अधिक सहयोग प्राप्त होने के साथ–साथ ग्रुप सी में अधिकांश कार्य जैसे टिकिटिंग, टेंडर, ट्रांसफर पोस्टिंग आदि सतर्कता दृष्टि से संवेदनशील होने के कारण रोटेशनल स्थानांतरण नियमित रूप से होना है, जिन्हे स्वीकार किया जाना आवश्यक है। जबकि ग्रुप डी में सामान्य रूप से रोटेशन स्थानांतरण नहीं होता है।

निष्कर्ष :– शोध कार्य से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :–

1. अधिकांश परिवारों में पति द्वारा गृहकार्य में सहयोग प्रदान किया जाता है। परन्तु यह सहयोग अधिकांशतः आंशिक रूप से ही प्राप्त होता है। खाना बनाना, पोंछा लगाना एवं घरेलू जिम्मेदारियां इत्यादि जैसे परम्परागत रूप से महिलाओं के कार्य अभी भी महिलाओं की जिम्मेदारी माने जाते हैं।
2. बच्चों की देखभाल के मामले में पतियों द्वारा गृहकार्य की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सहयोग प्रदान किया जाता है।
3. पारिवारिक सदस्यों द्वारा कार्यशील महिलाओं को पर्याप्त सहयोग प्रदान किया जाता है। सास, जेठानी आदि महिलाओं के इसमें सम्मिलित होने के कारण गृहकार्य में भी पर्याप्त सहयोग प्राप्त होता है।
4. ग्रुप सी की महिलाओं में अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक स्थिति एवं उच्चतर शैक्षिक स्तर के कारण ग्रुप डी की महिलाओं की तुलना में अधिक सहयोग प्राप्त होता है।
5. कार्यशील महिलाओं को उनके कार्य के विषय में भी परिवार से सहयोग प्राप्त होता है। इस संबंध में ग्रुप सी की महिलाओं को ग्रुप डी की महिलाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सहयोग प्राप्त होता है। इसका कारण कार्य की प्रवृत्ति है।
6. परिवारिक जिम्मेदारी एवं कार्यालय कार्य की दोहरी भूमिका, मानसिक तनाव उत्पन्न करती है। ग्रुप सी की महिलाकर्मी अपने बेहतर शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर के कारण ग्रुप डी की महिलाकर्मियों की अपेक्षा कम दबाव महसूस करती हैं। अतः बेहतर शैक्षिक एवं आर्थिक स्तर, अधिक आत्मविश्वास प्रदान करता है।
7. बच्चों की जिम्मेदारी कार्य को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक है तथा इसके कारण अधिक छुट्टियां लेना, प्रमोशन एवं स्थानांतरण त्यागना जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। यद्यपि ग्रुप सी की महिलाकर्मी बेहतर केरियर एवं सेवा शर्तों के कारण इनका त्याग ग्रुप डी की महिलाकर्मियों की तुलना में कम करती हैं।

महिला भागीदारी को बेहतर बनाने हेतु पर्याप्त संख्या में पालना घरों एवं प्राईमरी स्कूलों का निर्माण,रात्रि पाली में बेहतर सुरक्षा के साथ–साथ उचित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना, प्रसूती अवकाश एवं शिशु देखभाल अवकाश जैसी सुविधाओं का उचित रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाना, स्थानांतरण एवं प्रमोशन करते समय महिलाओं को स्थान परिवर्तन के स्थान पर जॉब रोटेशन कर उसी स्थान पर रखने का प्रयास करना आवश्यक है। ई–ऑफिस एवं कार्यालय कार्य के तकनीकीकरण के साथ अब घर से कार्य करना भी संभव है। अतः विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को घर से कार्य करने की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। लचीले कार्य के घण्टे (Flexible working hours) के अंतर्गत महिलाओं को उनकी रूचि के अनुसार कार्य के घण्टे तय करने की सुविधा प्रदान की जा सकती है ताकि वे अपने घर की जिम्मेदारी के साथ–साथ अपने कार्य की जिम्मेदारियों को भी पूर्ण कर सकें। अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा महिलाओं हेतु इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इस कारण वहां पर महिलाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है तथा इसने संगठन

को एक महत्वपूर्ण मानव संसाधन तथा रणनीति को एक नई सोच प्रदान की है। जो संगठन को ओर अधिक प्रगतीशील बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। अतः महिलाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कार्यस्थलों को अधिक परिवार मित्र बनाना आवश्यक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. A.D. Ross : (1961) The Hindu Family in Urban Setting, Oxford University press, Bombay.
2. Cromack : (1960) The Hindu Women, Publishing House, Bombay.
3. G.N. Ramu (1989) Women Work and Marriage in Urban India, Sage publication, New Delhi-1
4. Gadgil: (1965) Women in the Working Force in India, Asia publishing House, NewDelhi.
5. Indira Chauhan : (1986) Parada to Profession, B.R. Publishing corporation NewDelhi.
6. Indira Devi: (1987) Women Education Employment, Jain publishing house, Delhi.
7. Kala Rani : (1976) Role Conflict in Working Women, , Chetan publishing New Delhi.
8. Kapadia : (1959) Marriage and Family in India, Oxford University Press, Bombay.
9. Lalita Devi (1982): Status of Women in the Family, status and employment of women in India, B.R. Publishing corporation Delhi .
10. Padmini SenGupta : (1960) Women Works in India, Asia publishing house, Bombay.
11. Pramilla Kapur (1974): The Changing Status of the Working Women in India, Vikas Publishing House New Delhi.
12. Promilla Kapur (1970) : Marriage and the Working Women in India, Vikas publishing,

SRF

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

रांगेय राघव के उपन्यास और सामाजिक व्यवस्था

निगहत अफशां खान
शोधार्थी, रानी दुर्गावती वि.वि. जबलपुर

संक्षेपिका :– रांगेय राघव के उपन्यासों में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक विसंगतियों, वर्गभेद, रूढ़िवाद, धार्मिक विसंगतियॉं, जाति व्यवस्था आदि का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। रांगेय राघव ने तत्कालीन समाज को पैनी दृष्टि से देखा तथा व्यंग्य और विनोद के माध्यम से यथार्थ चित्रण किया। लेखक ने सामाजिक उपन्यासों में व्यक्ति की अपेक्षा सामाजिक शक्ति को अधिक महत्व दिया है। व्यक्ति कितना भी शक्ति सम्पन्न क्यों न हो, सामाजिक शक्ति के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। भारतीय समाज की विशेषता रही है कि सामाजिक विधान, रूढ़ि परम्परा, रीति–रिवाज जिनके आधार पर समाज के स्वरूप का निर्धारण होता है। लेखक ने अपने उपन्यासों में समाज की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है।

भूमिका :– समाजिक व्यवस्था का संबंध समाज का निर्माण करने वाली मूर्त व अमूर्त इकाईयों उनके पारस्परिक संबंध तथा सुचारू रूप से कार्य करते रहने से है। सामाजिक वर्ग समाज में आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्था का समूह होता है। समाज के विकास में सांस्कृतिक तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही व्यक्ति को समग्र व्यक्तित्व प्रदान करती है। भारतीय संस्कृति में विद्यमान प्रथा, परम्पराएँ, लोकाचार, कला, साहित्य आदि अनेक पहलूओं का समावेश होता है। जिसे मनुष्य एक स्वस्थ समाज का सदस्य होने के नाते संजोकर रखता है।

साहित्य एंव समाज एक–दूसरे से जुड़े हुए है। सामाजिक रीति–रिवाज, परिवेश, स्थितियॉं आदि। साहित्य समाज के विस्तार एंव विकास के लिए उत्तरदायी होते है। साहित्य सामाजिक नियंत्रण रखने का कार्य करता है। तथा परम्परागत रूप से चले आ रहे परिवर्तन व स्वरूपों को भी प्रेरित करता है। रांगेय राघव ने सामाजिक व्यवस्था का चित्रण अपने सामाजिक उपन्यासों के अंतर्गत किया है। जिनमें 'छोटी सी बात', 'कल्पना', 'उबाल', 'घरौदे', 'प्रोफेसर', 'पतझड़', 'पराया', 'बौने और घायल फूल' आदि प्रमुख है।

रांगेय राघव के उपन्यास और सामाजिक व्यवस्था :– रांगेय राघव के उपन्यासों के शीर्षक सामाजिक पृष्ठभूमि समस्याओं का निदान करते प्रतीत होते है और उनसे संबंधित समस्याओं को प्रतीकात्मक ढंग से व्यक्त किया गया है। 'घरौदे' उपन्यास के माध्यम से लेखक हिन्दी के आधुनिक उपन्यासकार के रूप में उभरकर आए। यह रांगेय राघव का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है। इसका कथानक महाविद्यालय परिसर से संबंधित है। इसमें शहरी जीवन से संबंधित बहुविध समस्याओं का चित्रण किया गया है। इसी प्रकार 'बौने और घायल फूल' उपन्यास में लेखक मध्यवर्गीय समाज की जिन मान्यताओं के कारण मध्यवर्गीय परिवारों का पतन होता है, वे ही समस्याएँ इस उपन्यास के केन्द्र में है।

'कब तक पुकारू' उपन्यास की पृष्ठभूमि में करनटों की जीवन पद्धति के अध्ययन की कोशिश है। समाज" शास्त्रीय पध्दति के उपन्यासों में समाज की नब्ज पर लेखक का हाथ रहता है। वह एक वैज्ञानिक की तरह चरित्र और घटना को पूरी समाज–संरचना के नमूने के रूप में देखता–परखता है। इस प्रकार रांगेय राघव की आंचलिकता इतिहास–संस्कृति की जानकारी में समाहित हो जाती है। 'छोटी सी बात' उपन्यास में स्त्री–पुरूष के पारस्परिक संबंधो और स्त्रियों की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण मिलता है। 'आखिरी आवाज' उपन्यास में ग्रामीण जीवन की विशमताओं, विडम्बनाओं और दैन्य प्रताड़ित किसानों की असमर्थताओं और लाचारियो को वाणी मिली है। इसमें गॉव के अनैतिक, दुर्बल और अमानवीय पद्धति को अधिक महत्व दिया गया। गॉव में फैले बहुविध व्याभिचार को उसमें अधिक विस्तार मिला है। आजादी के बाद नेताओं का एक ऐसा वर्ग उभरा जो मकड़ी के समान अपना जाल गॉवों में भी फैलाता है। 'राई और पर्वत' उपन्यास में लेखक के जाति–प्रथा, बाल–विवाह, विधवा–विवाह आदि अनेक सामाजिक रूढ़ियों को ब्राम्हण–परिवारों में अपनी थोथी मान्यताओं और कृत्रिम मानदण्डों के कारण कितनी विकृतिया आ गयी है ? समाज में मनुष्य का अस्तित्व राई के समान है, जिसे पवर्ताकार विशमताओं का सामना करना पड़ता है। 'आग की प्यास' उपन्यास में ग्राम्य–जीवन की विभिन्न

समस्याओं, ग्रामवासियों के सुख–दुख, नवीन परिस्थितिओं तथा परिवर्तित जीवन का यर्थाथ चित्रण करने का प्रयत्न किया गया है। 'पतझड़' उपन्यास में शहरी जीवन से संबधित घटनाओं का आंकलन किया गया। है। 'प्रोफेसर' उपन्यास उच्चवर्गीय समस्याओं पर आधारित है। इसमें लेखक ने उच्चवर्ग और निम्न वर्ग दोनों के जीवन की पीड़ा को उद्घाटित करते हुए इस मूल समस्या को उभारा है कि संसार में सुखी कौन है? प्रो. उमाशंकर, इंजीनियर नरेश, भिखारी हीरा आदि। सभी के जीवन में झटपटाहट है। 'पराया' उपन्यास में लेखक ने पूंजीवादी पद्धति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया है। धन संग्रह की भावना मनुष्य को इतना स्वार्थी एंव कठोर बना देती है। कि वह अपने सम्पूर्ण मानवीय संबंधों को लात मार देता है। पूंजीवादी समाज में नारी एक विलासिता की पुतली भर बनकर रह जाती है। वेश्या जीवन की समस्याओं को भी इस उपन्यास में उठाया गया है।

'कल्पना' उपन्यास के सभी चरित्र व्यक्ति न होकर वर्ग के प्रतीक है। यह अनमेल विवाह पर आधारित है। 'दायरे' उपन्यास मे लेखक ने भारतीय संस्कृति की उदात्ता का चित्र विशेष रूप में खीचा है। समन्वयकारिणी वृत्ति भारतीय संस्कृति की मूल विशेषता है। इसमें विभिन्न वर्ग, धर्म एंव विभिन्न जातिगत मान्यताओं का एकीकरण हुआ है। लेखक ने सामाजिक विकृतियों और विषमताओं का यथार्थ एंव सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। और वादों से मुक्त एक स्वस्थ मानव–समाज के निर्माण की कल्पना की है।

'पथ का पाप' उपन्यास में ग्रामीण समाज का यथार्थ चित्रण है। समाज की स्थिति आज ऐसे कगार पर पहुॅच गयी। जहॉ कपटी, छली और बेईमान आदमी सफल और पूज्य माने जा रहे है। मूल्यों का विघटन करके वे प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे है। और सज्जनता से अलंकृत मानवीय मूल्यों की स्थापना करने वाले लोग टूटे थके और जीवन में कष्ट उठाये जा रहें है।

इस प्रकार रांगेय राघव जी के उपन्यास मानवीय जीवन छवियों को ऊंचा मुल्य प्रदान करने में सहायक है। उन्होंने सभ्यता, संस्कृति की चमकीली और अभिजात वर्ग के सत्य को अपने सामाजिक उपन्यासो में उद्घाटित किया है।

रांगेय राघव द्वारा की गई कल्पना इतनी विश्वसनीय है कि वह इतिहास का हिस्सा लगती है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. रांगेय राघव – भारतीय चिंतन,
2. रांगेय राघव – संस्कृति और मानव शास्त्र
3. डॉ. जी.के. अग्रवाल – भारतीय समाज
4. श्री मधुरेश – आलोचना, जुलाई 1964

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

भारत में विभिन्न युगों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति – एक ऐतिहासिक अध्ययन

डॉ. लता त्रेहन

भारतीय समाज में स्त्रियों का विशिष्ठ स्थान रहा हैं। हमेशा से नारी एक विश्वासपात्र मित्र के रूप में पुरुष की सहयोगी रही है। शास्त्रों में पत्नी को पति का आधा भाग अर्थात अर्धांगिनी माना गया है। वह एक श्रेष्ठ मित्र भी है, यह भी कहा जाता है, कि जहाँ नारी कि पूजा होती है वहीं देवता रमण करते हैं। नारी नर की खान है। वह पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील और विश्व के लिए करूणा संजोने वाली महानकृति है। ऐसी कहावत है कि एक गुणवान स्त्री कांटेदार झाड़ी को भी सुवासित कर देती हैं और निर्धन से निर्धन परिवार को भी स्वर्ग बना देती है।

भारतीय समाज में नारी का देवी स्वरूपा स्थान है। एक आदर्श नारी धैर्य, त्याग, ममता, क्षमा, स्नेह,समर्पण, सहनशीलता, करूणा, दया परिश्रमशीलता आदि गुणों से परिपूर्ण है। महादेवी वर्मा ने कहा है कि नारी केवल एक नारी ही नहीं अपितु वह काव्य और प्रेम की प्रतिमूर्ति है।

हमारा समाज प्राचीन काल से आज तक पुरुष प्रधान ही रहा है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का शोषण सिर्फ पुरुष वर्ग ने ही किया, पुरुष से ज्यादा तो एक स्त्री ने दूसरी स्त्री पर या स्त्री ने खुद अपने ऊपर अत्याचार किया है। समाज में स्त्री को यथोचित स्थान दिलाने के लिए स्वयं महिलाओं को ऐसी बातों पर ध्यान देना होगा और वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करना होगा .गोस्वामी जी ने मानस में एक स्थान पर लिखा है 'नारि न मोहे नारि के रूपा'। अर्थात कोई स्त्री कितनी भी सुन्दर क्यों न हो दूसरी स्त्री कभी उसके रूप पर मोहित नहीं होती है या फिर कहा जा सकता है, कि एक नारी के गुणों या क्षमता की दूसरी नारी प्रशंसा नहीं कर सकती।

प्राचीन काल से आधुनिक काल यानि वर्तमान समय तक भारत में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति परिवर्तनशील रही है। यहॉ पर पहले हम इतिहास में भारतीय स्त्रियों की स्थिति पर नजर डाल लें फिर उनकी वर्तमान स्थिति का आंकलन करेंगे।

भारत में विभिन्न युगों में स्त्रियों की स्थिति :–

वैदिक युग में नारी :– वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति उनके आत्मविश्वास, शिक्षा, संपत्ति आदि के सम्बन्ध में पुरुषों के समान थी। यज्ञों में भी उसे सर्वाधिकार प्राप्त था। वैदिक युग में लड़कियों की गतिशीलता पर कोई रोक नहीं थी और न ही मेल मिलाप पर। उस युग में मैत्रेयी, गार्गी और अनुसूया नामक विदुषी स्त्रियॉ शास्त्रार्थ में पारंगत थीं। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता' उक्ति वैदिक काल के लिए सत्य उक्ति थी। महाभारत के कथनानुसार वह घर, घर नहीं जिस घर में सुसंस्कृत, सुशिक्षित पत्नी न हो, गृहिणी विहीन घर जंगल के समान माना जाता था और उस पति की तरह ही समानाधिकार प्राप्त थे। अर्थवेद में कहा गया है कि –''नववधु तू जिस घर में जा रही है, वहॉ की तू साम्राज्ञी है। तेरे ससुर, सास, देवर व अन्य तुझे साम्राज्ञी समझते हुए तेरे शासन में आंनदित है।''[1]

इस काल में महिलाओं को पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। धर्म एंव अनुष्ठान के कार्य नारी के बिना पूरे नहीं किये जा सकते थे। इस संबंध में पी.एन. प्रभु ने कहा है, ''जहॉ तक शिक्षा का संबंध था, स्त्री पुरूष में कोई विशेष भेद नहीं था और इस युग में दोनो की समाजिक स्थिति समान रूप से महत्वपूर्ण थी।''[2]

इस प्रकार वैदिक काल में भारतीय समाज में स्त्री को पुरूषों के समान शिक्षा, धर्म, संपत्ति आदि के विषय में पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे। वैदिक साहित्य में पता चलता है, कि उस समय नारी को पुरूष की प्रकृति माना, जिसके बिना जीवन संभव नहीं था। पत्नि के रूप में उसकी स्थिति बहुत ऊॅची थी। इस प्रकार वैदिक युग भारतीय समाज का स्वर्ण युग था।

उत्तर वैदिक युग में नारी :– तीसरी शताब्दी से लेकर ग्यारवीं शताब्दी के पूवार्ध तक का समय धर्मशास्त्र काल कहलाता है। इस काल में महिलायें सामाजिक एंव धार्मिक संकीर्ण विचारधारा की शिकार

बनी। चंद्रावती लखनपाल ने इस संबंध में लिखा है कि – ''वैदिक काल की गृह लक्ष्मी, माता एवं शक्ति प्रदायनी देवी अब याचिका, सेविका व निर्बलता के प्रतीक के रूप में दिखाई देने लगी है। वैदिक काल की वह नारी जो अपने प्रबल व्यक्तित्व के द्वारा देश के साहित्य और समाज के आदर्शों को प्रभावित करती थी, अब परतंत्र, पराधीन, निस्सहाय और निर्बल बन चुकी थी।''[3]

वैदिक युग में स्त्रियों की जो स्थिति थी वह इस युग में कायम न रह सकी। उसकी शक्ति, प्रतिभा व स्वतंत्रता के विकास पर प्रतिबन्ध लगने लगे धर्म सूत्र में बाल–विवाह का निर्देश दिया गया जिससे स्त्रियों की शिक्षा में बाधा पहुंची। मनु स्मृति में स्त्रियों के अधिकार छीनते हुए यहॉ तक लिख दिया कि –''पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवनेद्य पुत्रश्च स्थाविरे भावे, न स्त्री स्वातंत्रय मर्हति''। अर्थात नारी कभी स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है, बचपन में पिता के अधिकार में, युवावस्था में पति के वश में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण में रहे। ''[4]

वो घर की चारदीवारी में कैद हो गयी, उनके लिए पढने–लिखने व वेदों का ज्ञान असंभव हो गया और उन्हें धार्मिक संस्कार में भाग लेने की मनाही हो गयी। बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन हो गया और वैदिक युग की तुलना में उत्तर व दीर्घकाल में उनकी स्थिति निम्न स्तर की होती गयी। विधवा के पुनर्विवाह पर भी कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इस युग में महिला को संपत्ति के अधिकारों से भी वंचित कर दिया गया। साथ ही मनु स्मृति में यह भी कहा गया कि – ''विवाह का बिधान ही महिलाओं का उपनयन है। पति की सेवा ही गुरूकुल का वास है और घर का काम ही अग्नि की सेवा है।''[5]

इन सब तथ्यों से स्पष्ट होता है कि इस काल में महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब हो गई, जिसे पुरूष अपनी इच्छानुसार किसी भी उपयोग में ला सकता था।

मध्यकालीन युग में नारी :– सोलहवीं शताब्दी से लेकर अठारवीं शताब्दी तक का समय मध्यकाल कहलाता है। इस युग में मुगल साम्राज्य होने से स्त्रियों की दशा और भी दयनीय हो गयी। सोलहवीं शताब्दी के प्रांरभ से ही भारतीय समाज पर मुसलमानों का प्रभाव बढने से हमारी संस्कृति का रक्षा करना जरूरी हो गया था, इसलिए ब्राह्मणों ने संस्कृति की रक्षा, महिलाओं के सतीत्व तथा रक्त की शुद्धता बनाये रखने के लिए महिलाओं से संबंधित नियमों का कठोर बना दिया। पॉच–छह वर्ष की आयु मे लडकियों के विवाह होने लगे जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों की शिक्षा एवं सामाजिक स्वरूप में तेजी से गिरावट आई। पति की मृत्यु के बाद पति के साथ पत्नी का सती हो जाना पतिव्रत धर्म की परीक्षा मानी गई। भारतीय समाज में इन कुरीतियों को भारतीय समाज का अंग समझा जाने लगा।

इस प्रकार प्राचीन युग में जहां नारी हर प्रकार से सम्मानित थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों कि दशा ठीक नहीं थी। बाल–विवाह प्रचलित हो गया था, वैवाहिक स्वतंत्रता समाप्त हो चुकी थी, बहु–विवाह प्रथा जोरों पर थी। वैदिक कालीन नारी जहाँ पूजनीय थी, वहीं उत्तर वैदिक काल में नारी नियमो के बंधन में जकड़ चुकी थी। मुसलमानों के शासनकाल में वह बिलकुल अबला बन गयी थी, उसके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। उसे घर के चारदीवारी के भीतर डाल दिया गया। संत कवियों ने नारी को माया, ठगिनी, अवगुणों की खान कहकर उसकी रही सही मान्यता को ठेस पहुंचाया। इस प्रकार नारी की सामजिक दशा धीरे–धीरे गिरती गयी औ एक प्रकार से वह रानी से नौकरानी बन कर रह गयी। बाल–विवाह, पर्दा प्रथा, अनमेल–विवाह, बहु–विवाह, उत्तराधिकार–शून्यता, शिक्षा का आभाव आदि ने उसे महत्वहीन बना दिया.

इस प्रकार विभिन्न युगों में महिलाओं की निम्न स्थिति के अलग–अलग कारण रहे हैं। परंतु एक मूल कारण सामाजिक व्यवस्था पर पुरूषों का एकाधिकार और महिलाओं में शिक्षा का अभाव होना है। अनेक कुरीतियों, रूढ़ियों और कर्मकाण्डों में महिलाओं का जीवन उलझ कर रह गया। इस काल के पश्चात भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कुछ प्रगातिशील भारतीयों ने प्रयत्न किए।

जैसे – सन् 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रहम समाज की स्थापना करके सती पृथा के विरूद्ध आंदोलन किया, जिसका परिणाम यह निकला कि सन् 1829 में कानूनन सतीपृथा को समाप्त कर दिया गया।

इसी प्रकार महर्षि दयानंद एंव ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे समकालीन समाज सुधारकों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए विधवाविवाह और स्त्री शिक्षा को महत्व दिया। इन्ही प्रयत्नों से सन् 1856 में विधवा विवाह कानून पास हो गया। सन् 1855

से 1858 के बीच बहुत से कन्या और महिला विद्यालय खोले गये। शिक्षा के प्रसार के कारण महिलाओं को बालविवाह एवं पर्दाप्रथा आदि कुरीतियों से छुटकारा मिल गया।

आधुनिक काल में नारी :– आज महिलाओं ने न सिर्फ विश्वविद्यालयों की परीक्षा में बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं (आई. ए. एस., आई. पी. एस., आई. एफ. एस.) में प्रथम स्थान प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया है, कि उनका मानसिक स्तर पुरूषों से किसी भी प्रकार कम नहीं है।

इस संबंध में के.एम. पणीक्कर ने स्त्री शिक्षा की इस प्रगति को देखते हुए यह कहा है कि ''स्त्री शिक्षा ने विद्रोह की उस कुल्हाडी की धार तेज कर दी है, जिससे हिन्दु सामाजिक जीवन की जंगली झाड़ियों को साफ करना संभव हो गया है। ''[6]

आधुनिक युग में नारी भी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जाग उठी है, और पन्त जी जैसे कवियों ने उनका पक्ष लेते हुए कहा है कि –

मुक्त करो नारी को मानव,
चिर बंदिनी नारी को,
युग–युग की निर्मम कार से,
जननि, सखी प्यारी को।

इस संबंध में हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने नारी सम्बन्ध में कहा है: –

''नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत
नग पगतल में
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के
सुन्दर समतल में।''[7]

वर्तमान भौतिक वादी युग हैं, आज बदलते परिवेश में अर्थ का महत्व बढ गया हैं। सामाजिक जीवन में युगानुरूप परिवर्तन के लिए राजाराम मोहन राय, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानन्द, सरोजनी नायडू, भगिनी निवेदिता आदि ने अथक परिश्रम किया हैं। अब महिलाऐं चार दीवारी से मुक्त होकर स्वतन्त्र वातावरण में सांस लेने लगी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे नहीं हैं आज की नारी विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, न्याय, अन्तरिक्ष, खेल तथा कृषि व अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रगण्य मानी जाने लगी हैं। अब वह पूर्णतः शिक्षित बनकर उच्च पदों पर आसीन हो धनोपार्जन के लिए भी सशक्त बन गई हैं। आज नारी अबला नहीं रही, वह पुरुष से दुर्बल नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा सक्षम और सबल है। इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने वर्षों पहले कहा था– 'किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहाँ की महिलाओं की स्थिति। घर की घुटनभरी चारदीवारी अब प्रायः टूट चुकी है। कल की साधारण–सी गृहिणी आज कुशल प्रबंधक बनकर अपने कार्यों, दायित्वों का निर्वहन कर रही है।

निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं, कि यद्यपि विभिन्न युगों में महिलाओं की निम्न स्थिति के अलग–अलग कारण रहे हैं। परंतु आज की नारी अपनी स्थिति से परिचित हो गयी है। वह आज पुरुष से हर क्षेत्र में प्रतियोगिता करने लगी है। आज की नारी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर धनोपार्जन के लिए प्रयत्नशील हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अपनी गरिमा स्थापित कर रही है। जो कार्य पुरूष वर्ग करने को तत्पर रहता है, महिलाऐं भी उस कार्य को कुशलता से सम्पादित करती हैं। आज भारत के अधिकांश लोग यह अनुभव करने लगे हैं, कि नारी फिर से अपने सच्चे **आदर्शों पर आ जाये और समाज में उसे वही महत्वपूर्ण प्राचीन स्थान प्राप्त हो जाये।**

भारतीय समाज में नारी पुरुषों के लिए तथा पुरुष नारी के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तत्पर है, यही त्याग की भावना दोनों के जीवन को सुखमय बनती है। वह करुणा, दया, प्रेम आदि मानवीय गुणों की देवी है, वह समाज की मार्गदर्शिका भी है। वास्तव में भारतीय समाज में उसका स्थान अनुपम है।

संदर्भ :–

- गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस
- अर्थववेद, 1411
- पी.एन. प्रभु हिन्दु सोशन ओर्गनाइजेशन, 1958 पेज 258
- चंद्रावती लखनपाल : स्त्रियों की स्थिति, पृष्ठ 25
- मनुस्मृति, 5/148
- मनुस्मृति, 2/67
- जयशंकर प्रसाद : कामायनी का श्रद्धा सर्ग

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

उज्जैन जिले में कृषि विपणन व्यवस्था एवं उसका प्रभाव

विक्रम बामनिया
शोधार्थी (अर्थशास्त्र) शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंदसौर (म.प्र.)
डॉ. एम. एल. पाटीदार
पूर्व प्राचार, शा. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नीमच (म.प्र.)

प्रस्तावना :– मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था मौसम पर आधारित और कृषि पर निर्भर है। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र प्रमुख है जो राज्य की 72 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार और आजीविका उपलब्ध करवाने वाला यह एक मात्र क्षेत्र भी है।

जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के कुल कामगारों का 69.8 प्रतिशत और ग्रामीण कामगारों का 85.6 प्रतिशत आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। इसमें 31.2 प्रतिशत किसान तथा 38.6 प्रतिशत कृषि मजदूर शामिल है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 24.4 प्रतिशत है और इसीलिए राज्य की खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए इस क्षेत्र की लगातार सकारात्मक विकास दर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।

कृषि क्षेत्र में कई उपलब्धियों के लिए वर्ष 2011–12 अविस्मरणीय रहेगा। इस अवधि के दौरान मध्यप्रदेश ने न केवल कृषि विकास में 2.49 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ा बल्कि कृषि क्षेत्र में (पशुपालन भी शामिल है) 18.89 प्रतिशत की अप्रत्याशित विकास दर के साथ देश में भी अव्वल भी रहा है। वर्ष 2011–12 में ही प्रदेश ने बीजों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से बीज उत्पादकों की सहकारी विपणन समितियाँ गठित करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। प्रदेश की योजनागत विकास की सफलता अन्ततः कृषि विपणन प्रणाली पर ही निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त गरीबी को कम करने आवश्यक वस्तुओं को उपभोक्ता तक पहुँचाने, कृषि उत्पादों को बढ़ी हुई कीमतों को रोकने, कृषि उत्पादों के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने आदि के लिए देश में कृषि वस्तुएँ के लिए उपयुक्त एवं कुशल विपणन व्यवस्था का होना आवश्यक होता है।

मण्डी समिति के कार्य :–

1. कृषि उपज मण्डी क्षेत्र में विपणन करने के लिए ऐसी सुविधा का प्रबंधन करना जैसा "प्रबन्ध संचालक" राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश दे।
2. मण्डी कृत्यकारियों को लाइसेंस प्रदान करना और लाइसेंसों का नवीनीकरण करना।
3. कृषि उपज के उत्पादन का क्रय–विक्रय भण्डारण तथा किसानों से संबंधित जानकारी एकत्र करना एवं सदस्यों के भुगतान संबंधी समस्याओं का निराकरण करना।

शोध के उद्देश्य :–

1. कृषि उपज मण्डी समिति की आय–व्यय का अध्ययन करना।
2. कृषकों की विपणन क्रिया का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि :– इस शोध अध्ययन का क्षेत्र कृषि उपज मण्डी समिति उज्जैन है जो कि जिला उज्जैन की मुख्य कृषि उपज मण्डी समिति है, की आय–व्यय का अध्ययन मण्डी समिति द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। कृषि उपज मण्डी समिति की विगत दस वर्षों की आय–व्यय का अध्ययन

तालिका–01

मण्डी समिति, उज्जैन हेतु आय–व्यय का विवरण (राशि लाख रू. में)

वर्ष	आय	कुल आय का प्रतिशत	व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2001–02	405.55	4.38	356.26	4.20
2002–03	408.88	4.41	413.80	4.88
2003–04	507.98	5.49	523.45	6.18
2004–05	554.06	5.98	622.02	7.34
2005–06	670.57	7.24	581.55	6.86
2006–07	820.07	8.86	591.04	6.97
2007–08	1426.61	15.41	1265.72	14.93
2008–09	1286.01	13.89	1418.43	16.74
2009–10	1433.17	15.48	1203.66	14.19
2010–11	1746.39	18.86	1497.04	17.66
योग	9256.29	100	8475.04	100

स्त्रोत – कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, उज्जैन लेखा शाखा में

उपरोक्त तालिका में कृषि उपज मण्डी समिति उज्जैन की आय–व्यय का अध्ययन किया गया है जिसमें मण्डी समिति को आय (मण्डी शुल्क, लायसेंस शुल्क तथा अन्य आय) प्राप्त होती है। इसी प्रकार मण्डी समिति अपनी आय को व्यय भी अपने (संस्थापना व्यय, निर्माण एवं विकास कार्यों पर व्यय, बोर्ड शुल्क तथा अन्य प्रकार के व्यय जो मण्डी प्रांगण के लिए आवश्यक होते है), मण्डी प्रांगण के रखरखाव के लिए किए जाते है। वर्ष 2001–02 में मण्डी समिति की आय 405.55 लाख रु. है जो कुल आय का 4.38 प्रतिशत है। इसी प्रकार व्यय 356.26 लाख रु. है जो कुल व्यय का 4.20 प्रतिशत है जो बढ़कर वर्ष 2007–08 में 15.41 प्रतिशत हो गई तथा व्यय 1265.72 लाख रु. हो गई जो कि कुल व्यय राशि का 14.93 प्रतिशत व्यय मण्डी समिति द्वारा किया गया।

इसी प्रकार वर्ष 2010–11 में 1746.39 लाख रु. की आय प्राप्त हुई जो कुल आय का 18.86 प्रतिशत है तथा व्यय 1497.04 लाख है जो कुल व्यय राशि का 17.66 प्रतिशत व्यय किया गया। इस प्रकार मण्डी समिति द्वारा प्राप्त आय के अनुसार ही व्यय किया गया जो कि मण्डी समिति को विपणन कार्य को अच्छे सुचारू रूप से चलाने हेतु किए जाते है तथा आवश्यक होते है।

तालिका क्रमांक 02

मण्डी में कृषि विपणन को प्रभावित करने वाले कारक

क्र.	विवरण	हाँ		नहीं		कुल प्रतिशत
		आवृत्ति	प्रतिशत	आवृत्ति	प्रतिशत	
1.	क्या नियमित मण्डियों के कारण अपनी फसल मण्डियों में बेचते है	142	67.62	68	32.38	210 (100)
2.	मंडियों में बेचने के दौरान धोखाधड़ी हुई	53	25.24	157	74.75	210 (100)
3.	फसल तोलने में इलेक्ट्रानिक कांटों का प्रयोग किया जाता है।	165	78.57	45	21.43	210 (100)
4.	मण्डी की दूरी अधिक होने के कारण फसल स्थानीय बाजार में फसल बेचते है	93	44.28	117	55.72	210 (100)
5.	न्यूनतम समर्थन मूल्य से उत्पादन बढ़ाने में आपको प्रोत्साहन मिलता है	188	89.52	22	10.48	210 (100)

स्त्रोत – सर्वेक्षण आधारित समंक विश्लेषण

उपरोक्त तालिका–02 में कृषि विपणन को प्रभावित करने वाले कृषकों का अध्ययन किया गया। सर्वेक्षित आंकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि नियमित मण्डियों की स्थापना होने से 142 उत्तरदाताओं के अनुसार नियमित मण्डी के कारण अपनी फसल को मण्डी में बेचते है जो कि 67.62 प्रतिशत है तथा 32.38 प्रतिशत अभी भी मंडियों का उपयोग नहीं करते है।

मण्डी में किसी प्रकार की धोखाधड़ी के कारण 25.24 प्रतिशत कृषकों के अनुसार धोखाधड़ी हुई है जबकि 74.76 प्रतिशत कृषकों के अनुसार नियमित मण्डियों की स्थापना से अब किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं होती है। 78.57 प्रतिशत कृषकों के अनुसार फसल विक्रय के उपरान्त तुलाई में इलैक्ट्रानिक तोलकांटों का प्रयोग किया जाता है जबकि 21.43 प्रतिशत कृषकों के अनुसार व्यापारियों द्वारा उनके गोदामों पर लगे तोल कांटों/अन्य तराजू बाटों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 44.28 प्रतिशत कृषकों के अनुसार मण्डी की दूरी अधिक होने के कारण अपनी फसल को स्थानीय बाजार में फसल बेचते है तथा 55.72 प्रतिशत कृषकों के अनुसार मण्डियों की दूरी अधिक होने पर भी वे अपनी उपज को विक्रय हेतु मण्डियों में ही ले जाते है।

इसी प्रकार सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य भी कृषकों को अपनी उपज के उत्पादन को बढाने हेतु प्रोत्साहित करते है। 89.52 प्रतिशत कृषकों के अनुसार समर्थन मूल्य से प्राप्त प्रोत्साहन मिलने से और अधिक उत्पादन करते है तथा 10.48 प्रतिशत कृषकों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके अनुसार समर्थन मूल्य के अतिरिक्त मौसम की अनुकूलता, सिंचाई, वर्षा आदि भी उत्पादन को प्रभावित करते है।

कृषि विपणन में आने वाली समस्याएँ :– अध्ययन क्षेत्र में सर्वेक्षण एवं प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा मंडियों की वास्तविक स्थिति एवं कृषकों की जानकारी को प्राप्त किया गया।

कृषकों को फसल उत्पादन के पश्चात् विपणन पूर्व अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं, जिसमें परिवहन एवं पैकेजिंग के लिए वित्त विपणन पूर्व भण्डारण, विपणन संबंधी जानकारी का अभाव, अशिक्षा का विपणन पर प्रभाव, परिवहन साधनों किराया दरों, सड़क मार्ग के प्रकार का प्रभाव, मण्डियों में माप–तौल, मूल्य निर्धारण आदि समस्याओं का अध्ययन किया गया जो इस प्रकार है –

1. किसानों को अशिक्षित होने के कारण साहूकारों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। अध्ययन में 20 प्रतिशत कृषक अशिक्षित है। अशिक्षा के कारण मूल्यों की सही जानकारी प्राप्त करने, साहूकारों व मध्यस्थों द्वारा गलत भाव की जानकारी देकर ठगी व धोखा किया जाता है।
2. कृषि कार्यो के अंतर्गत मजदूरी, ढुलाई, तुलाई, परिवहन आदि कार्यों के लिए वित्त की उपलब्धता इतनी अपर्याप्त और मंहगी है, जो प्रमुख समस्या है।
3. कृषि उपज के संग्रहण की उचित व्यवस्था के अभाव के कारण भी फसल का बहुत बड़ा भाग रखरखाव के अभाव में खराब हो जाती है।
4. कृषि उपज के तैयार माल को मण्डी में ले जाने के लिए परिवहन की समस्या भी विपणन प्रक्रिया को प्रभावित करती है जिसके कारण छोटे कृषक आस–पास के स्थानीय बाजार में ही बेच देते है। वे अधिक लागत वहन नहीं कर पाते है।
5. किसानों को उनकी उपज के मूल्य का भुगतान में होने वाले विलम्ब भी विपणन की समस्या बनी हुई है।
6. मण्डियों में अशिक्षित एवं निर्धन कृषकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। व्यापारी, तुलावटी व हम्मालों के अतिरिक्त मण्डी के कर्मचारियों, अधिकारी से कृषकों द्वारा उनकी समस्याओं की शिकायत करने वाले कृषकों से अपमानजनक व्यवहार किया जाता है।

कृषि विपणन में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव :–

1. कृषि विपणन की अच्छी या विकसित एवं तकनीकी प्रणाली के प्रयोग से विपणन प्रणाली को सुगम, सरल व सुविधाजनक बनाया जा सकता है। आधुनिक प्रणाली के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक तोलकांटों को अपनाया जाए तो उसे निर्धनता तथा पिछड़ेपन के अभिशाप से मुक्त करने का कार्य सरल हो सकता है।
2. कृषि विपणन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कृषक उत्पादक अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त कर रहा है। फसल की बुआई से

लेकर उसकी बिक्री की अवधि में उपभोग व्यय के लिए सस्ती एवं सरल ब्याज दर पर पर्याप्त ऋण सुविधाएँ उपलब्ध हो। उपज विपणन के समूचे प्रबंधन से कृषक की सौदेबाजी की क्षमता में वृद्धि होती है।

3. कृषि विपणन प्रणाली में मध्यस्थों व दलालों के हस्तक्षेप पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों द्वारा कृषकों को दिए जाने वाले ऋण का सरकारी रिकार्ड होना चाहिए।
4. मण्डी प्रांगण में कृषकों को रहने, रात्री विश्राम, भोजन, मण्डी प्रांगण में फसल की सुरक्षा जैसी मूलभूत आवश्यकता की उचित प्रबंधन व्यवस्था होनी चाहिए।
5. सहकारी समितियाँ पारस्परिक सहयोग की प्रवृत्ति से कृषकों की स्थिति में सुधार हो सकता है जो विपणन व्यवस्था में सार्थक प्रयास एवं उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
6. सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा के पूर्व घोषणा तथा सरकारी खरीद की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए तथा भण्डारण की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
7. परिवहन साधन वस्तु के निर्माण और वितरण में संवाहक बनते है। परिवहन साधन जितने अधिक विकसित व व्यापक होंगे विपणन व्यवस्था उतनी ही व्यापक एवं सुगम होगी। अतः परिवहन की पर्याप्त सुविधा कुशल विपणन हेतु आवश्यक है।

निष्कर्ष :– अध्ययन क्षेत्र में सर्वाधिक किसान अपनी उपज को संगठित बाजारों में विशेषकर मण्डियों में बेचने को अत्यधिक मात्रा में अधिमान प्रदान करते है। इसका मुख्य कारण यह है कि मण्डियों में उपज के विक्रय से मध्यस्थों द्वारा होने वाली अनावश्यक लुट से किसानों को राहत मिली है तथा उपज का विक्रय सही मानदण्डों के साथ किया जाता है।

कृषि उपज मण्डियों के माध्यम से कृषकों को उचित मूल्य एवं समर्थन मूल्यों के निर्धारण से व्यापारियों एवं साहूकारों में प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हुआ है, जिससे कृषि उत्पादन की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित हुआ है। कृषकों को अपनी फसल का उचित मूल्य मिलने तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु वर्तमान विपणन प्रणाली को ओर अधिक सुदृढ़ और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। एक अच्छी विपणन प्रणाली होने से कृषकों को कृषि कार्य को और बेहतर ढंग से करने में सहायता मिलती है जिससे कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ देश के आर्थिक विकास को और अधिक बल मिलेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण (2014), 'योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग', मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
2. जैन, जयश्री (2008), 'विपणन और भण्डागार', कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली.
3. अग्रवाल, डॉ. एन. एल. (2008), 'भारतीय कृषि का अर्थतंत्र' राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर.
5. मिश्र, एस. के. एवं पूरी, वी. के. (2012), 'भारतीय अर्थव्यवस्था' हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में वित्तीय व्यवस्था

श्रीमति ममता यादव
ग्रंथापाल एन. ई. एस. एजुकेशन कॉलेज जबलपुर म.प्र.

प्रस्तावना :– ग्रंथालय अलाभकारी संस्थाएं होती है। अधिकांश शैक्षणिक और संस्थागत निकायों के सेवा अनुभाग होते है। अतः इन पर अपने वित को बड़ी सावधानी से और विवेकपूर्वक व्यवस्थित करने का प्रभार होता है। अतः पुस्तकालय का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपनी वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान कर अपने कार्यकलापों, गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के लिए बजट बनाए, निधि का उपयुक्त प्रबंधन एवं निश्चय समयावधी में निधि का व्यय करें, लेखा का रखरखाव करें और रिपोर्ट तैयार करें। सार्वजनिक पुस्तकालय में दी जाने वाली सेवाएं साधारणतः निशुल्क होती है क्योंकि ये सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होती है। अतः पुस्तकालय विज्ञान के छात्रों को आवश्यक है कि वे पुस्तकालय वित्त, व्यय, बजटिंग, लेखाकरण का आधारभूत ज्ञान अर्जित करें।

उद्देश्य :– इस इकाई के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता, उद्देश्य, बजट निर्माण और वित्तीय नियोजन का अर्थ जानना एवं ग्रन्थालय एवं सूचना केंद्रों में इनके अनुप्रयोगों को जानना है। साथ ही हम इस इकाई के अध्ययन से यह जान सकेंगे।

- ग्रन्थालयों मे वित के प्रमुख स्रोतों और व्यय के मदों को।
- ग्रन्थालयों में वित्तीय अनुमान के मानदंड और मानकों के अनुप्रयोग।
- बजट बनाने की विधियां, बजट बनाने एवं बजट निर्धारण के मानदंड एवं मानकों को।
- ग्रन्थालय बजट जो नियंत्रण के यंत्र के रूप में कार्य करता है, के महत्व को।

बजट : वित्तीय योजना :– किसी भी संस्था की तरह ग्रन्थालय के सुव्यवस्थित संचालन के लिए धन अर्थात वित एक अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण उपकरण है वित की व्यवस्था न होने पर ग्रन्थालय के संचालन को गति प्रदान नहीं की जा सकती है इसलिए ग्रन्थालय के लिए वित एक उत्प्रेरक शक्ति होती है जो ग्रन्थालय की सम्पूर्ण मशीनरी के संचालन के लिए अतिआवश्यक होती है। ग्रन्थालयों के सुसंचालन के लिए वित की व्यवस्था करने के कार्य को ग्रन्थालय की वित्तीय व्यवस्था अथवा वित्तीय प्रबन्ध कहते हैं। ग्रन्थालय का वित्तीय प्रबन्ध ग्रन्थालय प्रबन्ध की वह शाखा है जिसमें ग्रन्थालय के संचालन के लिए आय के रूप में वित्त की प्राप्ति तथा उस उपार्जित वित्त के प्रबन्ध करने से सम्बन्धित होता है पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था के अभाव में कोई भी ग्रन्थालय अपना विकास एवं उन्नति करने में सफल नहीं हो सकता है इसलिए ग्रन्थालय के लिए वित्त की व्यवस्था करना अति आवश्यक होता है।

ग्रन्थालय एक सार्वजनिक संस्था होती है जो सार्वजनिक धन से ही संचालित की जाती है। ग्रन्थालय प्राधिकरण अथवा अधिकारियों को ग्रन्थालय की प्रकृति एवं आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक होता है जिससे समुचित ग्रन्थालय सेवा प्रदान करने के लिए समुचित एवं पर्याप्त वित्त की उपलब्धता की व्यवस्था की जा सके। वित्तीय व्यवस्था के लिए वित्तीय साधनों की पूर्व में ही व्यवस्था कर लेना आवश्यक होता है। पूर्व में ही ग्रन्थालय के लिए वित्त व्यवस्था करने के कुछ सिद्धान्त होते हैं।

ग्रन्थालय वित्त के सिद्धान्त :– ग्रन्थालय के लिए वित्त (अर्थात धन) की व्यवस्था करने कुछ सिद्धान्त होते हैं जिन पर अमल करना अति आवश्यक होता है। ये सिद्धान्त निम्न होते हैं –

(1) व्यवशील संस्थायें :– ग्रन्थालयों में किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष रूप से कोई आय नहीं होती है, जैसा कि अन्य संस्थाओं में होती है। अतः यह आयकारी संस्था तो नहीं होते पर व्ययकारी अवश्य होते हैं। कर्मचारियों के वेतन, पाठ्य–सामग्री के क्रय, तथा अन्य खर्चों के लिए धन की आवश्यकता अवश्य होती है इसलिए इनके संचालन मे मात्र व्यय ही होता है। इनके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से कोई आय नहीं होती है पर ग्रन्थालयों की आय परोक्ष रूप से ग्रन्थालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं के रूप में होती है। अतः ग्रन्थालय के लिए वित्त की व्यवस्था के लिए यह ध्यान रखना आवश्यक

होता है कि ग्रन्थालय व्ययकारी संस्था ही होते हैं आयकारी नहीं।

(2) वर्धनशील संस्था :– ग्रन्थालय की प्रकृति वर्धनशील होती है। डा. रंगनाथन् का पंचम सूत्र भी यही कहता है। अर्थात ग्रन्थालय के प्रत्येक क्षेत्र में दिन–प्रतिदिन, वृद्धि होती रहती है। ग्रन्थालय के पाठ्य–सामग्री में वृद्धि पत्र–पत्रिकाओं में वृद्धि, समयानुसार नवीन सेवाओं और कार्यों में वृद्धि, ग्रन्थालय के आकार में वृद्धि, कर्मचारियों की संस्था में वृद्धि के साथ–साथ ग्रन्थालय के उपयोगकर्ताओं में वृद्धि होना भी स्वाभाविक है और इन सभी में वृद्धि के साथ–साथ ग्रन्थालय के बजट में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। अतः ग्रन्थालय की वित्त व्यवस्था का प्रावधान करने के पहले इस बात पर भी विचार करना आवश्यक होता है।

(3) ग्रन्थालय में धन की मांग आवर्ती होती है :– ग्रन्थालय एक वर्धनशील संस्था ही नहीं होते हैं वे एक बार स्थापित हो जाने के बाद हमेशा विद्यमान रहते हैं और इनमें हमेशा धन की मांग बनी रहती है क्योंकि निरंतर अतिरिक्त यदि कोई ग्रन्थालय पाठ्य–सामग्री न खरीदें न ही कोई अन्य व्यय करें फिर भी ग्रन्थालय कर्मचारियों के वेतन के लिए धन की आवश्यकता अवश्य पड़ती ही है जो प्रतिमाह देना आवश्यक है। अर्थात् जिस व्यय की आवृत्ति प्रतिमाह अवश्य होती है वह व्यय आवर्ती व्यय (Recurring) कहलाता है इसलिए ग्रन्थालय के वित्त व्यवस्था के लिए इस बात पर भी विचार करना आवश्यक होता है।

परिभाषाएं :–

1. Budget is the annual estimate of revenue and expenditure of the library – Oxford Dictionary
2. Budget is the financial statement of estimate of revenue and expenditure of an institution for a definite period of time.

उद्देश्य तथा उपयोगिता :– ग्रन्थालय एक सार्वजनिक संस्था होती है जिसके संचालन के लिए धन की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक होता है। ग्रन्थालय प्रतिवर्ष अपनी आय एवं व्यय का अनुमान करके उसको नियोजित रूप में संचालित करने के लिए अपने बजट का निर्माण करते हैं। बजट में कुछ प्रमुख शीर्षकों के अन्तर्गत आय तथा व्यय का विवरण अंकित किया जाता है। नियोजित आय एवं व्यय हेतु बजट का निर्माण आवश्यक है। इसके माध्यम से आय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग सम्भव हो पाता है तथा साथ ही आवश्यक एवं उपयोगी मदों पर ही धनाशि व्यय होती है। बजट का प्रमुख उद्देश्य आय तथा व्यय का संतुलित स्थापित करना और आय को नियोजित रूप में युक्तिपूर्ण ढंग से व्यय करना है। बजट के द्वारा यह पहले से ही ज्ञात हो जाता है कि कितनी धनराशि किन–किन मदों में व्यय होना प्रस्तावित है। ग्रन्थालय के लिए बजट का निर्माण निम्न कारणों से आवश्यक है –

ग्रंथालय में बजट के माध्यम से आय एवं व्यय का अनुमान पहले से ही हो जाता है।

1. बजट से ही ग्रंथालय की आय तथा व्यय में सन्तुलन स्थापित होता है।
2. बजट के माध्यम से ही ग्रन्थालय की आय प्राप्त होती है तथा बजट के ही अनुसार व्यय किया जाता है अतः दोनों में नियंत्रण बना रहता है।
3. बजट के माध्यम से ही आवश्यक तथा उपयोगी मदों पर ही धनराशि व्यय होती है।
4. बजट प्रस्तुत किये जाने से ग्रन्थालय प्राधिकरण एवं अधिकारियों को ग्रन्थालय की आय एवं व्यय पहले से ही विवरण प्राप्त होता है।
5. बजट ग्रन्थालय का माँग पत्र होता है अर्थात् बजट में दिखाई गई समस्त आय अथवा धनराशि को ग्रन्थालयी प्राप्त करने का अधिकारी होता है।
6. बजट के द्वारा ही धन को नियोजित ढंग से व्यय किया जाता है अर्थात् जिस मद के लिए धन की व्यवस्था की जाती है उसी मद में खर्च करने का ग्रन्थालयी अधिकारी हो जाता है।
7. किसी नवीन आवश्यकता के लिए बजट में पहले से ही प्रावधान करना होता है।
8. ग्रन्थालय के स्तर की दृष्टि से भी बजट का निर्माण आवश्यक होता है।

ग्रन्थालय बजट में व्यय का निर्धारण :– ग्रन्थालयों में व्यय के तीन प्रमुख मद है जिसमें ग्रन्थालय की सम्पूर्ण आय को व्यय किया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि व्यय के इन तीन प्रमुख मदों में कुल बजट का कितना प्रतिशत धन व्यय करना चाहिए। इनके निर्धारण के लिए अलग–अलग सिद्धांत हैं।

(क) **कर्मचारियों का वेतन** :– किसी भी ग्रन्थायल के सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षित, प्रतिक्षित, योग्य कर्मठ एवं निष्ठावान कर्मचारियों की आवश्यकता होती

है। यदि ग्रन्थायल के लिए सर्वगुण सम्पन्न स्टाफ की आवश्यकता होती है तो उन्हें उसी के अनुरूप वेतन व वेतनमान तथा अन्य आर्थिक सुविधाएँ मिलनी चाहिए। पर वास्तव में तो ग्रन्थालय कर्मचारियों के वेतन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है विशेषकर भारतवर्ष में तो इस ओर उदासीनता ही दिखाई पड़ती है। ग्रन्थालयों में पाठ्य–सामग्री के क्रय के लिए तो व्यवस्था की जाती है परन्तु ग्रन्थालय स्टाफ के वेतन की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है जो कि बहुत आवश्यक है क्योंकि यदि ग्रन्थालय में स्टाफ ही अपने वेतन सन्तुष्ट नहीं रहेगा तो वह किस प्रकार ग्रन्थों का सीधा सम्बन्ध पाठकों के साथ जोड़ने में सफल होगा। डा. रंगनाथन के अनुसार **–तब तक ऐसी सन्तोषजनक ग्रन्थालय सवा प्रदान नहीं की जा सकती जो साधारण में पठन–पाठन की प्रेरणा के क्षय को रोकने के लिए समर्थ हो सके, जब तक कि ग्रन्थालय वार्षिक बजट का आधा भाग कर्मचारियों के वेतन के लिए सुरक्षित नहीं रख दिया जाता।**

विभिन्न प्रकार के तथ्यों को ध्यान में रखकर निष्कर्ष रूप में यह कहा जाता है कि भारतीय सार्वजनिक ग्रन्थालयों व शैक्षणिक ग्रंथालयों में ग्रन्थालय के कुल बजट का आधा हिस्सा सभी कर्मचारियों के वेतन पर अवश्यक व्यय किया जाना चाहिए।

बजट के प्रकार :– प्रत्येक ग्रन्थालय चाहे छोटा हो या बड़ा बजट से ही संचालित किया जाता है। अधिकांश ग्रन्थालयों में ग्रन्थालयी तथा ग्रन्थालय का वरिष्ठ स्टाफ अधिकारियों के निर्देशों एवं नियमों के अनुसार बजट का निर्माण करते हैं। बजट का निर्माण होने के बाद उसे अधिकारियों के समझ प्रस्तुत करने से पहले यदि आवश्यक हुआ तो ग्रन्थालय समिति द्वारा पुर्नरीक्षित, संशोधित किया जाता है तथा उसका अनुमोदन किया जाता है।

ग्रन्थालय में बजट बनाने की कुछ विधियाँ होती हैं जिनमें से कुछ परम्परागत होती हैं तथा जो अधिकांश ग्रन्थालयों द्वारा व्यवहार में लाई जाती है, कुछ नवीन विधियां भी विकसित हुई है जो आजकल कुछ आधुनिक ग्रन्थालयों मे प्रयोग में लाई जा रही हैं। बजट निर्मित करने की कुछ विधियाँ निम्न होती हैं–

1. मद आधारित रेखित या लाइन बजट
2. कार्यक्रम आधारित या प्रोग्राम बजट
3. निष्पादन या परफोर्मेन्स बजट
4. योजनाा कार्यक्रम बजट पद्धति या प्लानिंग–प्रोग्रामिंग बजट पद्धति
5. शून्य आधारित बजट
6. सूत्र आधारित बजट

मद आधरित रेखित या लाइन प्रति लाइन बजट :– सबसे सामान्य प्रकार का बजट लाइन–बजट होता है इस प्रकार के बजट में व्यय के मदों को विस्तृत भागों में विभाजित कर दिया जाता है,जैसे–पुस्तकें एवं सामयिकी, वेतन एवं भत्ते, उपकरण एवं साज–सज्जा तथा आकस्मिक व्यय आदि तथा जिन्हें पुनः उपवर्गो में विभाजित किया जाता है। बजट निर्मित करने की यह सामान्य एवं परम्परागत विधि है जिसमें पिछले वर्ष के प्रत्येक मद के व्यय पर वर्तमान का अनुमान लगाया जाता है। तथा जिसमें व्यय के प्रत्येक मुख्य मद में पिछले मद में वर्ष की अपेक्षा 5 से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि यह मानकर प्रदर्शित की जाती है कि वर्तमान प्रोग्राम उतने ही आवश्यक हैं जितने पिछले वर्ष थे। इस विधि में ग्रन्थालय के क्रिया–कलाप, गतिविधियों तथा सेवाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाता है तथा भविष्य के लिए भी कोई नवीन योजना प्रस्तुत नहीं की जाती है। इस विधि से बजट निर्मित करने का सबसे प्रमुख लाभ यह होता है कि यह विधि बजट बनाने, प्रस्तुत करने तथा समझने में अन्य विधियों की अपेक्षा सरल है।

यह विधि यह सुनिश्चित करती है कि बजट में मदों में व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया गया है वह उन्हीं मदों में खर्च किया गया है अथवा नहीं। इस विधि में एक मुख्य कमी यह होती है कि उसमें प्रदर्शित मदों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। व्यय उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार पिछले वर्ष किया गया था। कहने का तात्पर्य यह है इस प्रकार के बजट में लचीलापन नहीं होता है अर्थात् जो धन जिस मद में व्यय हेतु प्रदर्शित किया जाता है उसे उसी मद में खर्च किया जाता है अन्य किसी मद में नहीं किया जा सकता है। अतः वित्तीय नियमों के अनुसार एक मद का धन दूसरे मद में व्यय करना सम्भव नहीं होता है, जैसे–बजट में उपकरणों के क्रय हेतु दिखाया गया धन यदि किसी कारणवश उपकरणों पर व्यय नहीं किया जा सकता है तो वह अन्य किसी मद पर भी खर्च नहीं किया जा सकता है।

कार्यक्रम आधारित या प्रोग्राम बजट :– ग्रन्थालय के विभिन्न क्रिया–कलापों अथवा प्रोग्राम के अनुसार बजट निर्मित करने का एक नवीन विचार का प्रादूर्भाव हुआ इसमें ग्रन्थालय के व्यय के व्यक्तिगत मदों के आधार पर व्यय के व्यक्तिगत मदों के आधार पर व्यय का अनुमान नहीं लगाया जाता है बल्कि बजट निर्माण की इस विधि में मुख्य केन्द्र बिन्दु ग्रन्थालय के क्रिया–कलाप होते हैं तथा धनराशि का प्रावधान प्रोग्राम अथवा ग्रन्थालय सेवाओं के आधार पर निश्चित किया जाता है जिन्हें ग्रन्थालय में आयोजित करने की योजना होती हैं उराहरण के लिए यह कहा जा सकता है कि यदि किसी विश्वविद्यालय ग्रन्थालय में सामयिक चेतना सेवा (CAS) की व्यवस्था करने का निश्चय किया जाता है तो उस सेवा के आयोजन में अर्थात् स्टाफ, सामग्री, प्रकाशन ताकि अन्य अतिरिक्त कार्य में जो व्यय अनुमानित किया जायेगा वह इस प्रकार का बजट कहलाता है। ऐसा बजट प्रोग्राम में आयी लागत के आधार पर बनाया जाता है। तथा प्रतिवर्ष इस प्रकार के बजट में यह पहले से ही निश्चित करना पड़ता है कि क्या प्रारम्भ किये गये प्रोग्राम को निरन्तर जारी रखना है या संशोधित करना है उसमें कुछ परिवर्तन करन है अथवा बिल्कुल ही समाप्त करना हैं इन बातों पर विचार करके ही प्रोग्राम बजट तैयार किया जाता है।

प्रोग्रामिंग बजट बनाने हेतु कोई भी ग्रन्थालय अपने कार्यों अथवा प्रोग्रामों को विभिन्न वर्गो में विभाजित कर लेते हैं जो ग्रन्थालय की संगठनात्मक संरचना के आधार पर विभाजित किये जा सकते हैं, जैसे कि प्रशासनिक सेवाएँ, पाठक सेवाएँ आदि इसमें से प्रत्येक प्रकार की सेवा को ग्रन्थालय के विभिन्न विभागों द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। इन विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यो अथवा प्रोग्रामों से सम्बन्धित तुलनात्मक आँकड़े वर्तमान तथा प्रस्तावित व्यय के बारे में प्रस्तुत किये जाते है। इस प्रकार प्रोग्रामिंग बजट में प्रत्येक विभाग के क्रिया–कलापों के लिए धनराशि के प्रभारियों को अपनी आवश्यकताओं को मापने तथा उनके व्यय पर निगरानी रखने का अवसर प्राप्त होता है।

निष्पादन या परफोर्मेन्स बजट :– बजट निर्माण की यह विधि प्रोग्रामिंग बजट के समान ही होती हैं मात्र अन्तर यह होता हैं मात्र यह होता है कि इसमे प्रोग्राम की अपेक्षा ग्रन्थालय की उपलब्धियों पर अधिक बल दिया जाता है। इसमें व्यय का आधार ग्रन्थालय के क्रिया–कलाप होते हैं जिनमें कर्मचारियों की कार्य करने की क्षमता पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें ग्रन्थालय में किसी निश्चित समय में ग्रन्थालय के सभी क्रिया–कलापों से सम्बन्धित परिमाणात्मक तथ्यों के संग्रह की आवश्यकता होती है तथा स्थापित सिद्धान्त का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। उदाहरण के लिए जैसे–पुस्तकों की संख्या, वर्गीकृत तथा सूचित पुस्तकों की संख्या, इनके प्रक्रियाकरण कार्य में लगने वाला समय आदि पर तथ्य एवं आँकड़े मानव शक्ति तथा कार्यो को करने के लिए उपकरण–सामग्री के निर्धारण के लिए संग्रहीत किये जाते है।

बजट निर्माण की यह विधि गुण की अपेक्षा परिमाण की माप करती है जिसको धनराशि के रूप में मापना अत्यन्त ही कठिन कार्य होता है। वास्तव में ग्रन्थालय जैसी एक सेवाकारी संस्था के लिए बजट का निर्धारण ग्रन्थालय सेवाओं से उसके उपयोगकर्ताओं को कितनी संतुष्टि मिलती है इस बात के आधार पर किया जाता है।

योजना कार्यक्रम बजट पद्धति या प्लानिंग–प्रोग्रामिंग बजट पद्धति :– बजट निर्माण करने की यह एक अन्य विधि है जिसमें बजट उपरोक्त दोनों विधियों प्रोग्रामिंग बजट तथा परफोर्मेन्स बजट की विशेषताओं को सम्मिलित करके बनाया जाता है। इस विधि का केन्द्रबिन्दु योजना पर होता है। यह विधि ग्रन्थालय के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को लेकर प्रारम्भ होती है तथा प्रोग्रामों अथवा सेवाओं की स्थापना पर समाप्त होती है। यह विधि ग्रन्थालय के नियोजित क्रिया–कलापों, प्रोग्राम एवं सेवाओं तथा उन्हें प्रोजेक्ट के रूप में क्रियान्वित करने तथा आवश्यक सामग्रियों को अन्तिम रूप में बजट के माध्यम से प्रदर्शित करने में सम्बन्ध स्थापित करती है।

शून्य आधारित बजट :– विचारों की दृष्टि से शून्य आधारित बजट उपरोक्त प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट के समान ही होता है। इस प्रकार के बजट में वर्तमान वर्ष से पहले अर्थात् भूतकाल में क्या हुआ है? इस प्रकार की बजट विधि में प्रत्येक प्रोग्राम अथवा क्रिया–कलाप का विस्तृत विववरण प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके लिए वित्तीय व्यवस्था पिछले वर्ष का सन्दर्भ दिये बिना प्रस्तुत की जाती है। दूसरे शब्दों में वित्त की माँग प्रत्येक वर्ष नवीन सिरे से की जाती है। पिछले वर्ष के

व्यय से इस प्रकार के बजट में कोई सम्बन्ध स्थापित नही किया जाता है।

बजट निर्मित करने की इस विधियों का प्रादुर्भाव अभी–अभी कुछ समय पहले हुआ है ताकि इस प्रकार के बजट बनाने वाले यह तर्क देते हैं कि ये विधियाँ परम्परागत विधियों से उत्तम हैं। वास्तव में इन विधियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट ग्रन्थालय की बजट सम्बन्धी आवश्यकताओं, गतिविधियों एवं सेवाओं का एक पूर्ण विवरण प्रदर्शित करते है।

भारत में अधिकांशतः सभी ग्रन्थालय परम्परागत विधियों से बजट का निर्माण करते हैं केवल हाल के ही कुछ वर्षो में बजट निर्मित करने की नवीन विधियों की ओर कुछ ग्रन्थालयों का ध्यान में कोई परिवर्तन नहीं होता है जो एक बार प्रारम्भ हो जाती हैं। वे निरन्तर चलती रहती हैं ओर किसी भी सूरत में बन्द नहीं की जा सकती है।

सूत्र आधारित बजट :– यह विधि वित्तीय मानदंडों तथा मानकों पर आधारित होकर कुछ निवेशों जैसे उपयोक्ता, समर्थित शैक्षणिक कार्यक्रम तथा पैतृक निकाय की संपूर्ण निधियों से ग्रंथ–संग्रह के अनुपात से संबद्धता का प्रयास करती है। वित्तीय आकलन मानदंडों के लिये एक फार्मूला तैयार किया जाता है। यह विधि एक विस्तृत तथा गतिशील विधि प्रतीत होती है। अतः कर्मचारियों एवं संस्थान के समय की बचत करती है।

सारांश :– इस इकाई में हमने ग्रन्थालयों में वित्तीय प्रबंधन, बजट उसके लक्षण एवं विशेषताओं का विस्तृत विवेचन किया।

पुस्तकालय अपनी निधि व्यय पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, कर्मचारियों के वेतन–भत्ते, भवन, उपकरण, प्रलेखन एवं सूचना सेवाओं, एवं अन्य मदों में अपनी आवश्यकता के अनुरूप कुछ निर्देशक सिद्धांतों को सुनिश्चित करते हुए करता है।

पुस्तकालयों को कितना वित्त आंवटित किया जाय, इस हेतु वित्तीय अनुमान या आकलन आवश्यक है। वित्तीय अनुमान या आकलन हेतु तीन विधियों को ध्यान में रखा जाता है –

1. प्रति व्यक्ति दर विधि 2. समानुपातिक विधि 3. ब्यौरेवार विधि।

बजट बनाने की विधियों को संक्षेप में बताया गया है। ग्रन्थालय बजट जो नियंत्रण के यंत्र के रूप में कार्य करता है, के महत्व को समझाया गया। बजट साधारणतया मानक नियामकों की अनुरूपता में, विशेषकर व्यय की विभिन्न प्रतिस्पर्धित वस्तुओं के लिये निधि के आंवटन के संदर्भ से तैयार किये जाते है।

वित्तीय प्रबंध का अंतिम पहलू है खर्च की गई राशि तथा बचे हुए बकाया का एक विशुद्ध रिर्पोट रखना, जिस हेतु मानक कार्यविधियां तथा नियम है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सिंह, शंकर, सूचना तकनीक, पूर्वांचल प्रकाशन, दिल्ली, 2000.
2. जिंदल, सुरेश कुमार, सूचना और समाज, डी. आर. डी. ओ. व डेसीडॉक, नई दिल्ली, 2013.
3. शर्मा, रामनिवास, सूचना संस्थानः उत्पति उत्थान एवं सेवायें, एस.आर.साइन्टिफिक पब्लिकेशन, दिल्ली.
4. शर्मा, बी.के., सूचना विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विवेचनात्मक अध्ययन, वाई.के. पब्लिकेशन, आगरा, 2011.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

Subaltern Journalism and Mobile Radio Impact of CG Net-Swara

Mrs. Manisha Bajaj
Lecturarure N.E.S. Education Collage Jabalpur M.P.

Abstract :- The research paper is based on the case study of CG Net-Swara which is a mobile radio, which allows people in the Central area of India to report local news by making a phone call. The interface is freely accessible via mobile phone, which allows anyone to report stories and listen to them by giving a miss call. The stories are moderated by journalists and are available for playback over the phone. The endeavour is to address local problems and issues, as the main stream media is over occupied with issues of national and international importance. To raise their concern over the local issues, they can make a call using a mobile phone of fixed land line phone. The research paper makes a moderate effort to depict the role of hyper local mobile radio in raising issues of growth and development in the rural area of Central region of India. Seventy percent of Indian population lives in villages, which has limited access to print and digital media. Through this mobile radio, effort has been made to collect grassroots communication. The local, regional economic and development issues which are unique to the region could be better expressed and explained by the local residents. In a county of one billion people still eighty million people lack access to any main stream media outlets. This often led to hindrance in socio- economic development because of which they fall prey to Maoist insurgency. The paper is based on the principle of democratic participant media theory. Development issues rose with the help of CG-Net Swara, are more appropriate for inclusive development. Researcher has adopted the case base study method for analysis of the impact and co-ordination between receiver and sender of message in order to gain a deeper insight into the mobile radio. The researcher will use the survey, interview and focused group discussion method, for completing the Case Study of CG-Net Swara.

Key words :- CG-Net Swara, Hyper Local News Portal, Mobile Journalism.

Introduction :- "In the third world countries like India, the responsibility of media is not only providing news and entertainment but also development of analytical awareness among the masses as our society has been in the constant grip of slavery, poverty, illiteracy, inequality and hopelessness"(Joshi,2007).

The main objective of media is considered as information, education, awareness and entertainment. "Media, the concrete form of this expression has grown in power over a period of time. The fundamental objective of media is to serve the people with news, views, comments and information on matters of public interest in a fair, accurate, unbiased and decent manner and language. The media today does not remain satisfied as the fourth estate. It has assumed the foremost importance in acting as a communication link between the society and the government. Such is the influence of media that it can make or unmake any individual, institution or any thought. The media's impact on the society in today's scenario is very pervasive and extremely powerful. With so much power and strength, the media cannot lose sight of its privileges, duties and obligations" (Ray, 2010).

In the context of the present scenario in India, the mainstream media is more focused on the urban India, where as in the rural area the role of mainstream media is very little in terms of information flow. In the present era of globalization where the whole world has become a global village, there is a question on whether the Media are working with the zeal and sensitivity towards the local issues or not? The reach of newspapers in India is more in urban areas as compared to rural areas.

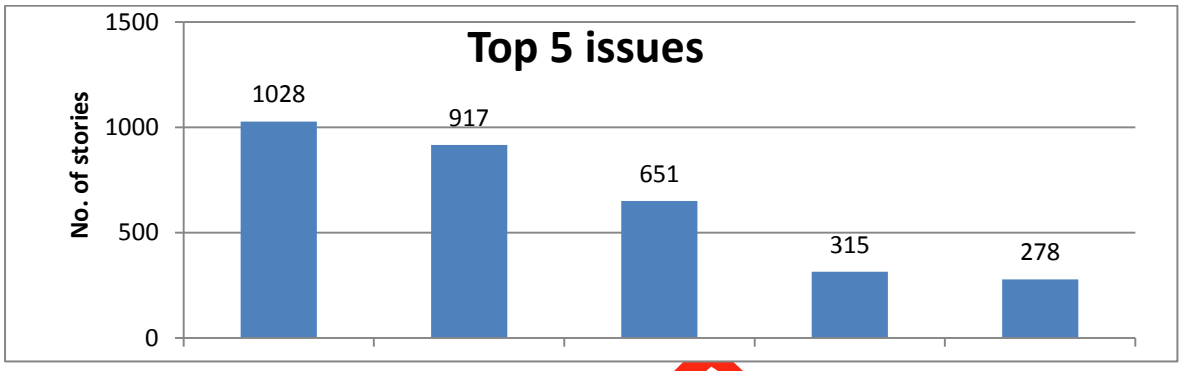

The mainstream media is under the constant pressure of profits and economic growth, whereas the CG-Net Swara works with the objective of justice, development and democracy.

India is an agrarian rural society with around 65% people dependent on agriculture and the irony is that agriculture and rural India does not find any coverage in the mainstream media.

The Hoot did a quantitative analysis of the coverage of Indian states among five English News dailies- Times of India, The Indian Express, Hindustan Times, The Hindu, and The Economic Times. Delhi editions of these papers were taken. The period covered was April- May, 2012. News coverage was tracked for 50 issues, in 28 states.

A two-month scan of states coverage in 5 Newspapers shows that The Hindu does a better job than the others. INDIRA AKOIJAM finds that in some Newspapers some states were not covered at all. The figure shows top five issues raised by the above mentioned five newspapers.

"India being the largest democracy in the world, it becomes very important that the citizens have access to information for proper functioning of its institutions. In the past, the print media shouldered the responsibility of disseminating information and news regarding the happenings within and outside the country" (Press in India 2009-10, 54th Annual Report, RNI). Grassroots Media are the pillars of democracy in this country as they cater to the needs of the majority of the Indian population and particularly those who live in the rural areas. Grassroots Media are brought out by people with small means. They carry local news and cover problems concerning the local public. The Grassroots Media generally speak the local language of the people and are read and understood by them and thus are capable of influencing or building up public opinion at the grass root level. They serve as a bridge between the people living at distant places in the interiors of the country on the one hand and the local administration, state, government and the central government on the other.

"The democratic form of society demands its members to participate actively and intelligently in the affairs of their community, whether local or national. Democratic society, therefore, needs a clear and truthful account of events; of their background and their causes; a forum for discussion and informed criticism; and a means whereby individuals and groups can express a point of view or advocate a cause. The responsibility for fulfilling these needs unavoidably rests in large measure upon the press"(Royal commission on the press, 1947-49). Grassroots Media serving their intimate involvement in the local scenario play a more direct role in the process of democratizing communication and motivating socio-economic transformation at that area.

Impact of CGNet Swara :- The biggest impact of CGNet Swara is successfully giving voice to the tribal people of Chhattisgarh. Having a voice and feeling heard is what Choudhary gave to the

tribals of rural Chhattisgarh, in the form of CGNet Swara. Many of the CGNet Swara's posts originate from the unheard and the powerless sections of the society, the remote and the tribal areas with low levels of literacy (Marathe, O'Neill, Pain and Thies, 2015). Choudhary's vision is to fix the communication gap between the tribal and the non-tribal community. The network has evolved from merely being a discussion forum to a space for Citizen Journalism and also a place to highlight one's problems (Farooque, 2013).

In areas where a women cannot give her opinion, CGNet Swara has helped women to put their voice across. It takes up issues that no newspaper or radio will take up (Marathe, O'Neill, Pain and Thies, 2015). Coming from the communities that often face neglect, the CGNet Swara contributors love having the freedom of choosing their own topics and relate to them in their own voice. On CGNet Swara, they can pick issues relevant to themselves without caring if they interest the mainstream media or not (Marathe, O'Neill, Pain and Thies, 2015). At an individual level, the CGNet Swara contributors value that posting requires neither high levels of literacy nor any skilled articulation. Besides, the posts are recorded just as they like to talk, without any changes (Marathe, O'Neill, Pain and Thies, 2015).

From the time it went live, the service has attributed a lot of achievements, for the Gondi speaking tribals of Chhattisgarh. The portability of the mobile phone led to the creation of CGNet Swara. Participants act as citizen journalists or infomediaries, generating and sharing content with one another (Mudliar, Donner, and Thies, 2013). Since 2004, when CGNet was established, there was an effective change within the state. There are more than 2000 members in the CGNet mailing list, since July 2011 (Mudliar, Donner, and Thies, 2013). Until 31st December 2011, CGNet Swara has published around 1,174 reports and the network recorded 140,000 calls between 2010 and 2013. Also, around 147 non-anonymous citizen journalists have contributed their stories for CGNet Swara (Mudliar, Donner, and Thies, 2013). Apart with the grievances, there is an artistic and a cultural touch to CGNet Swara.

It not only solves issues but encourages the tribal people to record their own songs and poems. It also gives them a platform to showcase their talent. Being heard by a large audience is a big motivation for them. Hence, CGNet Swara can also be served as a medium of entertainment (Marathe, O'Neill, Pain and Thies, 2015). Choudhary is constantly trying to create new channels in local languages for CGNet Swara, also developing technology to connect citizen band radios and building a division of citizen journalists (Tinsley, 2013). Personal development can also be considered as an impact. For the contributors, CGNet Swara has personal benefits. It gives them the satisfaction of having been instrumental in change and a sense of achievement in helping the less fortunate than themselves (Marathe, O'Neill, Pain and Thies, 2015). Choudhary is planning to launch another phone based platform, Swasthya Swara or Health voice, which will try to address questions regarding health in the rural areas by mobilizing traditional herbal healers of Central India (Farooque, 2013). Swasthya Swara gathers local traditional healers for consultation on the mobile phone system and it is funded by non-Adivasi callers, who are able to pay. Thus, for example, a caller from Bangalore can now pay for a consultation with a herbal practitioner and thus cross subsidise others who cannot pay (Acharya, 2013).

CG Net-Swara :- CG Net-swara aimed to address this need by providing a platform for members of tribal communities to report and discuss issues that are meaningful to them. Reports from such 'citizen journalist' flowed through personal communication to a CG Net-Swara moderator

who broadcasted the story of discussion of the CG Net-swara website and mailing list.

The impetus behind CG Net-swara was to extend the reach of CG Net-swara to anyone with access to a mobile phone. In CG Net-swara callers can record stories and listen to other recordings by navigating a simple interactive voice response (IVR) system. Recordings which are maximum of 3 minutes long undergo moderation to ensure they are clear, audible and appropriate for dissemination. Once the moderator approves a post, It is available for listening on both the phone and the internet website. The website also includes the moderator's textual summary of each post. To keep the phone line available for multiple callers, only the four most recent posts are available for playback via phone.

Significance of the Study :- Due to lack of studies on rural grassroots media in Indians context, the problems faced by and the potential of rural grassroots media cannot be understood. This research will highlight the importance of Mobile Journalism for the development of rural areas. Lastly this will help in inclusive growth and also in attaining the true democracy which according to Gandhi jee cannot be attained unless the tears in the eyes of the last man standing in the last row cannot be wiped off.

Rationale of the study :- Despite of the fact, 70 percent of Indian population lives in villages, the mainstream Indian media is urban centric. For the development of democracy inclusive growth is required. For inclusive growth it is necessary that the coverage of news from rural India finds more space in the media which can be achieved only through Mobile Radio these Radio raise issues pertaining local problems and sentiments. The sections of the society who are actually in dire needs of knowledge, information and development (rural masses) do not get the desired information as the mainstream media is urban centric. For these reasons it becomes important to study the relevance of rural Journalism like CG Net-Swara in the present scenario as Mobile Journalism are considered to be associated with the rural development and hence their role in the inclusive growth of the democracy can be studied.

Theoretical Perspective :-

1. Democratic Participant Media Theory :- This theory strongly opposes the commercialization of modern media and its top-down non-participant character. The need for access and right to communicate is stressed. Bureaucratic control of media is decried. Mobile Radio CG Net- Swara provided a platform for the common man to put forward his or her opinion, news and views. Now millions of Indians are taking up through Mobile Radio CG Net- Swara and fighting for their rights. In rural areas Mobile Radio CG Net- Swara have set an example that how social participation helps in solving the regional problems and taking up developmental work. With the help of local newspapers, regional developmental issues can be raised by increasing the democratic participation through motivation. The Bolkar groups belong to the same community which is needed to be connected to development through news pieces. Hence, Mobile Radio CG Net- Swara has now become a voice for millions of people because of its role for their development.

2. Communication for social change :- Communication for social change emphasizes the notion of dialogue as central to development and the need to facilitate poor people's participation and empowerment. It stresses the importance of horizontal communication, the role of people as agents of change, and the need for negotiating skills and partnerships. This theory focuses on dialogue processes through which people can overcome obstacles and identify ways to help them achieve the goals they set for themselves.

In the late 1990s, the Rockefeller foundations devoted significant resources to push a new concept called communication for social

change. It argued that communication for development needed to move beyond individual behavior change to instead focus on facilitating the conditions and an individual behavior change to instead focus on facilitating the conditions and an environment that would facilitate social change processes. This idea garnered support in the communication for development community.

Communication for social change is a process of public and private dialogue through which people themselves define who they are, what they need and how get what they need in order to improve their own lives. It utilizes dialogue that leads to collective problem identification, decision and community- based implementation of solutions to the developments issues. 'This is time of renewed interest in communication for developments and social change. The combination of innovations in information technologies coupled with widespread citizen mobilisation has emergised the debate about the role of communication in promoting social change" (Waisbord, 2014).

Developments communication/ communications and social change is about understanding the role played by information, communication and the media in directed and non-directed social change. According to (**Thomas, 2014**) there is a great variety of theoretical and practical approaches in development communications /communications and social change. It also includes a variety of practical applications based on the mainstreaming of communication as 'processes' and the leveraging of media technologies in social change.

Related Work :- 'Emergent Practices around CG net-Swara, A Voice Forum for Citizen Journalism in Rural India' in this research paper researcher Preeti Mudilar, Jonathan Donner, William Thies examine that CG Net Swara opened new avenues to participation in a digital public sphere.

'Cellphones as a Tool for Democracy; the example of CG Net- Swara' in this article Anoop Saha emphasizes that the social media revolution in the last decade was largely powered by communication technology advances, most notable by spread of the internet. Usear-genrated content which embodies the power of each individual to get his or her message across to the whole world has had a transformative quality that has made geographical and social boundaries irrelevant.

Interview of Founder of CG Net-Swara : A Brief Summary :- The world over, politics has democratised; it is time communication was democratised too. We can't have a better functioning democracy without a democratic media. Can people tell their own stories, can be not wait for a journalist to arrives, can media give access to the last person of our society. We trying to see with the help of new technology can be democratise journalism. Whether last person of the society will have equal rights to be heard, so we call it's the media dark zone. 100 millions of indigenous peoples live in India. They have no voice, they don't have a newspaper, no radio, no TV in their own language, and they are the poorest of the poor of our society of any social indication in India. This areas internet penetration is less than 1%, so it doesn't reach majority of people, but mobile phones reach more than 30%.Then we started looking mobile phone. Anybody and everybody who has a story tell anything share anything will pick up her phone tell her story in her own language, calling in the computer in the middle, now there is no need for a newsroom, Geography is now history. We go from market to market, village to village we do this drama, we do the puppet show, and we do dance that is our classroom for journalism and ask questions. This is a problem, u has a problem but it's coming on mainstream media it's not coming on TV. We have making capacity building and making citizen journalist, the new way teaching journalism because citizen should tell their own story. The

only new thing I have found on my return here is that most people now have cell phones**.** Founder of CG Net- Swara, Choudhary used that cell phone knowledge to set up CG Net Swara in 2010. We are trying to create another 'development' paradigm; this communication system could well become the Google of the poor. We are extending our Swara system into a mobile-based voice portal.

Mobile phone gives us that opportunity which has reached the remotest parts of the country, even in adivasi area. And puppets are an entertaining way of teaching how one can use mobile phone to do journalism. It is important that people feel empowered and not fell handicapped while sharing their stories. Adivasis are oral communities. So, the mobile phone is a natural platform for them. This is the world's only website in Gondi script where people using their mobile phone the Gondi speaking area of five states where the yatra is travelling.

Focus Group Discussion of Team of CG Net-Swara: A Brief Summary :- Team of the mobile radio stated in the discussion that they were informed about CG Net- Swara due to contacts with various workshops. Later they were selected as content contributors. Their educational qualification ranges from 8th pass to plus two levels. Though they know about the website of CG Net-Swara and 90% reporters have the idea of Internet.

We notice that when any issue raised by villagers through their mobiles, many a time there is some action from officials often quite quickly. This is a new phenomenon which must be welcomed. it is important experiment of journalism and these kind of cultural yatras will take the information about platforms like CG Net-Swara to more people living in interior areas and they will be able to get their problems solved.

Content contributors of CG Net- Swara consider it as a movement. It helps weaker sections of the society and also creates awareness in rural areas. It raises such issues, which are generally not covered by any other medium, as there is hardly any presence of media in remote areas. Mobile Radio is instrumental is developing women efficiency such as increasing the literacy level. Further, it makes administration aware about the issues of road, electricity, drinking water, education, health and irregularity in government schemes. It also reveals deficiencies in the government schemes.

Conclusion :- Mobile Radio CG Net-Swara has become a synonym for journalism of public matters in the rural areas of central India. In a scenario where mainstream media has not reached to these remote areas, an alternative medium like CG Net-Swara is playing the role of subaltern media with its commitment on justice, development and democracy. Widespread acceptance of the Mobile Radio in this region further indicates that it raises the livelihood problems of local people in their own language.

Mobile journalism has introduced the Indian media to a new and trending era of reporting and engaging audience. The organizations, as a result, are undergoing and experiencing cultural shifts but not all of them have been exposed to the possibilities of employing this method. There is still a larger set of audience consuming information on the television and through newspaper. Therefore, the organizations which are trying to play safe as long as possible are trying to avoid the circumstances faced when a new platform is adopted. Nevertheless, the media organizations would soon understand the need of being digital and mobile at all times.

To conclude, Mobile Journalism would result in better visually appealing stories, multi-tasking journalists and innovative content controlled by audience. This seems like a great passage to restore media's credibility and prove the role of

"fourth estate" by providing a stage to real voices, i.e. the citizens of a country.

References :-

- Saha,A(2012)Cellophanes as a Tool for Democracy- The Example Of CG Net-Swara
- Stanley, J. B and Dabis, D.K. (2012). Mass Communication Theory foundation, format and future. Boston, MA: Wadsworth.
- Mobile Journalism: Potential and Challenges. (2012, June 02). Retrieved November 12, 2017, from http://techblogbiz.blogspot.in/2012/06/mobile-journalism-potential-and.html.
- Turner, J. H. (1998). The structure og sociological theroy. Belomont : wadsworth.
- Wimmer,R.D and Dominick, J. R. (2011). Mass Media Research. Boston: Wadsworth.
- Using Mobile Phones to Empower India's Poor-82U8uXMYGYA Swara Yatra _ BBC _ YouTube
- CGNet Swara Mobile Application (Feature by Internet.org)-iyVYgq8o2-k (1)
- Arun, A. K. (2009, May). Bumandalikaran Ke Dhor Main Media. Yojna, pp. 13-15.
- Joshi, R. S. (2007, January). Chalakh aur Hamlavar Media. Hans, pp. 130
- India Ministry of communication and information Technology Broadband Services 2010
- Mudliar,p and Donner,J and Thies,W(2012) 'Emergent Practices Around CG Net- Swara A Voice For Citizen Journalism In Rural India'
- Saxena, S. (2011, September 14). Why mobile journalism is stagnating. Retrieved November 12, 2017, from http://www.sify.com/news/why-mobile-journalism-is-stagnating-news-columns-ljokuvgcefgsi.html.
- Rajgadhia, V. (2008). Jansanchar: Siddhant aur Anuprayog. New Delhi: Radha Krishan.
- Rao N B and Basanti P N. (2009, May). Media Ke Nazareya main Parivartan. Yojna, pp. 5-8.
- Ray, G.N. Print Communication in Rural India.
- Belomont : wadsworth. Wimmer,R.D and Dominick, J. R. (2011). Mass Media Research. Boston: Wadsworth.
- Rajgadhia, V. (2008). Jansanchar: Siddhant aur Anuprayog. New Delhi: Radha Krishan
- Rao, Shakuntala. 2009. "Glocalization of Indian Journalism." *Journalism Studies* 10 (4): 474–488.
- Somerville, Keith. 2012. "Indian Media: Global Approaches." *Journalism Studies* 13 (4): 652–653.
- Koradia, Z. and Seth, A. PhonePeti: exploring the role of an answering machine system in a community radio station in India. ICTD, (2012).
- Mudliar, P., Donner, J., and Thies, W. Emergent Practices Around CGNet Swara, A Voice Forum for Citizen Journalism in Rural India. In ICTD. 2011.

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

उच्च माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान विषय में प्रयोगात्मक कार्य की उपादेयता

डॉ. निशा शर्मा
शोध निर्देशिका, महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर
प्रतिमा दुबे
शोधार्थी, महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय, जयपुर

प्रस्तावना :– आज हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। हमारे चारों ओर विज्ञान ही दृष्टि गोचर होता है। फलस्वरूप आज मानव जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र शेष नहीं है, जो विज्ञान के चमत्कारों से अप्रभावित रह गया है। खाने–पीने, उठने बैठने, लिखने पढ़ने, यात्रा, उद्योग और ईंधन के अतिरिक्त कला और साहित्य भी आज विज्ञान से प्रभावित है। प्रकृति पर क्रमशः विजय के द्वारा सुख–सुविधाओं में वृद्धि विज्ञान की ही देन है।

आधुनिक समय में जिस प्रकार शिक्षा का प्रसार हो रहा है, वहीं पर अभिभावकों एवं शिक्षा तन्त्र के प्रबन्धकों ने शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण संस्थाओं को भी पाठ्यक्रमों के आधार पर कई भागों में विभाजित करके खड़ा कर दिया है। उन्होंने इस विभिन्नता का आधार विज्ञान, वाणिज्य एवं कला संकाय को बनाया है, उनमें से मुख्यतः यहाँ कला संकाय के अन्तर्गत गृह विज्ञान विषय एवं उसके प्रयोगात्मक स्वरूप को उद्धत किया जा रहा है।

गृह विज्ञान :– गृह विज्ञान का नाम आते ही एक ऐसे विषय का भान होता है, जिससे घर को बनाने–संवारने में मदद मिलती है। यह विज्ञान भी है और कला भी। इसमें कई विधाओं का समागम है, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, स्वच्छता, अर्थशास्त्र, बाल विकास, समाजशास्त्र, पारिवारिक संबंध, सामुदायिक जीवन, कला, भोजन, पोषण, पहनावा, वस्त्र, गृह प्रबंधन इत्यादि। आधुनिक गृह विज्ञान हाउसकीपिंग के तमाम खास पहलुओं का मिला–जुला रूप है।

विश्व में इस विशय को कई नामों से जाना जाता है। यद्यपि उन सभी की विषय वस्तु की प्रकृति समान होती है। इसे गृहकला, गृहविज्ञान, घरेलू कला, घरेलू विज्ञान, घरेलू प्रशासन, घरेलू अर्थशास्त्र, नियंत्रणीय वातावरण का विज्ञान आदि नामों से सम्बोधित किया जाता है। अमेरिका में यह विज्ञान गृह–अर्थशास्त्र तथा इंग्लैण्ड और भारत में गृहविज्ञान के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में गृह अर्थशास्त्र को समय समय पर परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।

1902 में अमेरिका में **लेक प्लेसिड सम्मेलन** में इसकी परिभाषा संकुचित और व्यापक दोनो रूपों में निरूपित की गई।

"सकुचित अर्थ में यह गृहकार्य, पाक–क्रिया आदि की व्यावहारिक समस्याओं के विशिष्ट सन्दर्भ में आधारित विज्ञानो का अध्ययन है।"

अपने अत्यधिक व्यापक अर्थ में "गृह अर्थशास्त्र उन नियमों, दशाओं, सिद्धान्तों तथा आदर्शों का अध्ययन है जो एक ओर तो मानव के तात्कालिक भौतिक वातावरण से सम्बन्धित है तथा दूसरी ओर उसकी मानवीय प्रकृति से यथार्थ में वह इन दोनों ही कारणों के मध्य सम्बन्ध का अध्ययन है।"

सन 1912 में अमेरिका में स्थापित **अमेरिकन गृह अर्थशास्त्र एसोसिएशन** ने गृह अर्थशास्त्र को कुछ इस प्रकार परिभाशित किया है – "यह निर्देशन का विशिष्ट विषय है जिसमें, घर में परिवार द्वारा तथा व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा भोजन, वस्त्र और आवास के चुनाव तैयारी एवं प्रयोग से सम्बन्धित आर्थिक, स्वच्छता तथा कलात्मक पक्षों का समावेश होता है।

सन् 1924 में अमेरिका में **लॉर्ड ग्रान्ट कालेज एसोसिएशन** ने गृहविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दी – "मानवीय ज्ञान के क्षेत्र के रूप में गृह अर्थशास्त्र के अन्तर्गत उन सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो कि गृह जीवन के आराम तथा कुशलता को प्रभावित करते हैं।"

उच्च माध्यमिक शिक्षा में गृह विज्ञान का स्थान :– उच्च माध्यमिक शिक्षा में गृहविज्ञान का विशेष स्थान है। वह छात्राओं को निम्नलिखित प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है –

1) **वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना** – गृहविज्ञान छात्राओं में वैज्ञानिक दृश्टिकोण उत्पन्न करता है। इसमें छात्राओं को पोषण, स्वास्थ्य, सफाई, शिशु–पालन गृह–परिचर्या, संक्रामक रोगों आदि का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इससे उनके ज्ञान में वृद्धि होती है और उनकी तार्किक शक्ति का भी विकास होता है।
2) **मितव्ययता की शिक्षा** – गृहविज्ञान की शिक्षा के द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर की बालिकाओं में मितव्ययता की आदत का विकास होता है। पोषण विज्ञान के ज्ञान के अभाव में जिस खाद्य सामग्री को वे व्यर्थ समझकर फेंक देती थीं, उनका उपयोग कर अब वे धन की बचत कर सकती हैं। आटे की चोकर का उपयोग करना, फलों तथा सब्जियों के छिलको का उपयोग करना वे गृहविज्ञान शिक्षा द्वारा सीख जाती हैं।
3) **आदर्श गृहिणी के गुणों का समावेश** – गृहविज्ञान का क्षेत्र काफी व्यापक है। आज गृहिणी को घर के अतिरिक्त बाहर भी कार्य करना पड़ रहा है। यदि गृहिणी अपने सभी कार्यों को उचित प्रकार से पूरा न करे तो समाज निर्बल हो जायेगा। छात्राओं को गृहविज्ञान की शिक्षा प्रारम्भ से देने से उनमें प्रारम्भ से ही आदर्श गृहिणी के गुणों का समावेश हो जाता है। वे गृहकार्यों को घृणा की दृष्टि से नही देखती हैं बल्कि अपने दायित्वो को एक अंग समझकर उन्हें पूरी रूचि तथा लगन से पूरा करती हैं।
4) **मूल्यों एवं आदर्शो के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास** – गृहविज्ञान के ज्ञान के द्वारा छात्राओं में मूल्यों तथा आदर्शों के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास के भाव उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी प्रत्येक राष्ट्र अपेक्षा करता है। स्वस्थ पारिवारिक सम्बन्धों के लिए श्रद्धा, प्रेम एवं वि" वास अत्यन्त आव" यक होता है। अतः गृहविज्ञान शिक्षण के माध्यम से छात्राओं में प्रारम्भ से ही अपने मूल्यों तथा आदर्शों के प्रति प्रेम एवं विश्वास उत्पन्न किया जा सकता है।
5) **सौन्दर्यात्मक प्रवृति का विकास** – गृहविज्ञान छात्राओं में प्रारम्भ से ही सौन्दर्यात्मक प्रवृति का विकास करता है। छोटी कक्षाओं से ही छात्राओं को विभिन्न प्रकार के आहार तैयार करना तथा परोसने की विधियां सिखायी जाती हैं। इसके अलावा छोटे–छोटे रूमालों, मेजपोश, कुशन कवर पर कढ़ाई आदि करवाई जाती है। घर की सजावट करने, फर्नीचर को कलात्मक ढ़ंग से रखने, रसोईघर की सुव्यवस्था, विभिन्न कमरों की सुसज्जा, रसोई उद्यान आदि बातें घर में सौन्दर्यात्मक वातावरण का निर्माण करती हैं।
6) **संक्रामक एवं सामान्य रोगों की जानकारी** – गृहविज्ञान के अध्ययन से छात्राओं को संक्रामक एवं अन्य सामान्य बीमारियों की जानकारी भी हो जाती है। घर में किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर तत्काल क्या प्राथमिक चिकित्सा दी जाए? किस प्रकार पट्टियां बांधी जाए? कीड़े–मकौड़े, सांप, कुत्ते, बिच्छू के काट लेने पर क्या सहायता उपलब्ध करायी जाए? इसका ज्ञान छात्राओं को गृहविज्ञान विशय में दिया जाता है। इसके साथ साथ उन्हें रोगी की सेवा करना, उसका बिस्तर बदलना, उसे स्पंज करना तथा उसकी देखभाल करना आदि का ज्ञान भी दिया जाता है।
7) **शिशुपालन का ज्ञान** – गृहविज्ञान के अध्ययन से छात्राओं को शिशु के पालन–पोशण का ज्ञान होता है। शिशु को किस प्रकार स्तनपान कराना है? कब ठोस आहार देना है? टीकाकरण किस आयु से करवाना है? स्तनत्याजन कब कराना है? आदि बातो का ज्ञान कराया जाता है। स्त्री भावी पीढी की निर्मात्री होती है। शिशु के जन्म से लेकर उसके पालन–पोषण तक का दायित्व उसी का समझा जाता है। एक माता के रूप में स्त्री को यह दायित्व उठाना पड़ता है। प्रारम्भिक अवस्था में विकास का क्रम ही उसके भावी विकास के क्रम को निर्धारित करता है।
8) **व्यावसायिक उपयोगिता** – गृहविज्ञान के अध्ययन से छात्राओं को व्यावसायिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। छात्राएं माध्यमिक स्तर पर विशय का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को भी अपना सकती हैं। वे सिलाई, कढाई शिक्षिका, गृहविज्ञान शिक्षिका, ग्राम सेविका, चिकित्सा निर्देशिका, पोशण–विशेषज्ञ आदि के कार्य भली प्रकार कर सकती हैं।

उच्च माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान में विभिन्न प्रायोगिक कार्य :– वर्तमान समय में विद्यालयों में शिक्षण व प्रशिक्षण के लिये प्रयोगात्मक कार्यो को अधिक महत्त्व दिया गया है जिससे विधार्थी अधिकाधिक जानकारी स्वंय प्रयोगो द्वारा प्राप्त कर सकें। इसी कड़ी में विषयों को दो वर्गो को विभाजित किया गया है प्रथम सैद्वान्तिक विषय, द्वितीय प्रयोगात्मक विषय। प्रयोगात्मक

विषय में प्रायोगिक कार्यों को महत्त्व दिया गया है। इसके अन्तर्गत सभी प्रकार की विषय सम्बन्धित जानकारी प्रायोगिक कार्यो के द्वारा प्रदान की जाती है। गृह विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्यों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है –

(1) मानव विकास एवं पारिवारिक सम्बन्ध :– मानव विकास एवं पारिवारिक संबंधी प्रयोगात्मक कार्यों के अन्तर्गत टीकाकरण सूची का ज्ञान, कामकाजी महिलाओं के लिए साक्षात्कार तथा क्रेश, बालवाड़ी, ऑगनवाड़ी व नर्सरी स्कूल का भ्रमण एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा आस–पड़ोस के 1–5 व 6–10 वर्ष के बालकों का निरीक्षण यथा – लम्बाई नापना, वजन नापना, सिर की परिधि व छाती की परिधि नापना तथा बॉडी मास इंडेक्स का निर्माण आदि की रिपोर्ट तैयार करना सम्मिलित है।

(2) पारिवारिक पोषण :– पारिवारिक पोषण के प्रायोगिक कार्यों के अन्तर्गत कम कीमत एवं अधिक पौष्टिकता वाले व्यंजन बनाना यथा – अंकुरित मोठ–बाजरा चाट, मीठी मठरी, कटोरी चाट, ढोकला च इडली आदि, विभिन्न पाक विधियों का प्रयोग कर व्यंजन तैयार करना यथा – उबालना, दाब द्वारा पकाना (प्रेशर कूकर में), भाप द्वारा पकाना, गहरी तलने की विधि, उथली तलने की विधि, सेंकना (भूनना) व बेकिंग आदि तथा भोजन परिरक्षण विधियों अर्थात भोज्य पदार्थों के मूल आकार एवं रूप को परिवर्तित करके या परिवर्तित किये बिना ही उनके पोषण मूल्य को यथासम्भव बनाये रखते हुए बिना विकृति के लम्बे समय तक सुरक्षित रखने की विधि एवं तकनीक का प्रयोग कर खाद्य उत्पाद बनाना यथा – फल संरक्षण, मुरब्बा संरक्षण, अचार, टमाटर सॉस अथवा कैचप, जैम, जैली तथा शरबत आदि सम्मिलित हैं।

(3) वस्त्र एवं परिधान :– वस्त्र एवं परिधान संबंधी प्रायोगिक कार्यों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को पहचानने का ज्ञान दिया जाता है। वस्त्र उद्योग की क्रांति ने अनुकरणीय रेशे एवं रेशों की नकल कर वस्त्र निर्माण का प्रादुर्भाव किया। रेशमी वस्त्र सूती की तरह और सूती रेशमी की तरह परिसज्जाओं द्वारा तैयार किये जाने लगे, जिससे उपभोक्ता को मूल रेशे के चयन में कठिनाई होने लगी। सही चयन हेतु रेशों का परीक्षण करना आवश्यक है। परीक्षण के मुख्यतः तीन तरीके अपनाए जाते हैं – प्रथम भौतिक परीक्षण, इसके अन्तर्गत बाह्याकृति परीक्षण, रेशे तोड़ परीक्षण, सिलवट परीक्षण, वस्त्र विदीर्ण परीक्षण क्रिया की जाती है। द्वितीय सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, इस परीक्षण में रेशे का आकार, प्रकार, बनावट, लचीलापन, खुरदरापन आदि का परीक्षण करते हैं। तृतीय रासायनिक परीक्षण, इसमें पक्के रंग का परीक्षण अर्थात् पानी, साबुन, प्रकाश, पसीना, ताप आदि का वस्त्र के रंग पर प्रभाव की जानकारी प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की बुनाई को बनाना और पहचानना तथा बंधेज, ब्लॉक एवं प्रिंटिंग के नमूने तैयार करना आदि प्रयोगात्मक कार्य सम्मिलित हैं।

(4) गृह प्रबन्धन :– गृह प्रबन्धन के प्रयोगात्मक कार्यों के अन्तर्गत गृह सज्जा – पुष्प सज्जा तथा फर्श सज्जा (मांडना, रंगोली) प्रमुख स्थान रखते हैं। इसके अतिरिक्त प्राथमिक चिकित्सा पेटी बनाना व दुर्घटनाओं के दौरान प्राथमिक चिकित्सा करना आदि प्रायोगिक ज्ञान सम्मिलित हैं।

उपादेयता :– गृह विज्ञान का कैरियर आज की प्रगतिशील व आधुनिक खयालों वाली महिलाओं के लिए आदर्श कैरियर है। उनके लिए बेहतर विकल्प है, जिनके पास सौंदर्य–बोध है, समकालीन कला की समझ है और आधुनिक हाउसकीपिंग को लेकर जिज्ञासा है। कोई भी गृह विज्ञान के पांच अंगों खाद्य एवं पोषण, संसाधन प्रबंधन, मानव विकास, वस्त्र विज्ञान और संचार में से किसी में भी विशेषज्ञता हासिल कर सकता है या सबकी सामान्य समझ हासिल कर सकता है।

खाद्य एवं पोषण में विशेषज्ञता हासिल करने वाले को खाद्य पदार्थों के पोषक तत्त्वों, खाद्य अपमिश्रण, आहार परामर्श, खाद्य संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य के प्रति सामुदायिक जागरुकता इत्यादि की विस्तृत जानकारी मिलती है। संसाधन प्रबंधन में प्रबंधन सिद्धान्त व व्यवहार, ऊर्जा संसाधन प्रबंधन, उपभोक्ता जागरूकता, आवासीय व वाणिज्यिक भवनों की योजना व परिकल्पना इत्यादि की बारीकियों का पता चलता है। वहीं मानव विकास के बारे में पढ़ाई करने से मानव विकास के क्रमिक चरणों का पता चलता है। वस्त्र विज्ञान कपड़ों के बारे में समझ पैदा करता है, जिसमें टेक्सटाइल डिजाइनिंग से लेकर मर्केन्डाइजिंग तक की समझ विकसित होती है।

गृह विज्ञान का एक अंतरविषयीय क्षेत्र है, जिसमें कई विषय शामिल हैं। जैसे रसायन विज्ञान, भौतिकी, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान, स्वास्थ्य, अर्थशास्त्र, ग्रामीण विषय, बाल विकास, सामाजिकी एवं परिवार

संबंध, सामुदायिक रहन–सहन, कला, खाद्य एवं पोषण, कपड़ा एवं परिधान डिजाइन, पहनावा, वस्त्र मानव विकास, संसाधन प्रबंधन तथा संचार विस्तार एवं गृह प्रबंधन। गृह विज्ञान का उद्देश्य नित्य परिवर्तनशील समाज में घर, सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन के कल्याण और स्वास्थ्य को बनाए रखना है। गृह प्रबंधन के लिए कौशल एवं वैज्ञानिक ज्ञान अपेक्षित होता है जो मात्र घर के कार्यकलापों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक चुनौतीपूर्ण व्यवसाय का आधार भी बनता है। समय, ऊर्जा, धन–राशि, स्थान एवं श्रम के संरक्षण के लिए श्रेष्ठ उपयोगिता प्राप्त करने हेतु उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठ उपयोग गृह–प्रबंधन है। घर निर्माता को परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों से श्रेष्ठ संभव खाद्य, पहनावा, आश्रय स्थल, स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन उपलब्ध कराने की योजना विवेकपूर्ण ढगं से बनानी चाहिए। गृह विज्ञान एक ऐसा शैक्षिक विषय है जो नितांत रूप में छात्राओं को प्रिय है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य न केवल महिलाओं को बेहतर गृहिणी बनाना है, बल्कि यह समृद्ध सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन के लिए विशेषज्ञ परामर्श देने हेतु समाज को सक्षम बनाने के लिए उनके लिए उपयोगी है। गृह विज्ञान प्रकृति में अधिकांशतः वैज्ञानिक है और इसलिए विश्लेषिक मस्तिष्क एवं वैज्ञानिक कुशाग्र बुद्धि होना आवश्यक है। इस क्षेत्र में एक व्यावहारिक सोच, सौंदर्यपरक, सर्जनशील तथा युक्तिसंगत अभिवृत्ति होना अपेक्षित है।

पारम्परिक रूप से यह माना जाता रहा है कि गृह विज्ञान केवल बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए ही उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण विषय है, किन्तु यह धारणा भ्रामक है। वास्तव में गृह विज्ञान का ज्ञान परिवार के सभी सदस्यों के लिए उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण है। आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों में गृह–व्यवस्था, गृह–सज्जा तथा परिवार की सुख–सुविधाओं में वृद्धि के लिए परिवार के सभी सदस्यों का समुचित योगदान आवश्यक होता है। इस स्थिति में परिवार के सभी सदस्यों के लिए गृह विज्ञान का समुचित ज्ञान आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अब लड़कियों के अतिरिक्त लड़कों के लिए भी गृह विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लड़कों द्वारा अपनाए जाने वाले कुछ व्यवसाय ऐसे भी हैं जिनमें गृह विज्ञान का अध्ययन एवं ज्ञान सहायक होता है। उदाहरण के लिए – होटल प्रबन्धन, खाद्य संरक्षण तथा परिधान निर्माण आदि कुछ ऐसे ही व्यवसाय हैं। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए ही नहीं वरन् लड़कों के लिए भी समान रूप से उपयोगी विषय है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

- भटनागर, भारती (2017) : गृह विज्ञान, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर
- चौबे, सरयू प्रसाद (1990) : शिक्षा के दार्शनिक, ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय आधार, इन्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ
- गुप्ता, रामबाबू (1995) : भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, रतन प्रकाशन मंदिर, प्रोफेसर कॉलोनी, दिल्ली गेट, आगरा
- जायसवाल, सीताराम (2011) : शिक्षा में निर्देशन और परामर्श, श्री विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
- लोढ़ा, एम.पी. (2007) : नैतिक शिक्षा के विविध आयाम (द्वितीय संस्करण) राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
- पाल, हंसराज (2006) : प्रगत शिक्षा मनोविज्ञान, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- श्रीवास्तव, डी.एन. (2007) : मनोवैज्ञानिक अनुसंधान एवं मापन, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

डिण्डौरी जिले में जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था

राजेन्द्र सिंह कुंजाम
शोधार्थी, भूगोल, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)
डॉ. ब्रम्हानंद त्रिपाठी
प्राध्यापक भूगोल, शासकीय स्वशासी मानकुंवर बाई कला एंव वाणिज्य महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र)

प्रस्तावना :– डिण्डौरी जिले में अधिकांश जनसंख्या जनजातीय समुदाय की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वनों के समीप निवास कर रही है यहां की धरातलीय बनावट जनजातीय समुदाय को प्रभावित करती है। जिले की धरातलीय स्वरूप ऊबड़–खाबड़ एवं जंगली पहाड़ी है। जिले में जनजातीय समुदाय कृषि कार्य के अलावा पशुपालन, शिकार, वनो से औषधियां एवं लकड़ी एकत्र करना, फल–फूल एवं कन्द–मूल प्राप्त करना, मजदूरी करना, जनजातीय समुदाय में कुछ ऐसी जाति है जो भूमिहीन है वे लोग मजदूरी एवं भींख मांग कर अपना भरण–पोषण करते है। जनजातीय समुदाय जिले की सभी विकास खण्डों में निवास कर रही है। इनके कृषि कार्य के औजार–हल, कुल्हाड़ी हसिया, गैती, फावड़ा बका है। शिकार करने के औजार–भाला–बरछी, तीर–कमान, लकड़ी के औजार है। जिले की प्रमुख जनजाति–गोंड़, परधान, बैगा, कोल, बसोर (ढुंलिया) बहेलिया, बादी, भरेवा, भिम्मा है। इन सभी जनजातियों की अपनी–अपनी अलग–अलग रीति–रिवाज है परन्तु जिले की सम्पूर्ण जनजातीय समुदाय शिक्षा की कमी के साथ–साथ पिछड़ी हुई है। यह समुदाय जड़ी–बूटी एवं तंत्र–मंत्र में अत्यधिक विश्वास करती है। जनजातीय समुदाय जड़ी–बुटी एवं तंत्र–मंत्र की शक्तियों से अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करते है। इनका रहन–सहन, खान–पान, निम्न स्तर का होता है। इनका आवास सामान्यतः घास–फूंस, बांस, लकड़ी, मिट्टी की कच्ची दिवार की होती है, कृशि कार्य से ये लोग चावल, कोदो–कुटकी, रमतिला, राई, मटर, मसूर, उड़द, अरहर, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन उत्पादन की मुख्य फसल है।

डिण्डौरी जिले का परिचय :– भारत के मध्य भाग में म.प्र. राज्य स्थित है, म.प्र. राज्य में जिला डिण्डौरी स्थित है, यह जिला मध्यप्रदेश के पूर्व में स्थित है, डिण्डौरी जिला छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को स्पर्ष करती है, जो म.प्र. के पांच जिलों की सीमा को स्पर्ष करती है। जिला जबलपुर, डिण्डौरी के उत्तर–पश्चिम में स्थिति है, जिला शहडोल उत्तर–पूर्व में स्थित है जिला उमरिया, डिण्डौरी जिले के उत्तर में स्थिति है और जिला मण्डला यह जिला डिण्डौरी जिले के पश्चिम में है, बालाघाट जिला डिण्डौरी जिले के दक्षिण में स्थित है। इस प्रकार जिला डिण्डौरी मध्यप्रदेश के पाँच जिलों से घिरा हुआ है। डिण्डौरी जिले में सात विकासखण्ड आते है–डिण्डौरी, अमरपुर, समनापुर, बजाग, करंजिया, शहपुरा, मेंहदवानी है। डिण्डौरी जिले का अक्षांश 22.00^0–23.22^0 देशान्तर 80.85^0 से 80.58^0 है। जिले का समुद्रतल से ऊँचाई (मीटर में) अधिकतम ऊँचाई 1100मी. एवं न्यूनतम ऊँचाई 885 मी. है। जिले में पायी जाने वाले प्रमुख वृक्ष–सागौन, साल, तिन्सा, बांस, साजा, सेजी, महुआ, हर्रा बहेड़, आवंला, तेन्दूपत्ता, भिलवा, चार (चिरौंजी) सेमल एवं अन्य प्रकार के जड़ी बुटियां है। जिले में प्रवाहित प्रमुख अपवाह तंत्र–नर्मदा नदी, कनवा नदी, भरवा नदी, सोनाली नदी, तुड़ार नदी, सिवनी नदी, चिकराड़ नदी, करपा नदी, सुखमेर नदी, खरमेर नदी, कसा नदी है।

जिले की जनजातियाँ :– डिण्डौरी जिले की अधिकांश जनसंख्या जनजातियों की है जनगणना 2001 के अनुसार जिले में जनजातियों की कुल जनसंख्या 368650 थी जबकि जनगणना 2011 में 455789 हो गई है। जिले की प्रमुख जनजातियाँ गोंड़, बैगा, परधान, कोल, बसोर (ढुंलिया), बहेलिया, बादी, भरेवा, भिम्मा है, जो मुख्य रूप से कृषि कार्य पर संलग्न हैं इसके अलावा मजदूरी एंव कुछ जनजातियाँ भीख मांग कर भी अपना भरण–पोषण करते है। दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में बसने के कारण इनके आवास एवं रहने के स्थान तक आवागमन के साधनों की कमी है मुख्य मार्ग से इनके गांव तक अधिकतर पगडण्डी रास्ते ही बने होते है। इनका आवास वनों के समीप होने के कारण वनों से लकड़ी, कन्द–मूल, फल–फूल, औषधियाँ आदि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये प्राप्त करते है। जनजातीय समुदाय पशुपालन में गाय–बैल, भैस–पड़ा, बकरी, सुअर, गधा पालते है। जिले की कुछ जनजातियाँ बांस की टोकरी एवं चटाई, सन की

टाट–फट्टी एवं रस्सी , बीड़ी बनाना, दौना–पत्तल बनाना, मिट्टी के बर्तन एवं अन्य आवश्यकता की वस्तुयें बनाकर बेचते है जिससे वे अपने परिवार का भरण–पोषण करते है।

जनजातियों के रीति–रिवाज :– जिलें में जनजातीय समुदाय का रीति–रिवाज लगभग मिलता जुलता है ये सभी जनजाजियाँ अपने ही गोत्र में विवाह न करके किसी अन्य गोत्र से विवाह करते है जनजाति समुदाय में निम्न प्रकार के विवाह प्रचलित है– मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजी–बाजी विवाह, विधवा विवाह, चढ़ विवाह, करेली विवाह, चूढ़ी पहनाना, बहु विवाह उधरिया विवाह, नातरा विवाह, चोर विवाह, उठवा विवाह, पैठुल विवाह, बहु विवाह, है। इनका आवास सामान्यतः बांस, बल्ली, घास–फूंस, खपरैल के बने होते है। इनके द्वारा उत्पादन की जाने वाले अनाज–कोदों–कुटकी, सांवा, चना, मसूर, मटर, जौ, अरहर, धान, बाजरा, ज्वार, मक्का, तिली, गैहुँ, सरसों, राई, उड़द मुख्य रूप से पैदा करते है। जनजातीय समुदाय का लोक नृत्य–भड़म नृत्य, सेतम नृत्य, करमा एवं सैला नृत्य परधौनी नृत्य ,रीना नृत्य है। यह जनजातियाँ समुदाय झाड़–फूंक पर अत्यधिक विश्वास करता है, रोगी को औषधि एवं झाड़–फूंक कर ठीक किया जाता है, ऐसा इनका मानना है। इनके प्रमुख देवी–देवता, बड़ादेव, नाहर देव, भैरवदेव, ठाकुर देव, मुठवादेव, चूल्हा देव, महामाई, दिहारी माई, बाँगे" वर देव, बहरियाँ देव, खैरमाई, वनजारिन माई नारायण देव है। इनका वस्त्र एवं आभूषण–पुरूष धोती–कुर्ता सिर पर पगड़ी, हाथों में चूड़ा पहनते है महिलायें धुतिया कानों में बाली, मूंगा एवं भांख के माला, कमर में करधनी, हाथों में बहुटा, सिर पर फूल गजरा पहनती है। इनके मुख्य तीज–त्यौहार नवा खाना हरियाली, जातर, दिवासा नवणी, गोहरी गल, रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली, होली है। जनजातीय समुदाय कुशल शिकारी होता है ये लोग वनों में जाकर जीव–जंतुओं का शिकार करते है, और खाने के उपयोग में लाते है। जनजातीय समुदाय के लोग बच्चों के जन्म होने पर अनेक प्रकार के पकवान बनाते है अपने नात–रिश्तेदारों को निमंत्रण (नेतवा) देकर अपने घर पर बुलाते है एवं भोज का कार्यक्रम रखा जाता है रात्रि में नाच–गाने के साथ बड़ी धूम–धाम से कार्यक्रम करते है। परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तब समस्त सगे–संबंधियों एवं नात–रिश्तेदारों को बुलाकर सभी लोग एक साथ मिलकर जलाते है या दफनाते है। जनजातीय समुदाय के लोग हाट–बजार पैदल ही चले जाते है। और अपनी आवश्यकता का सामान खरीद कर शाम तक घर पैदल वापस लौट आते है।

जनजातीय समुदाय में शिक्षा का स्तर :– डिण्डौरी जिले में जनजातियों की शिक्षा का स्तर बहुत ही कमजोर है यह समुदाय दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्रों में बसने के कारण इनके गांव में या गांव के आस–पास शिक्षण संस्था स्थापित करना बहुत ही मुश्किल होता है अगर शिक्षण संस्था स्थापित कर भी दिया जाये तो भी ये लोग बच्चों को स्कूल भेजना उचित नहीं समझते है वे चाहते है कि बच्चे खेतों में जाकर मां–बाप का काम में हाथ बटायें पढ़ने–लिखने में कुछ नहीं रखा है यह सोचकर बच्चों को पढ़ाने–लिखाने में रूचि नहीं लेते है इस कारण इस समुदाय में शिक्षा का स्तर निम्न है। परन्तु इस जनजातिय समुदाय में कुछ शिक्षित लोग भी होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने–लिखाने के शौकीन है और वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा अध्ययन के लिये गांव से बाहर शहरों की ओर भेज रहे हैं। इस प्रकार जनजातीय समुदाय को शिक्षा अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाये ताकि ये लोग अपने बच्चों को शिक्षा अध्ययन के लिये विद्यालय भेज सकें जिससे इनकी शिक्षा स्तर में सुधार होगी।

जनजातियों की समस्या :– जनजातीय समाज की सबसे बड़ी समस्या शिक्षा की कमी है ये लोग शासन द्वारा संचालित नवीन नीतियों के बारे में अनभिज्ञ होते है इस कारण संचालित योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते है जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है। यह जाति जिले की सबसे पिछड़ी जनजाति है इस कारण इनका खान–पान, रहन–सहन, वेश–भूषा निम्न स्तर की होती है। अशिक्षा के कारण यह जनजाति अपने मूल स्थान को छोड़कर नहीं जाना चाहता है जिससे ये लोग बाहर अर्थात शहरों के हाव–भाव से परिचित नहीं है जनजातीय समुदाय झाड़–फूंक एवं जादू–टोने पर अत्यधिक विश्वास करता है, जबकि आज के समय में लोग इस तरह के अंधविश्वास को नहीं मानते। क्योंकि आज का युग विज्ञान का युग है। ये लोग पहले से ही गरीबी से ग्रसित है इस कारण यह समाज अभी तक उभरकर नहीं आ पा रहा है। जनजातीय समाज में जब किसी सभा, कार्यक्रम, विवाह, जन्म दिवस आदि के आयोजनों में निश्चित ही शराब समाज में लोगों के बीच रख दी जाती है जिसे पुरूष–महिला एवं बच्चें सभी अपनी इच्छानुसार निकाल कर शराब का सेवन करते है जो समाज की कुरीतियाँ है जनजातियां समाज में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं को कम प्राथमिकता दी

जाती हैं, बेटी के जन्म पर माँ–बाप कम खुशी जाहिर करते है परन्तु बेटे के जन्म पर जनजातीय समुदय के लोग अत्यधिक प्रसन्न होते है क्योंकि यह सोचते हैं कि बेटी तो पराई होती है, इस कारण बेटी के जन्म पर ये लोग कम खुश होते हैं। जनजातीय समुदाय में महिलाओं को पंचायत की बैठक में बैठने या बोलने का कोई अधिकार नहीं होता है। यहां तक की महिलाओं को किसी कार्यक्रम आदि में महिला–पुरूषों के साथ नहीं बैठ सकती है और न ही पुरूषों से ऊँचे स्थान में बैठ सकती है जो इस समाज की कुरीतियाँ है। ये लोग परम्परागत रीति–रिवाजों से बंधे होते है पुराने रिवाजों को ही मानना पसंद करते है उनका मानना है की यह रीति–रिवाज हमारे पूर्वजों का चलाया हुआ है। हम इसे नहीं बदल सकते है ऐसा इनका मानना है।

जनजातियों की समस्या का समाधान :– जिले में जनजातियों की समस्या के समाधान हेतु सबसे पहले जनजातियों की शिक्षा स्तर में सुधार लाया जाये जनजाति समाज मेहनती होता है परन्तु अधिक परिश्रम के बावजूद उचित पारिश्रमिक प्राप्त नहीं हो पाती है। इसका कारण शिक्षा का अभाव हैं। जबकि वर्तमान में शिक्षित व्यक्ति बड़े से बड़े कल कारखानों में पदस्थ है क्योंकि वह व्यक्ति पढ़ा–लिखा कल–करखानों की मशीनों को चलाने के बारे में वह पूर्व में ही विस्तार से पढ़कर सीख लिया है। इस प्रकार जनजातियां समुदाय में प्रचलित कुरीतियों को भी समाप्त करने का प्रावधान होना चाहिये जैसे परम्परागत रीति–रिवाज को समाप्त करने के लिये महिला–पुरूष दोनों को कदम उठाने की आवश्यकता है समाज में पुरूषों के बराबर ही महिलाओं की भी भागीदारी होनी चाहिये पुरूष के साथ महिलाओं को ग्राम पचायत में बैठने, बोलने एवं निणय लेने का अधिकार होना चाहिये समाज में प्रचलित मादक पदार्थो को अत्यधिक सेवन हो रहा है। अगर समाज को इन बुराईयों से सुरक्षित रखना है तो इन मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाना अत्यंत आवश्यक है।

सुझाव :– जनजातीय समाज में शिक्षा के स्तर में सुधार की आवश्यकता है ताकि इस समाज में अनेक प्रकार की रूढ़िवादी एवं परम्परागत रीति–रिवाज प्रचलित है उन्हें खत्म किया जा सकें, पुरूषों की तरह महिलाओं को भी समाज में उठने–बैठने एवं अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया जाये जिससे महिलाओं के पिछड़ेपन की समस्या दूर हो सके जनजातीय समाज कम विकसित, लगभग सभी क्षेत्रों में पिछड़ी हुई है इनके विकास एवं उत्थान के लिये शासन द्वारा विशेष प्रकार के सभा एवं सम्मेलनों का आयोजन कर इन्हें मार्गदर्शन दिया जायें जिससे इनकी सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सकता है, इनके लिये शासन द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है इन योजनओं के बारे में अवगत कराते हुये इन्हें योजनाओं का पूरा–पूरा लाभ दिलाया जाये जिससे इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. शर्मा, एच.एन.–''आदिवासियों के समुचित विकास की पहल म.प्र. सन्देश, पृ.30, 1987
2. पाण्डेय, प्रो. दिनेश–''म.प्र. की जनजातियाँ : संस्कृति और सभ्यता जगमोहन दास स्मृति ग्रन्थ पृ. 354 (1986)
3. सिंह, एस.के. – ग्रामीण समुदाय में सामाजिक परिवर्तन, क्लासिकल पब्लिकेशन, नई दिल्ली 1992
4. ध्रुव, प्रदीप मणि तिवारी–म.प्र. के आदिवासी एवं रीति–रिवाज नमन पब्लिकेशन 57, अर्जुन नगर, टोंक रोड़, दुर्गापुर, जयपुर –18 (2006)
5. दुबे, ओ.पी.–कोदों–कुटकी एवं रागी की उन्नत कि" में बोयें कृषक जगत, अंक 31 मई पृष्ठ 4, (1996)
6. पाटिल, अशोक डी– आदिवासियों में प्रचलित अंत्योष्टि प्रथायें, नई दुनिया, इन्दौर, 13 नवम्बर, 1972
7. राय, डॉ. अधिकेश– म.प्र. की आदिवासी अर्थव्यवस्था, सूचना प्रकाशन विभाग नई दिल्ली वर्ष 2000
8. पाठक, जी.के. – ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने में ट्राइसेम योजना की भूमिका, योजना अंक 7, पृ. 29 (1994)

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

नारी विमर्श का स्वरूप सामाजिक साहित्यिक परिपेक्ष्य में

प्रीती सिंह
शोधार्थी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष हैं, पुरूष एवं नारी जीवन। किसी एक के बिना, मनुष्य का जीवन अपूर्ण ही है। परिवार की कल्पना साकार करने में स्त्री महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इतना ही नहीं बल्कि उसके कारण ही परिवार की कल्पना मूर्त हो उठती है। नारी हि पुरूष के जीवन में 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की स्थानपना करती है। समाज के लिए जितनी पुरूष की आवश्यकता है, उतनी ही स्त्री की। नारी समाज की आधार शिला है। नारी माता व भार्या के रूप में जिन कर्तव्यों का निर्वाह करती है, इसी पर समाज का उत्थान–पतन निर्भर करता है। नारी विमर्श की अभिव्यक्ति का मूल स्वर, नारियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता एवं नारी पुरूष की समानता के इर्द–गिर्द घूमता रहा है। आर्थिक स्वावलंबन के अभाव में नारी अपने ही परिवार में शोषित होती रही क्योंकि, विरोध करने का न उनमें कोई साहस है न संबल। नारी को मात्र भोग विलास की वस्तु को समझने वाली मानसिकता का विरोध भी मुखर रूप में किया गया है।

भारत परंपरागत रूप से एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है। यहाँ हमेशा से ही पुरूष को प्रधान माना गया तथा स्त्री को घरेलू कामकाज संभालने वाली समझा जाता रहा है। घर के छोटे–छोटे काम जिन्हें पुरूष भी उस काम में भागीदारी ले सकता है, किंतु ऐसा न होकर स्त्री को भोग विलास की वस्तु मानकर उसका शोषण होता रहा है। वर्तमान समय में समाज में नारी की स्थिति क्या हैं? इस प्रश्न पर गौर करने के लिए हम समाचार पत्रों और मीडिया पर नजर डालते है तो स्थिति अत्यंत ही सोचनीय व विभत्स दिखाई देती है। विवाह जैसे पवित्र बंधन में बंधने के पश्चात नारी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दहेज के नाम पर कितनी ही नई नवेली दुल्हने आग के हवाले हो जाती। पति द्वारा कुछ ही समय पश्चात चरित्र पर छीटाकसी करते हुए उसे घर से निकाल दिया जाता है।

नारी–विमर्श के स्वरूप से तात्पर्य नारी जीवन के प्रत्येक पक्ष पर चर्चा करना है। इतिहास के विभिन्न चरणों में नारियों की स्थिति परवर्तनीय रही है कभी नारी को देवी मानकर श्रृद्धा के साथ उसकी पूजा की गई तो कभी अधिकारों से वंचित रखा गया तथा पुरूष ने दासता के बंधनों में जकड़कर नारी के साथ पशुवत् जैसा व्यवहार किया गया है। भारतीय समाज में नारी की स्थिति एक जैसी नहीं रही है। प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान तक अनेक परिवर्तन हुए है। नारी–विमर्श को समझने के लिए विभिन्न कालों में नारी की स्थिति का अध्ययन आवश्यक हो जाता है।

वैदिक काल :– वैदिक काल में नारियों का बड़ा ही पूजनीय स्थान था। स्त्री–पुरूष की स्थिति में समानता थी। नारी पुरूषों के समान शिक्षा प्राप्त करती थी। इस काल में पर्दा–प्रथा नहीं थी स्त्री की रक्षा करना पुरूष का सबसे बड़ा धर्म माना जाता था। वैदिक युग में नारियां कुलदेवी मानी जाती थीं। नारियों को विवाह के समय जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता थी। समाज में स्त्रियों का आदर किया जाता था वह गृहस्वामिनी तो होती ही थीं, किंतु उनका कर्मक्षेत्र केवल घरों तक ही सीमित नहीं था।

"खासकर क्षत्रिय–कुल में उत्पन्न नारियों को युद्ध में सारथ्य करने का भी अधिकार प्राप्त था।"[1]

"विवाह उन दिनों उभय पक्षों के माता–पिताओं की मर्जी से नहीं, वर कन्या की अपनी पसंद से किये जाते थे। स्वयंवर की पद्धति प्रचलित थी और स्वयंवर–समारोह का आयोजन केवल कन्या–पक्षवाले ही नहीं, वर–पक्ष वाले भी करते थे। यही नहीं, प्रत्युत, वर और कन्या विवाह से पूर्व भी परस्पर हेलमेल बढ़ा लेते थे।"[2]

वैदिक काल में देहज प्रथा का रिवाज था किंतु दहेज वर पक्ष को देना पडता था। परिवार में पुत्र के जन्म न होने पर अर्थात् पुत्र के अभाव में पिता की संपति पर पुत्री को अधिकार प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों की दशा उन्नत थी उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में,

सामाजिक क्षेत्र में तथा धार्मिक क्षेत्र में उचित स्थान प्राप्त था।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैदिक काल में स्त्रियों को पुरूषों के समान ही अधिकार प्राप्त थे तथा स्त्री–पुरूष की स्थिति सामान्यतः समान ही थी। समाज में स्त्रियों को आदर की दृष्टि से देखा जाता था।

उत्तर वैदिक काल :– वैदिक काल के पश्चात् उत्तर वैदिक काल में भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी, उनकी प्रतिष्ठा पहले की तुलना में कम हो गई थी। स्त्री शिक्षा का स्तर निम्न था। इस काल में नारी का जन्म शुभ नहीं माना जाता था पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा रखते थे। विधवा विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस काल में पर्दा प्रथा और सती प्रथा प्रचलन मे नहीं थी, पूर्ण वयस्क हो जाने पर ही स्त्रियों का विवाह किया जाता था। पति की आज्ञा का पालन करना और परिवार की जिम्मेदारी संभालना ही एक मात्र कार्य रह गया था।

''ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों का भी स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण योगदान है। सम्पूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ स्त्रियों की प्रतिष्ठा के खिलाफ थे। स्त्रियों की धार्मिक और सांस्कारिक कार्यो में महत्त्व नहीं दिया जाता था। इसके परिणाम स्वरूप अनेक समाजों में पुत्रियों की हत्या का भी प्रचलन प्रारंभ हो गया था।''[3]

इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों पर सिद्धांत रूप में अनेक प्रतिबंध लगा दिये गये, परंतु वे व्यवहार रूप में अपने अधिकार का उपभोग करती थी।

मध्यकाल :– मध्यकाल में हिंदू धर्म एंव संस्कृति की रक्षा के नाम पर स्त्रियों पर अनेक प्रतिबंध लगाये गये, उन्हें अधिकारों से वंचित कर दिया गया। मध्यकाल में स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक सीमित हों गया। कन्या रूप में वह पिता पर, पत्नी रूप में पति पर माता रूप में पुत्र पर आश्रित होती चली गई। यद्यपि इस युग में कुछ स्त्रियां स्वालंबी थी, फिर भी समाज सामान्य नारी को बंधनों में जकड़ता चला गया। इस काल में पति की इच्छाओं को पूरा करना ही स्त्री का एकमात्र धर्म रह गया था। पारिवारिक सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से स्त्री पुरूष पर निर्भर हो गयी। स्त्री को पति की कृपा आश्रित समझकर कमजोर बना दिया गया। पर्दा प्रथा का प्रचलन आरंभ हो गया। पुनविवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा सती का प्रथा पुनः प्रचलन आंरभ हुआ।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मध्यकाल में नारियों की स्थिति में गिरावट आने लगी तथा उसका कार्यक्षेत्र घर की चारदीवारी तक सीमित रह गया। पूर्ण रूप से वह पति पर आश्रित होने लगी। मध्यकाल में आकर शक्ति स्वरूपा स्त्री अबला बनकर रह गई।

आधुनिक काल :– आधुनिक काल में नारियों को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुए। नारियों ने सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं साहित्यिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़कर कार्य किया। नारी को पहले पुरूष वर्ग द्वारा दासी मानकर उसे हीन दृष्टि से देखा जाता था किंतु आज दासी के स्थान पर वह पुरूष ही सहचरी बनकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक सक्षम नारी के रूप में समाज के समक्ष अपने अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई है।

''भारतीय समाज में वैदिक युग से लेकर आज तक सैद्धांन्तिक रूप से नारी का स्थान महिमा मंडित रहा है। गार्गी, विश्वम्भरा आदि अनेक नारियाँ वैदिक मंत्रों की रचयिता है। गणिका का प्रथम ग्रंथ लिखने वाली लीलावती पहली भारतीय महिला है।''[4]

साहित्य :– बदलते हुए सामाजिक और साहित्यिक परिवेश ने नारी के रूप और उसके चिंतन में महान परिवर्तन किया है। साहित्यकारों ने अपनी साहित्य रचना में नारी का विशिष्ट स्थान दिया। साहित्य के द्वारा ही नारी समाज में उच्चता का मापदण्ड बनती है। सामाजिक परिवेश ही नारी की स्थिति पर प्रकाश डालता है, जो साहित्य के माध्यम से दृष्टिगोचर होता है।

बदलते परिवेश के कारण ही नारी पुरूष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। इस बात का पता हमें साहित्यकारों की रचनाओं से चलता है।

हिंदी साहित्य में कविवर मैथिलीशरण गुप्त जी ने नारी के सच्चे स्वरूप, तपस्या, त्याग, दया के प्रति दायित्व की प्रशंसा की है तथा प्रसाद जी ने 'कामायनी'

में नारी के दया, ममता आदि रूप को स्वीकार कर साहित्य में नारी का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हैं।

राजनीति :– राजनीतिक और सामाजिक क्रांति के प्रयासों के दौर में भी सक्षम महिलओं कें नाम उंगलियों पर गिनने योग्य ही रहे है। महिलाओं ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया। बदलते परिवेश ने महिलाओं को सशक्तिकरण के उस मंच पर खड़ा कर दिया।

"अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर मदर टेरेसा, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती गोल्डा मेयर, सिरीमावी भंडार नायके, मारगेरेट थेचर आदि ने अपनी करूणा एवं राजनैतिक क्षमता का सिक्का जमा लिया है। जीवन मूल्यों के परिवर्तन ने महिला को समाज की सक्रिय इकाई सिद्ध कर दिया है। शिक्षित, अर्धशिक्षित और अशिक्षित समुदाय की महिलायें जीविकोपार्जन के लिये निकल पड़ी है। राजनीतिक, उद्योग, प्रशासनिक तंत्र उद्यमिता, कला विज्ञान, संगीत, सेना, पुलिस, स्वास्थ्य सेवायें, समाज सेवा, लेखन, पत्रकारिता आदि जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी धाक जमायी है।"[5]

महिलाओं ने सामाजिक प्रतिबंधो के बावजूद कभी जीजाबाई, लक्ष्मीबाई बनकर अपना योगदान दिया तो कभी आंदोलनों में भाग लेकर देश की आजादी के लिये कार्य किया।

राजनीति में सक्रिय भाग लेकर महिलाएँ पुरूषों से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। चुनाव प्रचार में भी महिलाएँ पुरूषों के बराबर भाग ले रही है। पिछले दशकों में नारी शिक्षा व स्वाधीनता ने जो जोर पकड़ा है, उसके क्रांतिकारी परिणाम सामने आयें हैं और घर चहार दिवारी से बाहर निकलकर महिलाओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त कर विभिन्न पदों पर आसिन होना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप नारी की सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बदलाव आया। राजनीति में प्रवेश पाने से नारी के जीवन ने नया मोड ले लिया। नारी राजनीतिक क्षेत्र में अत्यंत ही उत्साह से कार्य कर रही और अपने व्यक्तित्व के नए पहलू का दर्शन समाज को करा रही है।

समाज में स्त्रियों की स्थिति परिवर्तित रही है कभी उसे देवी मानकर पूजा गया तो कभी परतंत्रता के बंधनों में जकड़कर उसे अधिकारों से वंचित रखा गया, नारी का बदलता स्वरूप हमें साहित्य और समाज में देखने को मिलता हैं साहित्यकारों ने अपनी साहित्य रचनाओं में नारी को विशिष्ट स्थान दिया हैं।

नारी–विमर्श के स्वरूप का विवेचन करने से ज्ञात होता है कि विभिन्न कालों में नारियों की स्थिति परिवर्तनीय रही है। वैदिक काल में नारी को पूर्ण स्वतंत्रता थी समाज में नारियों का पूजनीय स्थान था, नारी प्रत्येक पग पर पुरूष की सहभागिनी हुआ करती थी, किंतु उत्तरवैदिक युग में नारियों की स्थिति में गिरावट आ गई उसे अधिकारों से वंचित रखा जाने लगा पति की सेवा करना उसका सबसे बड़ा धर्म माना जाने लगा।

इस प्रकार कहा जा सकता हैं कि भारतीय समाज में नारियों की स्थिति परिवर्तनीय रही हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. डॉ. डी.एस. बघेल, नातेदारी, विवाह एवं परिवार का समाजशास्त्र पृष्ठ 348
2. डॉ. प्रताप सिंह चंदेल, बदलते सामाजिक संदर्भ व साहित्य, पृष्ठ 124
3. महिला सशक्तिकरण विशेषांक पृष्ठ 262
4. रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ 52
5. वही पृष्ठ 53

ISSN : 2394-3580 Swadeshi Research Foundation Vol. – 6, No. - 11 Sep. 2019
A Monthly Journal of Multidisciplinary
International Peer Refereed, Review, Indexing & Impact Factor - 4.2 Research Journal

डिजिटल पुस्तकालय : एक परिचय

कु. पायल चक्रवर्ती
(सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय), डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)
डॉ. संगीता सिंह
(पुस्तकालयाध्यक्ष, केन्द्रीय पुस्तकालय), डॉ. सी. वी. रामन् विश्वविद्यालय, करगीरोड, कोटा, बिलासपुर (छ.ग.)

आज के इस सूचना तकनीकी के युग में सूचना बहुत ही त्रीव गति से बढ़ती जा रही है, किसी भी पुस्तकालय के लिए यह संभव नहीं है कि वह हर सूचनाओं को क्रमबद्ध कर रखें। इस लेख में यह बताया गया है कि हम सूचनाओं को कैसे डिजिटलीकरण के माध्यम से क्रमबद्ध करके अपने पुस्तकालय को अच्छा बना सकते हैं।

प्रस्तावना :– डिजिटल पुस्तकालय एक पुस्तकालय है जिसमें आंकड़े डिजिटल स्वरूपों जैसे कि प्रिंट, माइक्राफॉर्म या अन्य मीडिया में स्टोर होता है और कम्प्यूटर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। कंटेन्ट को स्थानीय रूप से स्टोर किया जा सकता है या दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है।

डिजिटल पुस्तकालय में समस्त सूचनाएं इलेक्ट्रानिक्स स्वरूप में होती है। इस प्रकार के पुस्तकालय में कम्प्यूटर और अनेक पठनीय सामग्रियां होती है। यहां के पुस्तकालयों में अपने समस्त सूचनाओं को डिजिटल माध्यम द्वारा संग्रहीत करके रखा जाता है। डिजिटल पुस्तकालय में सूचनाओं का एकत्रीकरण सीडीरोम, वेबसाईट, टेप एवं डिस्क आदि में किया जाता है।

डिजिटलीकरण की विशेषताएं :– इस पुस्तकालय की मुख्यतः तीन विशेषताएं होती है।

* डिजिटलाइजेशन
* नेटवर्क्स
* प्रतिलिपिकरण

(1) **डिजिटलाइजेशन** :– इसमें सूचनाओं का संग्रहण व उपयोग डिजिटल रूप में किया जाता है।

(2) **नेटवर्क्स** :– सूचना की प्राप्ति के लिए नेटवर्क्स की भूमिका अत्यन्त ही महत्वपूर्ण होती है।

(3) **प्रतिलिपिकरण** :– सूचनाओं की डाउनलोडिंग ऑफलाइन ऑन लाईन दोनों प्रकार से की जा सकती है।

साफ्वेयर क घटक :– साफ्टवेयर के घटक निम्नानुसार है :–

1) स्केनिंग सॉफ्टवेयर
2) वेब सर्वर
3) इंमेज इन्हैन्समेन्ट एण्ड मेनीपुले" ान
4) इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम

हार्डवेयर क घटक :–

1) सर्वर
2) संचार युक्तियां – LAN/HUB/Modem
3) निवेश युक्तियां – स्कैनर/फोटोकापी मशीन/विडियो कैमरा।
4) संग्रहण – मैगनेटिक टेप, डिस्क, सी.डी. रोम, डीवीडी।

सूचना पुर्नप्राप्ति :–

1) डाटाबेस
2) SQL सर्वर।

ज्ञान का डिजिटलीकरण :– आज के इस सूचना तकनीकी के युग में सूचनाओं को उपयोगकर्त्ताओं तक आसानी से उपलब्ध कराने के लिए डिजिटलीकरण किया जाता है। यह सूचना ऑफ लाइन और ऑन लाइन दोनों ही हो सकती है। आज बहुत से ऐसे सूचनाओं को उपयोगकर्त्ता तक पहुंचाने के लिए शोध परियोजनाएं संचालित की जाती है। जो मुद्रित सूचना

को डिजिटलीकरण कर नेटवर्कों के माध्यम से उपयोकर्त्ताओं तक पहुंचाते है।

शोध गंगा :– इसमें सभी विश्वविद्यालय अपने विश्वविद्यालय के शोध ग्रंथों को डिजिटलीकरण कर इसमें सूचना को अपलोड करते हैं। जहॉ से शोध ग्रंथ को कोई भी उपयोगकर्त्ता कहीं से भी उपयोग कर सकते हैं। यहां तकरीबन 2,52,000 भाोध ग्रंथ 7000 सार एकत्रित है।

गुटनबर्ग :– यह परियोजना निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक ग्रंथों का बड़ा संग्रह है। इसके संस्थापक माइकल हर्ड हैं। माइकल हर्ड ने ई–बुक्स का आविष्कार 1971 में किया था। यह सभी ग्रंथ इंटरनेट पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अनेक और भी डिजिटल पुस्तकालय उपलब्ध है जो कि निःशुल्क सूचनाएं प्रदान करती है।

* www.vidyanidhi.com
* www.dlib.com
* www.dspace.com
* www.loc.com
* www.sil.si.edu

डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों ? :–

1) डिजिटलीकरण सेवाओं से उपयोगकर्त्ता कहीं भी अपनी मनचाही सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है।
2) डिजिटलीकरण में सूचनाओं को खोजने के लिए अनेक तकनीकियाँ दी जाती है।
3) समय की बचत होती है।
4) आसानी से सभी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है।
5) उपयोगकर्त्ताओं के लिए यूजर–फ्रेंडली होता है।

एकत्रीकरण :– आज के इस डिजिटल युग में सूचनाओं का एकत्रीकरण एक विशेष समस्या बन गया है। सूचनाओं को एकत्र करने के लिए कुछ नियम आव" यक होते हैं ताकि उसे उपयोगकर्त्ता तक आसानी से पहुंचा सके।

1) सूचना के प्रकार।
2) सूचना को एकत्रित करने का माध्यम।
3) सूचना एकत्रित करने का प्रारूप।

डिजिटल रिपोज़िटरीज :– शैक्षणिक पुस्तकालयों में डिजिटल रिपोज़िटरीज के माध्यम से पुस्तकें, शोधग्रंथ, पेपर और भी सूचनाओं को डिजिटलीकरण कर इसे उपयोगकर्त्ताओं तक निर्बाध पहुंचाया जा सके।

उपयोगिता :–

1) आसानी से उपलब्ध।
2) कोई बाध्यता नहीं होती।
3) बहु अभिगम।
4) सूचना पुर्नप्राप्ति।
5) समय की बचत।

सारांश :– आज की सूचना क्रांति के युग में डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से सूचनाओं को वर्गीकरण सूचीकरण करना अत्यन्त ही आसान हो गया है।

संदर्भ :–

(1) Bhagat N., and Singh, S. "Digital Library, Digitization and Preservation, Research Today, Vol. 7 No. 25 (2017).
(2) शर्मा, अरविन्द कुमार "ई–सूचना स्त्रोत एवं सेवाएं।
(3) www.google.com